राजस्थान विधान सभा

सोलहवीं बैठक, दिनांक १८ मार्च, १९५३।

(सदन का कार्य ८-२३ बजे प्रात: प्रारम्भ हुआ)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति के कारण उनको सम्बोधित तारांकित प्रश्न स्थगित करने संबंधी

श्री अध्यक्ष—Before we take up questions, I want to inform the House that I have received a request from the Chief Minister that as he had to proceed to Delhi on an urgent business he has partially entrusted his colleagues to answer the questions and partially to defer the questions, because he himself likes to answer those deferred questions. So if the Members concerned want I would like to postpone the whole of the questions that are addressed to the Chief Minister and they may be taken tomorrow, otherwise the Education Minister will answer those questions.

कुछ सदस्य (विरोधी दल)—They may be taken up tomorrow.

श्री हिम्मतसिंह—As the House is thin today, just at present, on account of the absence of bus at the Hostel, would it not be proper to delay this till the Members come.

श्री एच. के. व्यास—Some of my questions happen to be addressed to the Chief Minister and I would like them to be taken up tomorrow because I would like their exact answers.

श्री जसवन्तसिंह—As regards the Chief Minister's visit to Delhi, since the Assembly is in session, I think he owes it to the Assembly that we should know whether he has gone to Delhi on his private business or whether on the business of the Rajasthan Government or whether he has been sent for by the Central Government.

श्री एच. के. व्यास—He has gone on a complicated business.

श्री रामकिशोर व्यास—At least he has not gone on private business.

1186
1106/80

श्री जसवन्तसिंह—Sir, my question stands whether he has gone on the business of the Rajasthan Government or he has been called by the Central Government.

श्री अध्यक्ष—I think you will cross-examine him when he comes tomorrow.

(विराम)

So can I proceed now? We take up the questions.

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४७८

श्री भैरूंसिंह—क्या वन विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या देसूरी-बाली तहसीलों में इस वर्ष आंवल छाल के ठेके दिये गये हैं ?

(ब) यदि (अ) का उत्तर "हां" में है तो इससे सरकार को क्या आमदनी हुई ?

(स) क्या यह सत्य है कि एक बार ठेके दिये जाने के बाद ठेके र कर दिये गये थे और फिर से बोली बोलने के बाद ठेके दुबारा दिये गये ?

(ड) यदि (स) का उत्तर हां में है तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—तहसील देसूरी के ठेके नीलाम की बोली बहुत कम आने की वजह से अमानी रखा गया है। बाली तहसील में एरिनपुर टेनेरीज के प्रोप्राइटर्स ने जब पुराने अमल के अनुसार रकम जमा नहीं की तब यह ठेका नीलाम किया गया। बाकी बाली व सुमेरपुर टेनेरीज के प्रोप्राइटर्स पुराने अमल के हिसाब से रकम जमा करा रहे हैं इसलिये ठेका नीलाम नहीं किया गया।

(ब) चूंकि ठेके अमानी पर रखे गये हैं अतः आमदनी का हाल समाप्ति मियाद ठेके पर मालूम हो सकेगा।

(स) यह सही है कि एक बार नीलाम किये गये ठेके दुबारा नीलाम किये गये हैं। इसकी वजह यह है कि पहले नीलाम में जिन ठेके पर बोलियां पिछले साल की बोली के २।३ से भी कम आई उन्हें दुबारा नीलाम किया गया और दुबारा नीलाम पर भी कम बोली आने पर ठेके अगले साल के नीलाम में रख दिये गये हैं। कमी बोली का कोई ठेका मंजूर नहीं किया जाता।

(ड) इसका उत्तर (स) में आ गया है।

श्री संतोषसिंह—क्या सरकार आंवल छाल को लोकल आदमियों को काम में लेने के लिये मना नहीं करती है ?

Page No.3

श्री अमृतलाल यादव—जो इसका धंधा करते हैं उनको मना नहीं है और जो धन्धा नहीं करते, व्यापार करना चाहते हैं उनको काम में लेने को मना है ।

श्री संतोषसिंह—यदि कोई मना करते हैं तो सरकार इसके लिये जांच करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां । यदि धन्धा करने वालों को मना किया गया तो ।

प्रश्न संख्या ४७९

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान सरकार कोटा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कमेटी के नव निर्माण के लिये कुछ सोच रही है ? यदि "हां" तो उक्त कार्य कब तक सम्पन्न होने की संभावना की जा सकती है ?

श्री रामकरण जोशी—हां, कुछ सोच रही है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—इसमें क्या सरफा होगा ।

श्री रामकरण जोशी—"सरफा" का तो कमेटी बनेगी तब पता चलेगा ।

श्री रामकरण जोशी—इस कमेटी के कितने सदस्य होंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्सट ।

प्रश्न संख्या ४८०

श्री तेजपाल—क्या दलितवर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने लावारिस मुर्दों को जलवाने की व्यवस्था हरिजनों द्वारा कराना निश्चय किया है ?

(२) यदि "हां" तो उसके एवज में कितने रुपये मजदूरी और लकड़ी आदि के देने का निश्चय किया है ?

(३) क्या इसके तहत पुलिस वालों को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आज्ञा का पालन करने में किसी कारण कुछ देर हो जावे तो उसे डन्डों से पीटा जावे ?

(४) यदि नहीं तो ऐसा कार्य करने वालों के विरुद्ध क्या सरकार कोई सजा देने को तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--(१)जी नहीं ।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(३) उत्पन्न नहीं होता ।

(४) यदि कोई ऐसा उदाहरण सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए तो उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री संतोषसिंह--लावारिस मुर्दो को जलाने का सरकार क्या प्रबन्ध करती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--लावारिस मुर्दे नियमानुसार बराबर जलाए जावेंगे ।

श्री संतोषसिंह--लावारिस मुर्दों को कौन ले जाएगा

श्री भोगीलाल पंड्या--जिनको पैसे की जरूरत होगी ।

प्रश्न संख्या ४८३

श्री भैंरूसिंह (डिविजन नम्बर १२):--क्या वन विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:--

(अ) क्या आंवल छाल हर एक व्यक्ति निजी तौर से इकट्ठी करके और चमड़ा रंग कर बेच सकता है ?

(ब) यदि (अ) का उत्तर "ना" में है तो क्या सरकार कुटीर व्यवसाय का ध्यान रखते हुए इस पाबन्दी को हटा कर गरीब व्यवसायों को राहत पहुंचायेगी ?

श्री अमृतलाल यादव--जोधपुर डिविजन के जिस गांव में आंवल छाल हो उस गांव के पेशेवर जो चमड़ा रंगने का काम करते हैं आंवल छाल ला सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं ला सकता ।

(ब) मुफ्त दिया जाना संभव नहीं है।

श्री एच. के. व्यास--इसमें सरकार को क्या नुकसान होगा ?

श्री अमृतलाल यादव--हां, नुकसान होगा ?

श्री एच. के. व्यास--आपका उत्तर स्पष्ट नहीं है, मैंने पूछा कि क्या नुकसान होगा ?

श्री अमृतलाल यादव--अगर हम हर एक आदमी को आंवल छाल मुफ्त में लाने की इजाजत दे देंगे तो लोग उसके पेड़ों तक को नहीं रहने देंगे और इससे बहुत नुकसान होगा ।

श्री संतोषसिंह--क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि आंवल छाल की जड़ें सड़ने की बजाय किसी को काम में लेने दी जाए ?

श्री अमृतलाल यादव—सड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है। लोग धन्धा करते हैं उनको दी जाती है और जो लोग यह चाहते हैं कि यह मुफ्त में दी जाए और जो लोग इसका धन्धा करते हैं उनके रोजगार को ठप कर दिया जावे, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है।

प्रश्न संख्या ४८४

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या कोटा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा गुमानपुरा के पास कोटड़ी जागीर की खाली जमीन खरीदी जा रही है ?

(आ) वह कितनी है ?

(इ) यदि (अ) का उत्तर "हां" में है तो कितनी तादाद की रकम से व किस भाव पर ?

(ई) क्या भूतपूर्व कोटा सरकार या संयुक्त राजस्थान सरकार ने इस जमीन को खरीदने का विचार किया था ?

(उ) वह रकम कितनी तादाद में थी और किस भाव पर लेना चाहती थी ?

श्री रामकरण जोशी—उक्त जमीन कोटा सरकार ने एक्वायर करली थी इसलिये उसके खरीदे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ब) यह जमीन १०३७२५ वर्ग गज है।

(स) तत्कालीन कोटा सरकार ने दो आना प्रति वर्ग गज के हिसाब से १३,१४२ रु. १० आने में एक्वायर किया था।

(ड) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ई) इसका उत्तर आ गया है।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपने मेरे प्रश्न 'अ' का उत्तर "ना" में दिया है ; क्या इससे यह समझा जावे कि जमीन नहीं खरीदी जा रही है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने अपने उत्तर में कहा कि उक्त जमीन कोटा सरकार ने एक्वायर करली थी इसलिये, उसके खरीदे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या ४८५

श्री तेजपाल—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि हरिजन और पिछड़ी हुई जाति से भर्ती किये जाने वाले चपरासी मिडिल पास हों ?

(ख) क्या यह नियम अन्य जाति वालों पर भी लागू है ?

श्री भोगीलाल पांड्या—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ४८८

श्री भैंरूसिंह (डिवीजन नंबर १२)—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या सरकार ने इस वर्ष बाली-देसूरी तहसील के समस्त घास के जोड़ों को समय पर नीलाम किया था ?

(ब) यदि "अ" का उत्तर हां में है तो ऐसे कौन कौन से जोड़ हैं जिन्हें समय पर नीलाम नहीं किया गया ?

(स) यदि 'अ" का उत्तर ना में है तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

(ड) क्या यह सत्य है कि जोड़ों को समय पर नीलाम न करने से, जैसा अनुमान किया जाता है, इस विभाग की आय में २० से ३० हजार तक का घाटा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—(अ) तहसील बाली के जोड़ समय पर ही नीलाम किये गये थे किन्तु तहसील देसूरी के जोड़ कुछ तो समय पर ही नीलाम हो गये थे और कुछ विलम्ब से हुए।

(ब) तहसील देसूरी के जोड़ बिजवा, नांदन भाटन और सिंदरली दिसम्बर में नीलाम हुये थे ।

(स) इन जोड़ों में घास महकमाना इकट्ठा करना तय पाया था परन्तु विशेष कारणों से विचार को स्थगित करना पड़ा और खास यही कारण है कि वक्त पर जोड़ नीलाम नहीं हो सके।

(ड) अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस विलम्ब के कारण वन विभाग को २० ३० हजार रुपये का घाटा रहेगा ही किन्तु कुछ बीड़ों पर तो नीलाम में गत वर्षों से अधिक रकम प्राप्त हुई है और कुछ बीड़ों को पूर्व प्रथानुसार निश्चित दर पर चराई के निमित्त खोल दिया गया है जिनकी चराई वसूली का हिसाब वर्ष के अन्त में ज्ञात हो सकेगा । वैसे इस वर्ष नीलाम किये गये कुछ जोड़ों की आय में कमी होने का अनुमान भी है ।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि जोड़ों को देर से नीलाम करने से घास सूख जाता है, जमीन पर गिर जाता है, जमीन के चिपक जाता है और कुछ भी घास बचता नहीं है; इससे सरकार को बड़ा घाटा होता है ।

श्री अमृतलाल यादव—यह सरकार को मालूम है । परन्तु फेमीन एरिया होने की वजह से कुछ जोड़ों को डिपार्टमेन्टल वकिंग के लिये रखा गया था । इसलिये जोड़ों को नीलाम करने में देरी हुई ।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि अगर जोड़ों को समय पर नीलाम किया जाता तो उनसे सरकार को २०–२५ हजार रुपये मिलते थे और देरी करने के कारण सिर्फ दो-तीन हजार रुपये ही मिले ?

श्री अमृतलाल यादव—इससे सरकार को नुकसान हुआ है, परन्तु जनता को फायदा हुआ है । वहां पर पशु मर रहे थे, उनको सुविधा देने के लिये ही ऐसा किया गया था ।

श्री सन्तोषसिंह—जब तक जोड़ नीलाम नहीं हुए थे तब तक जनता को जोड़ों में आने ही नहीं दिया, फिर जनता को जोड़ों से कैसे फायदा हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव—नीलाम तो हर साल चलते हैं, पर इस साल अकाल की स्थिति होने के कारण यह सोचा गया कि डिपार्टमेन्टल वकिंग किया जाय । पर खास कारणों से ऐसा नहीं किया जा सका । इस वजह से फिर जनता को दिया गया और यही कारण है कि देर हुई ।

श्री एच. के. व्यास—नीलाम भी नहीं करना और जनता को चराने की इजाजत भी नहीं देना, यह दोनों काम करने से जनता को कैसे लाभ हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव—अकाल की वजह से सोचा गया कि जनता को जोड़ फ्री दे दिये जायं या डिपार्टमेन्टल वकिंग कर लिया जाय । डिपार्टमेन्टल वकिंग सम्भव नहीं हुआ तो जनता को चराई के लिये दे दिया गया और रोयल्टी लेने का इन्तजाम कर दिया गया ।

प्रश्न संख्या ४८६

(प्रश्न कर्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रश्न नहीं पूछा गया)

प्रश्न संख्या ४६०

श्री जगतसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) चित्तौड़ जिले में कितने बन्धों की मरम्मत सन् १९५१–५२ में हुई है ?

(आ) हर एक पर कितनी रकम खर्च की गई है ?

(इ) क्या इस जिले में अन्य जिलों के मुकाबले में खर्चा इस कार्य में कम हुआ है ?

(ई) क्या भविष्य में इसके लिये पूरा ध्यान रखा जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(अ) इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है और वह एकत्रित की जा रही है। वैसे इस सिलसिले में मुख्यतः छः बड़े २ बन्धों की मरम्मत सन् १९५१-५२ में हुई थी।

(आ) उक्त बन्धों की मरम्मत का व्यौरा इस प्रकार है :—

(१) मगनवार तालाव	१८०००)
(२) भीम काना का	४९०००)
(३) धमाना	१८०००)
(४) ऊंचा	६०००)
(५) मांडल देह	८०००)
(६) मान सरोवर	४०००)
कुल	१०३०००)

शेष कामों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(इ) नहीं।

(ई) सरकार प्रारंभ से ही सचेत है।

श्री जगतसिंह—क्या यह सच है कि मंगलवाड़ बन्ध का नाका बनाते ही टूट गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, कुछ नुकसान हुआ।

श्री संतोषसिंह—सरकार पहले से ही इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखती कि जो बन्ध बनवाये जायं, जो मरम्मत करवाई जाय वहां पक्का काम करवाया जाय ताकि बार बार नहीं फूटे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार हमेशा से यह ध्यान रखती है कि जो बन्ध बनें पक्के बनाये जायं ताकि टूट फूट न हो। कहीं एक-आध जगह किसी कारण से टूट फूट हो जाती है। जहां अर्थ वर्क की जरुरत होती है वहां अर्थ वर्क करवाया जाता है।

श्री रोशनलाल—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो बन्ध बनवाये गये वह मंजदूरी पर बनवाये गये या ठेके पर ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये समय चाहिये।

Page No.9

श्री हिम्मतसिंह--आपने कुछ नुकसान का फरमाया, कुछ के क्या माने हैं, एक इंच, एक फुट, ५० फुट, १०० फुट या १००० फुट, ५ रुपये का नुकसान, ५० का, १००० का या एक लाख का। यह जो आपने फरमाया है कि कुछ नुकसान हुआ उसका क्या, मतलब है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसके बारे में मालूम रहता है, जहां कुछ मिट्टी बह जाती है उसके बारे में मालूम नहीं रहता।

श्री हिम्मतसिंह--कितने फुट मिट्टी बही ?

श्री भोगीलाल पंड्या--कुछ मिट्टी बही थी।

श्री हिम्मतसिंह--"कुछ" का क्या मतलब, कितनी मिट्टी बही'; "कुछ" की जानकारी कराई जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या--इसकी जानकारी नहीं की गई क्योंकि यह मालूम नहीं था कि आप इस तरह की जानकारी हासिल करना चाहेंगे।

श्री एच. के. व्यास--क्या सरकार इस मामले में जांच करना आवश्यक नहीं समझती कि किन कारणों से, किसकी गल्ती से बन्ध फूटा और गल्ती करने वाले के लिये क्या सजा तजवीज करती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--ऐसे मामलों में जांच की जाती है और अगर ठेकेदार की गल्ती होती है तो उसको ठेके के पैसे नहीं दिये जाते और अगर सरकार द्वारा बनाया जाता है तो जांच की जाती है कि किस अधिकारी की गल्ती है और अधिकारी की गल्ती मालूम होने पर उसको सस्पेन्ड, डिसमिस किया जाता है; जैसी भी सूरत हो वैसी सजा दी जाती है।

श्री एच. के. व्यास--क्या इस मामले में जांच की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--इस सम्बन्ध में मैं जानकारी हासिल करके बताऊंगा।

श्री एच. के. व्यास--क्या और किसी मामले में जांच हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--हां, कई केसेज में जांच हुई है जिनमें गलती करने वालों को डिसमिस किया गया, सजाएं दी गई हैं।

श्री एच. के. व्यास--मेरे पूछने का मतलब है कि क्या इस बारे में जांच की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--आपने मेरे उत्तर को अच्छी तरह से सुना नहीं, वरना इतना पूछने की जरूरत ही नहीं होती।

Page No.10

श्री संतोषसिंह—जो वन्ध बनता है तो यह देखा जाता है कि इसमें कितना पानी भर सकता है, कितनी गहराई-ऊंचाई होनी चाहिये, कितना आंवरफ्लो होगा। उस वन्धे में इस तकमीने से ज्यादा पानी भर जाता है और उससे वन्ध फूट जाता है तो उसका हरजाना ठेकेदार से लिया जाता है; ऐसा क्यों किया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ये जितनी सब बातें देखी जानी चाहियें उतनी हमारे एक्सपर्ट इंजिनियर्स देख लेते हैं और तभी ठेकेदारों को काम सौंपा जाता है। फिर अगर कोई ठेकेदार वराबर काम नहीं करता है तो उसके लिये उसे भुगतना ही चाहिये।

श्री सन्तोषसिंह—अर्थ वर्क का जो काम होता है वह कच्चा होता है। वह अगर टूट जाता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की नहीं होती यह तो इंजिनियर्स का काम है कि सारा तकमीना लगा कर, फिर ठेकेदार को काम दें।

श्री भोगीलाल पंड्या—ठेकेदार खुद समझदार होते हैं और उनके वकील होते हैं, ठेकेदार की गल्ती होती है तभी वह देते हैं। हमें उनकी वकालत करने की आवश्यकता नहीं। ठेकेदार इतने भोले नहीं होते कि उनकी गलती नहीं हो फिर भी वे दे दें।

श्री एच. के. व्यास—इतने दिनों तक जानकारी नहीं हुई तो क्या इस बात को मान लिया जाय कि वन्ध बांधने में गोटाला हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने वताया कि जो जानकारी मिली वह बता दी। अगर उत्तर में कमी रही होगी तो आप चाहें तो पूरी जानकारी आने पर पूरी सूचना दे दी जायगी।

श्री जगतसिंह—क्या इस साल इस वान्ध को और वनाया जायगा?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, जरूर।

श्री सन्तोषसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह के बन्ध फूटने पर कितने ठेकेदारों की रकमें सरकार ने नहीं दीं और वो रकमें जब्त करली गई ?

श्री अध्यक्ष—It is a different question.

प्रश्न संख्या ४६३

श्री भैरूसिंह—क्या वन विभाग के मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(अ) जोधपुर डिविजन में ऐसे कौन कौन से जोड़ हैं जिन्हें सरकार दुर्भिक्ष के लिये स्वयं कटवा कर एक लाख मन घास का स्टॉक रखना चाहती थी ?

(व) क्या 'अ' में कथित जोड़ों को सरकार कटवा सकी ?

(स) यदि 'ब' का उत्तर ना में है तो इसके कारणों पर प्रकाश डालें ?

(ड) यदि 'व' का उत्तर ना में है तो इन जोड़ों के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की?

श्री अमृतलाल यादव--(अ) फोरेस्ट डिविजन में निम्नलिखित जोड़ हैं जिनको सरकार फेमीन रिजर्व के सिलसिले में स्वयं कटवा कर करीब एक लाख मन घास का स्टॉक रखना चाहती थी किन्तु ६५००० मन कटवाना निश्चित हुआ

१. कालू	२. लांबिया	३. आसरलाई	४. गुडा एंदला
५. हरियारा	६. बिनजोबा	७. नन्दन भाटनल	८. सिन्दरली
९. बसाना ।			

(ब) चन्द विशेष कारणों से सरकार महकमाना कटाई नहीं करा सकी ।

(स) महकमाना कटाई के लिये जितने कोष की आवश्यकता थी वह वक्त पर उपलब्ध न होने के कारण महकमाना तौर पर घास इकट्ठे करने का विचार स्थगित करना पड़ा ।

(ड) घास का नीलाम वक्त पर हो जाय तो ठीक कीमत मिल जाती है मगर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पहले महकमाना तरीके पर घास इकट्ठा करना निश्चित किया गया था इसलिये बीड़ों को नीलाम पर नहीं रखा गया किन्तु बाद में नीलाम पर रखने के आदेश जारी किये गये । जिन जोड़ों पर अच्छी बोली आई उनको तो नीलाम पर छोड़ दिया गया और बकाया बीड़े चराई मवेशियों के लिये बाद अदाय रोयल्टी खोल दिये गये ।

श्री सन्तोषसिंह—जब सरकार यह जानती है कि वक्त पर नीलाम करने से रकम अच्छी आती है तो वक्त पर क्यों नहीं नीलाम किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि गुडा एंदला के जोड़ को बगैर नीलाम किये ही वहां पर किसानों से पैसे वसूल किये जाते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है । माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके लिये धन्यवाद । मैं इसके बारे में मालूम करूंगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में पाली किसान सभा की ओर से कोई तार आपको नहीं दिया गया था ?

श्री अमृतलाल यादव--मुझे ऐसा कोई तार नहीं मिला ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या मन्त्रीजी विभाग से जांच करके जवाब देंगे ?

श्री अमृतलाल यादव--मुझे याद है कि मेरे पास ऐसा कोई तार नहीं आया ।

प्रश्न संख्या ४६४

श्री सुगनचन्द जैन—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) चितौड़ जिले में बेंगु को म्युनिसिपल एरिया घोषित कर दिया गया है ?

(ब) हां, तो चुनाव कब तक हो जावेगा ?

(स) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि चुनाव की तारीखें कायम कर दी गई थीं और वापिस केन्सिल कर दी गई ; इसका क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—(अ) हां ।

(ब) शीघ्र ही ।

(स) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

विशेष बात यह है कि सदस्यों की संख्या नियत करके कलेक्टर को आदेश दे दिया गया है कि चुनाव की कार्यवाही करे ।

प्रश्न संख्या ४६७

श्री भैरूंसिंह—क्या वन विभाग के मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) घास के जोड़ों में घास के गट्ठे बांधने की मशीनें कहां कहां हैं ?

(ब) "अ" में कथित मशीनों का क्या उपयोग हो रहा है ?

(स) यदि "अ" में कथित मशीनों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो क्या सरकार इन मशीनों को नीलाम करने का इरादा रखती थी ?

(ड) यदि "स" का उत्तर ना में है तो इन मशीनों का सदुपयोग कहां और कब तक किया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—इस प्रकार की मशीनें जहां जहां हैं उनकी लिस्ट हाउस की टेबल पर रखी जाती है ।

(ब) इस प्रकार की मशीनें घास के गट्ठे बांधने के काम आती हैं ।

(स) इन मशीनों को नीलाम करने का कोई सवाल सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

(ड) ये मशीनें घास के गट्ठे बांधने के काम आ रही हैं । ये मशीनें कहां कहां काम में आ रही हैं उनकी लिस्ट हाउस की मेज पर रखदी जायगी ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह नहीं है कि आप पढ़कर सुनादें, लेकिन जब आप समझते हैं कि लिस्ट लम्बी है तो पहले से ही संबंधित सदस्यों को इसकी कॉपी दी जानी चाहिये थी ।

(करतल-ध्वनि)

श्री अमृतलाल यादव—आप कहें तो मैं पढ़कर सुनाने के लिये तैयार हूं ; वह लम्बी लिस्ट है ।

Page No.13

श्री एच. के. व्यास—On a point of information, Sir, has a copy of the statement been supplied to the Member concerned in advance?

श्री अमृतलाल यादव—I will supply now.

प्रश्न संख्या ४६८

श्री जगतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

बड़ी सादड़ी म्युनिसिपेलिटी का चुनाव सरकार कब तक कराना चाहती है ?

श्री रामकरण जोशी—बड़ी सादड़ी में नगरपालिका के चुनाव छः महीनों में करा दिये जायेंगे ।

श्री जगतसिंह—क्या जब तक वहां नगरपालिका नहीं होगी तब तक पंचायत बोर्ड ही काम करता रहेगा ?

श्री रामकरण जोशी—वहां पर पंचायत बोर्ड ही अब तक चला आ रहा है । वहां पर नगर पालिका कायम करने के बारे में सरकार सोच रही है । जब तक नगरपालिका नहीं बन जायगी तब तक पंचायत बोर्ड ही काम करता रहेगा ।

प्रश्न संख्या ५०१

श्री भैरूंसिंह—क्या पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर में शरणार्थियों की कितनी दुकानें खाली पड़ी हैं ?

(२) इन दुकानों को बनाने में सरकार ने क्या खर्चा किया है ?

(३) सरकार को इनसे किराये की वार्षिक आमद क्या होती है ?

(४) पिछले छः माह में ऐसी कितनी रकम वसूल हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—(१) २९ ।

(२) कुल १८० दुकानों को बनाने में फी दुकान १ हजार के हिसाब से १८००००) रूपये खर्च हुये ।

(३) ये दुकानें भाड़े सिस्टम पर दी गई हैं जिसके अनुसार २० सालों में इसकी वसूली करनी है । वार्षिक वसूली ९०००) रूपये हैं । यह वसूली-कार्य इसी वर्ष से शुरू होगया है ।

(४) आंकड़े प्राप्त होने पर बता दिया जायगा ।

श्री संतोषसिंह—जो दुकानें खाली पड़ी हैं उसका क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव:—ये दुकानें हायर-परचेज सिस्टम पर दी जाती हैं। जिन्होंने लीं उनको देदी गई और उन्हें देने की कोशिश की जा रही है। सरकार की जो शर्तें हैं उन्हें वह रिलेक्स करने को तैयार नहीं है।

श्री संतोषसिंह:—जो मकान खाली पड़े हैं उनका क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव:—मकानों का सवाल दूसरा है। लोगों की मनोवृति हो गई है कि सरकार को एक पाई नहीं देना इस मनोवृति को हतोत्साह करना है।

श्री संतोषसिंह—क्या यह सच नहीं है कि वे मकान जरूरत के मुताबिक नहीं बने थे इसलिये नहीं लिये गये ?

श्री अमृतलाल यादव—जरूरत का कोई माप दंड नहीं है। जो लोग खुले आसमान और जमीन के बीच में पड़े थे उनके लिये दो कमरों के मकान काफी होते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—लोगों की ऐसी मनोवृति क्यों हो गई ?

श्री अमृतलाल यादव—इसका जवाब में नहीं दे सकता, परमात्मा ही जानता है।

एक सदस्य—प्रश्न के भाग (४) का जवाब कब तक दे दिया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—इसके आंकड़े आते ही।

प्रश्न संख्या ५०५

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

१. राजस्थान में सहकारिता के आधार पर चलनेवाले सहकारी बैंक कौन कौन से हैं ?

२. इनमें से कौनसा बैंक ऐसा है जो रिजर्व बैंक के नियमानुसार अच्छी स्थिति में कार्य कर रहा है? उसकी आर्थिक स्थिति क्या है?

३. इन सहकारी बैंकों के शेयर कैपिटल हिस्सेदारान पूंजी तथा निजि पूंजी किस किस की कितनी कितनी है? ये बैंक कब कब स्थापित हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—(१) राजस्थान में निम्नलिखित सहकारी बैंक हैं—

१. दी बीकानेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बीकानेर
२. दी जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर
३. दी सादूंलगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सादूंलगढ

[श्री अमृतलाल यादव]

४. दी सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सीकर

५. दी कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कोटा

६. दी भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भरतपुर

७. दी जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जोधपुर

८. दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गंगानगर

९. दी किशनगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, किशनगढ़

१०. दी अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अलवर

११. दी भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा

(२) उपरोक्त बैंक में से रिजर्व बैंक के नियमानुसार अभी तक एक भी बैंक कार्य नहीं कर रहा है । इस सम्बन्ध में सहकारी विभाग से उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(३) इस बैंक की शेयर केपीटल तथा अन्य निजी पूंजी निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	नाम बक	हिस्सों की पूंजी	अन्य निजी पूंजी	तारीख रजिस्ट्रेशन
१.	दी बीकानेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बीकानेर	६७०	१४	१९-५-५१
२.	दी जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर	६२४०	५७	२९-६-५१
३.	दी सार्दूलगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सार्दूलगढ	५४५२	१६५	मई १९५१
४.	दी सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सीकर	२६७५	२८	जुलाई ५१
५.	दी कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कोटा	२०७८८५	५६९६८८	१९२७
६.	दी भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भरतपुर	७२३३	१४९६	अगस्त ५१
७.	दी जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जोधपुर	१७५	७०५	अगस्त ५१
८.	दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गंगानगर	४३४९४	७२९१७	१७-२-११
९.	दी किशनगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, किशनगढ	६६०	२२७२	१९४५
१०.	दी अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अलवर	११९२०	५८०२२	१-५-४१
११.	दी भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा	५००	००	२१-१-५३

श्री संतोषसिंह—आपने अभी बतलाया था कि रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार एक भी बैंक काम नहीं कर रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि इनके लिये कतई काम नहीं ह ?

श्री अमृलाल यादव--यह बात गलत है । काम नहीं करेगा तो बैंक फेल हो जायगा ।

श्री संतोषसिंह--इन बैंकों से किसने फायदा उठाया, क्या आप बतला सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव--जिन लोगों के लिये बैंक बनाये गये हैं उन लोगों ने फायदा उठाया है।

श्री संतोषसिंह--इनसे किसानों को जिनके लिये कि ये बनाये गये हैं कोई फायदा नहीं मिलता । दूसरे ही लोग इनसे फायदा उठा रहे हैं ।

श्री अमृतलाल यादव--यह बात सही नहीं है, किसानों को भी लाभ होता है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--जिन बैंकों को कायम हुये इतना अरसा हो गया है क्या आप उनको नियमानुसार आप काम करने लायक नहीं मानते ?

श्री अमृतलाल यादव--मेरे मानने का कोई सवाल नहीं है, रिजर्व बैंक के नियमों का सवाल है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--सरकार की क्या नीति है और क्या सुविधा देने का सोचा है ?

श्री अमृतलाल यादव--सुविधा देने न देने का कोई सवाल नहीं है, नीति स्पष्ट है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में पार्टी पोलिटिक्स काम करती है ?

श्री अमृतलाल यादव--जी नहीं ।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार अनुचित हस्तक्षेप दैनिक कार्यों में भी करते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--जी नहीं, यह बिलकुल गलत है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कृपया वे बतलावें कि उनके पास कोई इस सम्बन्ध में अपील हो रही है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--अपील का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--विधान के आधार पर कोई दखल दिया गया है और इस वजह से कोई अपील की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--नहीं, इस सम्बन्ध म कोई अपील नहीं है ।

Page No.17

श्री कुंवरलाल जेलिया—तो फिर अपील किस सम्बन्ध में हो रही है यह बतलाने की कृपा करें।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—बैंक में काम कम है इसलिये माननीय मन्त्री जी को बतलाने में हिचकिचाहट हो रही है।

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)—जी नहीं, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५०८ (३० आर. आर. एम.)

श्री कस्तूरचन्द—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में जंगल लगाने की क्या योजना है और किस तरह से जंगल लगाए जा रहें हैं और रखवाली के जुम्मेदार कौन हैं?

(२) राजस्थान में बिना नाम की जमीन के जागीरदारी एरिया में जो जंगल हैं उसके लिये रखवाली का प्रबन्ध क्या है?

(३) क्या ये जंगल स्टेट के हैं या जागीरदारों के?

(४) अगर ये जंगल स्टेट के हैं तो क्या जागीरदार लोग एक एक करके हजारों दरख्त नहीं काट रहे हैं?

(५) अगर काट रहे हैं तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)—(१) वन लगाने का काम दो हिस्सों में विभाजित होता है। पहला वह वर्ग जहां पर कि जंगल मौजूद नहीं है; जैसे कि पहाड़ियां, रेगिस्तान आदि। दूसरा वह वर्ग जहां वन तो हैं किन्तु उसे काट कर पुनः वन का रूप देना है।

नम्बर १ के सबन्ध में कम काम किया गया है। पंचवर्षीय योजना में रकम उपलब्ध होने पर इसका काम चालू किया जा सकेगा।

("सुनने में नहीं आया" की आवाज)

श्री अमृतलाल यादव—कृपया गौर से सुनिये। मैं तो जोर से ही बोल रहा हूं।

श्री कस्तूरचन्द—कृपया फिर से शुरू से ही पढ़ कर सुनाया जाय।

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)—(पहिले से आगे पढ कर सुनाया गया) पंच वर्षीय योजना में रकम उपलब्ध होने पर इसका काम चालू किया जा सकेगा। इस योजना के लिये पंचवर्षीय योजना में इक्कीस लाख पचहत्तर हजार रुपये रखे गये हैं। इस योजना में रेतीले स्थानों में वन लगाना मौजुदा जंगलों में खाली जगह भरना व चरागाहों में चराई की दशा में सुधार करना सम्मिलित हैं।

नम्बर २—मुख्तलिफ रियासतें जिनका विलीनीकरण राजस्थान में हुआ है उनमें अलग २ तरीके थे। जिन वनों में कटाई हो जाती थी उनमें वापिस रूखावली होनी चाहिये। राजस्थान के निर्माण से पहिले ही इस ओर आवश्यक ध्यान दिया गया। यही नहीं मवेशियों की चराई का मामला उलझा हुआ है। जब तक कि जो ऐरिया कट जाता है उसको सुरक्षित नहीं किया जावे यानि मवेशियों की चराई भी बन्द न रखी जावे तब तक जंगल की बहतरी में रुकावटें होती हैं।

(२) भूतपूर्व राजस्थान की जागीरों के जंगल वन विभाग के अधीन लिये गये और उनको सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही की जा रही हैं। दूसरी जगहों के लिये जहां कि जंगल जागीरदारों के आधीन हैं रीमूवल ओफ ट्रीज ऑर्डिनेन्स लागू है। इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार जंगलों की कटाई करने के लिये एस. डी. ओ. से आज्ञा प्राप्त करनी होती है।

(३) भूतपूर्व राजस्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थानों के जंगल जागीरदारों के आधीन ह मगर सरकार की आज्ञा के बिना वे जंगल कटवा नहीं सकते।

(४) दूसरी सूचना मिली है कि जागीर क्षेत्रों में वृक्ष अधिक संख्या में काटे जा रहे हैं और एस. डी. ओ. द्वारा ऐसी सूचना मिलने पर रीमूवल ऑफ ट्रीज ऑर्डिनेन्स के आधीन उचित कार्यवाही की जाती है। इन वृक्षों की पूरी रक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री कस्तूरचन्द—एस. डी. ओ. जागीरदारों से मिल कर एक एक करके वृक्षों को कटवा रहे हैं तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, क्या माननीय मन्त्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कस्तूरचन्द—यह भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है।

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)—अगर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है तो इसकी जानकारी की जायगी वैसे यह वन विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

श्री कस्तूरचन्द—बनेड़ा में भी इस तरह से दरख्त कट रहे हैं क्या यह मान कर चला जाय कि आप इसकी जानकारी करके उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—प्रश्नकर्ता स्वयं जानते हैं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

Page No.19

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सम्बन्धित मन्त्री महोदय ही इस सम्बन्ध में जवाब देंगे ?

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या एस. डी. ओ. भी इस प्रकार के जंगल कटाये जाने में शामिल हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—गैर तरीके से जो दरख्त काटे गये थे उनको रुकवा दिया गया है और इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है और फिर जब पूरी जानकारी प्राप्त हो जायगी तो इस विषय में एक्शन लिया जायगा ।

श्री रोशनलाल शर्मा—जो जंगल काट दिये गये हैं उनके लिये कानून के तरीके पर क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एस. डी. ओ. की इजाजत से वृक्ष काटे गये हैं । एस. डी. ओ. से पूछा गया है कि ऐसा क्यों किया गया था ?

श्री रोशनलाल शर्मा—ऐसी सूचना क्या पहले आपके पास थी ?

श्री कस्तूरचन्द—एस. डी. ओ. क्या ऐसी इजाजत दे सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—बिलकुल नहीं दे सकता । अब तो सवाल यह रहा है कि जो वृक्ष काट दिये गये हैं उस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है कि किस वजह से काट दिये गये थे ।

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेतीले स्थानों पर जो वृक्ष लगाने की योजना है वह प्रोपरली कब प्रारम्भ होगी ?

श्री अमृतलाल यादव(पुनः संस्थापन मन्त्री)—मैं आपको इस सम्बन्ध म बतलाऊं कि यह योजना पत्रों में निकल चुकी है । फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बतलाऊं कि जोधपुर म रिसर्च इन्सटीट्यूट है, बीकानेर के सरदार शहर और जयपुर के झुन्झुनू म इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही शुरु हो गई है । और भी जगहों का सव कराया जा रहा है और वह हो जाने पर इस योजना को पूरी तरह से अमल में लाया जावेगा ।

श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया कि बीकानेर म इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि बीकानेर म दरख्तों को काटा जा रहा है या नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं ।

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—कहीं कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसके लिए रोकथाम की जा रही है और सख्त कार्यवाही भी की जा रही है ।

श्री जसवन्तसिंह—मैं यह जानना चाहूंगा कि वृक्ष जो काट गए हैं उनके लिए क्या कार्यवाही की गई ह ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—चार दिन हुए अभी मैं बीकानेर गया था। वहां जोड़ बीड़ में से चोरी से काफी पेड़ काट लिये गये, उसकी जांच हो रही है। उस जांच के आधार पर ही जिन जिन लोगों ने वृक्ष काटे हैं उनको सजा दी जायगी। जब यह कार्यवाही पूरी होकर आ जावेगी तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि चोरी से वृक्ष काट दिए गए हैं तो क्या कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट ओफिसर्स की निगाह में होते हुए भी ये वृक्ष काट दिए गये और उन्होंने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—उनकी निगाह में होते हुए तो नहीं काटे गये हैं किन्तु चोरी से काटे गये हैं ?

श्री रोशनलाल—रात को काटे गए या दिन को?

(हंसी)

श्री कानसिंह—दरख्त जो काटे गये हैं उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हाथ होने के कारण तफतीश में लीपापोती की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—योजना के मुताबिक कितने वृक्ष लगाए गए हैं ? क्या संख्या बताई जा सकेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—संख्या तो मैं इस समय आपको नहीं बता सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सारी योजना में पेड़ लगाने के काम को छोड़ कर क्या बाकी सब काम पूरा हो जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—इसमें पेड़ लगाना ही मुख्य है।

श्री जसवन्तसिंह—वन महोत्सव सरकार द्वारा मनाया जाता है। क्या बीकानेर में भी ऐसी कार्यवाही की जाने के सरकार द्वारा कोई आदेश हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—वृक्ष लगाने के लिए इस प्रकार के महोत्सव द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। फ्री पेड़ भी दिए जाते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—पेड़ फ्री लेने की तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा वन महोत्सव मनाये जाने पर भी वहां पेड़ नहीं लगाये जाते हैं, क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

Page No.21

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा बीकानेर में वृक्ष नहीं लगाने के तो कोई आदेश नहीं दिये गये थे।

श्री गुरुदयाल सिन्धु--कितने पेड़ सप्लाई किये गये ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--संख्या तो मैं नहीं बता सकता।

श्री संतोषसिंह--माननीय मन्त्री जी ने बताया कि राजस्थान म वन महोत्सव के अन्तर्गत पेड़ लगाये जाते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि शेरगढ़ की इस असेम्बली तक धूल आ गई है तो वहां कब पेड़ लगा दिये जावेंगे ?

(हंसी)

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--शेरगढ़ भी इस योजना के अन्तर्गत आ सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या माननीय मन्त्री जी यह समझते हैं कि शेरगढ़ बीकानेर में है ?

(हंसी)

श्री कस्तूरचन्द--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बनेड़ा तहसील में जो जंगल कट रहे हैं उनकी रोक के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--आपके सवाल का जवाब ऊपर आ चुका है।

श्री कंवरलाल जेलिया--केवल लीपापोती का जवाब दे दिया गया।

श्री अमृतलाल यादव--बिलकुल नहीं।

श्री मनफूलसिंह--बीकानेर डिविजन में भी हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। वहां के बारे म आपका क्या जवाब है ? इसकी शिकायतें भी आपके पास बहुत बार की जा चुकी हैं।

श्री अमृतलाल यादव--माननीय सदस्य मेरे पीछे ही बैठे हैं। मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५११

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या राजस्थान सरकार सहकारिता के आधार पर राजस्थान सहकारी शीर्ष बैंक खोलने का इरादा रखती है ?

Page No.22

[श्री कंवरलाल जेलिया]

(२) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय कर दिया गया है ?

(३) क्या राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा बेंक रजिस्टर्ड हुआ है ?

(४) यदि हुआ है तो किस एक्ट के तहत और कब हुआ है ?

(५) क्या इस बेंक के हिस्से बेचे जा रहे हैं ? वे कितने हिस्से हैं ? कितनी पूंजी के बिक चुके हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—(१) हां ।

(२) अभी नहीं हुआ है ।

(३) बैंक बनाने का कार्य जारी है । ५०) का एक हिस्सा है । हिस्से बचने की कार्यवाही बैंक के रजिस्ट्रेशन के बाद से प्रारम्भ होगी ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह जो आपने पहिले प्रश्न का उत्तर बताया वह राजस्थान सहकारी शीर्ष बैंक किस जगह सरकार खोलने जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—इसके लिये तो अलग से ही प्रश्न पूछना आवश्यक होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—प्रश्न यह है कि किसी सहकारी बैंक ने शीर्ष बैंक बनने के लिय सरकार के सामने कोई प्रस्ताव पेश किया था ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां ।

श्री कंवरलाल जेलिया—किस बैंक ने ?

श्री अमृतलाल यादव—कोटा सहकारी बैंक ने।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार उत्सुक है इस पर अपना निर्णय करने के लिये पर उनकी गैर वाजिब मांगें मानने के लिये सरकार तैयार नहीं है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह आपने किस बिना पर जाना कि उनकी मांगें गैर वाजिब हैं ? आपको इसका कैसे यकीन हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव—यकीन का प्रश्न नहीं है । उनकी मांगे हमारे नियमों के माफिक नहीं हैं । ये सब चीज रिजर्व बैंक के पास जाती हैं । सरकार भी अपना हिसाब देखती है । इन सब बातों को देखते हुए यह मालूम हुआ कि उनकी मांगे गैरवाजिब हैं ।

श्री कंवरलाल जेलिया—उनकी कौनसी ऐसी बातें हैं जो कायदे के अनुसार नहीं हैं ?

श्री अमृतलालयादव—हां, बहुत सी बातें हैं जो कायदे के अनुसार नहीं हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो आप बताइये न श्रीमान ?

श्री अमृतलाल यादव—आप मेरे पास आइये, बरफ का ठंडा गिलास पीकर के.......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Why this extraordinary commotion between Members?

श्री अध्यक्ष—I will not allow the Ministers to give a tip to the Members.

श्री टीकाराम पालिवाल—उन्होंने अपनी ओर से ऑफर नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि आप स्वयं पीकर आइये।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि वह गैरवाजिब बातें रिजर्व बैंक की तरफ से निर्णय की गई या आपकी मान्यता के विपरीत होने से गैरवाजिब ठहराई गई ?

श्री अमृतलाल यादव—बात यह है कि उक्त बैंक ने कुछ ऐसी बातें और शर्तें सरकार पर इम्पोज़ करनी चाहीं जो सरकार कभी मानने को तयार नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—वह शर्तें क्या हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह अलग सवाल है, इसके लिये अलग नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह नियम है कि डाइरेक्टर नामजद किये जाएं ? क्या यह विधान के तहत ठीक है ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य का मतलब नहीं समझा।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार ने जो एक्ट इस सम्बन्ध में स्वीकार किया है और उसके अनुसार जो डाइरेक्टर्स इस शीर्ष बैंक में रक्खे गये हैं क्या उस एक्ट की तहत में हैं? वे अगर हैं तो वहां डाइरेक्टर्स को नामजद करने का सवाल कैसे आया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं अभी तक भी आपका आशय नहीं समझ पाया हूं।

श्री कंवरलाल जेलिया—श्रीमान्, आप जब शीर्ष बैंक बनावेंगे, उसकी रूप रेखा रक्खेंगे तो उसमें क्या डाइरेक्टर्स नामजद किये जावेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां। जब हम किसी बैंक को सारे राजस्थान के लिए प्रोमोट करने जा रहे हैं तो उस बैंक के मौजूदा डाइरेक्टर्स ही रहें, यह तो नहीं हो सकता।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो क्या सारे डाइरेक्टर्स नामजद होंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—इसके लिये नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री कंवरलाल जेलिया— क्या आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या माननीय सदस्य का भी इस बैंक में शेयर है ?

श्री कंवरलाल जेलिया—जी, कोई नहीं है ।

एक सदस्य— इस विषय में कब से कार्यवाही चल रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह जानकारी लेकर बता सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट,

प्रश्न संख्या ५१४

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या मंत्री, वन विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे-

(१) क्या कुछ महीनों पूर्व जागीरदार बानसी ने मोगा तालाब के पास से जंगल को कटवाया था ?

(२) क्या जंगल काटने के पूर्व जागीरदार बानसी ने वन विभाग की स्वीकृति ली थी ?

(३) यदि नहीं ली तो रेंज बानसी ने इस जंगल को काटने से क्यों नहीं रोका ?

(४) क्या यह सही है कि तहसीलदार बड़ी सादड़ी ने जंगल काटने की स्वीकृति दी थी ?

(५) यदि हां, तो क्या तहसीलदार को जंगल काटने की स्वीकृति देने का अधिकार था ?

(६) यदि नहीं, तो तहसीलदार के विरुद्ध क्या ऐक्शन लिया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव-(१) जागीरदार बानसी ने मोगा तालाब की ओर के जंगल से लकड़ी निस्फ पांती पर कटवाई थी। निस्फ लकड़ी काटने वाले ले गये व शेष लकड़ी कटारों ने ठिकाने में पहुंचाई।

(२) मोगा के तालाब के पास की जमीन रिजर्व या रक्षित वन नहीं है बल्कि आबादी के नजदीक बंजड़ जमीन है। इस रकबे से वन विभाग का सम्बन्ध नहीं है इसलिये वन विभाग की स्वीकृति लेने का सवाल पैदा नहीं होता ।

(३) क्योंकि यह रकबा वन विभाग के अधीन नहीं है, रेन्जर इसकी कटाई रोकने में समर्थ नहीं है ।

(४) लकड़ी काटने की तहसीलदार ने स्वीकृति दी या नहीं, इसकी अभी पूछताछ की जा रही है ।

[श्री अमृतलाल यादव]

(५) तहसीलदार को लकड़ी काटने की स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है। यदि जांच से यह पाया गया कि तहसीलदार ने अपने ही अख्तियार से स्वीकृति दे दी तो जवाब आने पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री रोशनलाल—ये जो जंगल कटाये गये वे खड़े थे या क्या थे ?

श्री अमृतलाल यादव—वे तो बैरानी थे ।

श्री रोशनलाल—ये जो जंगल कटाये गये थे उनकी लकड़ी रेल द्वारा बाहर भेजी गई थी, इसकी सूचना वन विभाग को समय पर दी गई थी; पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अर्ज किया अभी कि इसका वन विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रोशनलाल—तो फिर किससे सम्बन्ध है इसका ?

श्री अमृतलाल यादव—इसका माननीय सदस्य पता लगा सकते हैं। फिर भी मैं सूचना के लिये कह दूं कि इसका सम्बन्ध वन विभाग से नहीं होता, रेवेन्यु विभाग से होता है।

श्री रोशनलाल—अगर यह प्रश्न आपसे सम्बन्धित नहीं था तो आप इसे उनके पास भेज देते जिनसे इसका सम्बन्ध था ।

श्री अमृतलाल यादव—मुझको मालूम नहीं था कि आपकी यह इच्छा है। फिर भी मैंने काफी उत्तर आपको दे दिया है ।

श्री तेजमल बापना—कुछ वन ऐसे भी हैं जो रेवेन्यु विभाग के मातहत हैं, यह तो हम जल्दी से मालूम नहीं कर सकते ।

श्री अमृतलाल यादव—वन रेवेन्यु में कोई नहीं है। यह प्रश्न तो उस भूमि से सम्बन्धित है जो वन विभाग में नहीं है। इसलिये मैंने इसका पूरा जवाब दे दिया है ।

श्री रोशनलाल—आपने पूरा जवाब नहीं दिया है। यदि स्वीकृति से ही जंगल काटना था तो क्या तहसीलदार स्वीकृति दे सकता है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अपने उत्तर में साफ कहा है कि तहसीलदार को स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी तहसीलदार ने ऐसा किया है तो जांच की जाकर कार्यवाही की जावेगी।

श्री रोशनलाल—तो उस जंगल को कटाये कितना अरसा हुआ है; जांच का कुछ समय तो होना चाहिये ?

Page No.26

श्री अमृतलाल यादव—जांच के लिये समय तो लगेगा ही ।

श्री रोशनलाल—जंगल कट रहा है यह उसी समय सूचना आपको दे दी गई थी और आप कह रहे हैं अभी जांच हो रही है ।

श्री अमृतलाल यादव—यह तो माननीय सदस्य ने भाषण ही दे डाला। मैंने अर्ज किया तहसीलदार को जंगल काटने की स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है । अगर किसी तहसीलदार ने ऐसा किया है तो उसके बाबत मालूम किया जा रहा है ।

श्री रोशनलाल—यह मालूम कब तक हो जावेगा ? आप कितने अरसे से मालूम कर रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—बहुत जल्दी मालूम हो जावेगा ।

श्री रोशनलाल—मैं पूछ रहा हूं कितने अरसे से आप मालूम कर रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—अरसे का क्या सवाल है । जब से सरकार के नोटिस में आया तब से मालूम कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रमल वैद—अब मालूम करने में कितने साल और लग जावेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—साल नहीं चन्द दिन लगेंगे ।

श्री रोशनलाल—कितने दिन लगेंगे, यह भी बता दीजिये ? एक वर्ष के ऊपर तो हो गया है ।

श्री अमृतलाल यादव—हो गया, इसका सवाल नहीं है । अब कितना समय लगेगा यह प्रश्न है । सो मैंने कह दिया चन्द दिन लगेंगे ।

श्री रोशनलाल—इसके सम्बन्ध में शिकायत आपको कब मिली ?

श्री अमृतलाल यादव—पिछले अधिवेशन में ।

श्री रोशनलाल—तब से आपने अब तक क्या किया ?

श्री अमृतलाल यादव—गवर्नमेन्ट की ओर से जंगल काटने की मुमानियत की गई और जो शिकायतें आई उनकी जांच की गई ।

एक सदस्य—यह बिलकुल गलत है । यहां बीकानेर के मामले में अर्ज किया गया था कि वहां पर ५ हजार के लगभग दरख्त काटे जा चुके हैं पर आपकी तरफ से कोई प्रबन्ध न काटने का नहीं किया गया । आज भी सैकड़ों पेड़ रोज कट रहे हैं । आप जांच करें तो आपको मालूम हो ।

सदस्यों की अनुपस्थिति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मनफूल सिंह, डिविजन नम्बर ९६, ने दिनांक १७ मार्च से २० मार्च, १९५३ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि अनुपस्थित रहने की उन्हें स्वीकृति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष—आज्ञा प्रदान की जाती है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री भोलानाथ (यातायात मन्त्री)—Sir, I lay before the House as required by section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939, a copy of the Rules as amended by Government in pursuance of the powers conferred on them under section 68 of the Motor Vehicles Act, 1939.

(**विरोधी दल की ओर से ध्वनियें** "No programme.")

श्री कानसिंह—माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ पेश किया है वह कार्य क्रम में तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष—Papers to be laid on the Table; this is that.

(विराम)

विशेषाधिकार प्रस्ताव

I have received a motion of privilege given by Shri H.K. Vyas. The motion of privilege runs thus:

"The House do now proceed to dicuss the breach of privileges of this House caused by Shri Mohan Lal Sukhadia in having leaked out details of the Budget to the press before it was presented to this House."

He has also submitted a paper to support the motion, but I could not peruse the whole of it. I do not think it is a matter of grave public importance. So we can take it tomorrow.

श्री जसवन्तसिंह (विरोधीदल के नेता)—Sir, it is certainly a matter of importance. It may not be a matter of utmost importance that it should be taken today. I do not know whether it is a fact or not. But if the privilege is established to have been broken then it is certainly a very serious matter. If we set a firm example in our Assembly and if we go into the proceedings of

[श्री जसवन्तसिंह]

other Assemblies, I believe a very serious mistake has been committed by the Revenue Minister. As far as the question of the privileges of this House is concerned, it is indeed a serious matter. This may, of course, be not a matter of such utmost importance that it should be taken today. That is the question.

श्री अध्यक्ष—What I wanted to impress upon the House is whether it requires the attention of this House here and now. I wanted to ascertain myself whether a *prima facie* case is there for me to accord my sanction to this. After the paper was submitted to me I could not get any time to peruse it and see whether a prima facie case stands. The Member concerned also agrees that I can take it, for decision, tomorrow.

श्री जसवन्तसिंह (विरोधीदल के नेता)—One thing more, Sir. You will pelase further ascertain as to what procedure there is in other State Legislatures also; whether it should be taken up immediately after it is placed in the hands of the Speaker or it can be taken some time afterwards. Certainly the matter, if proved to be true, is a serious matter.

श्री अध्यक्ष—Because it was a matter, new of its type of this House, so I thought it proper to give a mature consideration and only then discuss it. We will also decide on this question of privilege as to what procedure should be adopted in such cases.

विधान-कार्य

जयपुर जिला-मण्डल (अवधि-विस्तार) विधेयक, १९५३

We now come to legislative business. The motion was moved yesterday regarding taking into consideration the Jaipur District Boards (Extension of Terms) Bill, 1953.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, भारतवर्ष में प्रजातन्त्र की स्थापना के बाद यहांकी समस्त जनता को ऐसा आनन्द सा प्रतीत हुआ था कि अब भारतवर्ष में सब जगह जनता का राज्य स्थापित हो जायगा। इसी संभावना से भारत के संविधान के अनुसार चुनाव-पद्धति का अनुसरण किया गया। उसके अनुसार पार्लियामेन्ट का चुनाव हुआ, प्रान्तों की असेम्बलियों का चुनाव हो गया और अब प्रान्तों में पंचायत, तहसील पंचायत व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव होना बाकी है। अध्यक्ष महोदय, गांवों की जनता का सम्बन्ध ज्यादातर पंचायतों से, तहसील पंचायतों से और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से रहता है। पार्लियामेन्ट और असेम्बलियों का जहां तक ताल्लुक है उनका गांवों के कार्य में ज्यादा दखल नहीं है। परन्तु पंचायत, तहसील पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जनता की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर उनकी पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है और किस तरह से

[श्री भैरोंसिंह (१६)]
जनता की, सरकार द्वारा मनोनीत संस्थाओं द्वारा सेवा की जा सकती है इस पर अच्छी तरह विचार करके जनता को अधिकाधिक सुविधा पहुंचाने का कार्य-क्रम बनाया जाता है ।

जिस वक्त राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ उससे पहले जयपुर रियासत में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का निर्माण हुआ था । जिस वक्त एकीकरण हुआ उस वक्त यह कह कर कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का पुनर्निर्माण होगा, उनको भंग कर दिया गया । मैं मिसाल के तौर पर सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उदाहरण पेश करूंगा । जनता का यह विश्वास था कि जो भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स की तौर पर मनोनीत किये जायेंगे उनसे जनता का भला होगा किन्तु जनता की यह भावनायें निर्मूल सिद्ध हुईं । उनको ज्ञात होगया कि जिस तरह आज शासन एक पार्टी के हाथ में है उसी प्रकार शासन यह चाहता है कि लोकल बोडीज पर भी उनका आधिपत्य हो । एकीकरण के बाद लोगों का यह ख्याल होगया था कि जल्दी से जल्दी चुनाव होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मनोनीत बोर्ड न रह कर इलेक्टेड बोर्डी होंगे और जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । जब कांग्रेस पार्टी की,श्री हीरालाल शास्त्री की सरकार का खात्मा हुआ और दूसरी सरकार कायम हुई तो उन्होंने देखा कि इस बोर्ड में महज शास्त्री सरकार के आदमी हैं, उन्होंने यह कह कर कि इस बोर्ड का पुनर्निर्माण होगा उस बोर्ड को Dissolve कर दिया । सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में २१ मेम्बर हैं । उन सारे मेम्बरों को शास्त्री सरकार के आदमी समझा गया । उनके प्रति किसी को कोई शिकायत नहीं थी । लेकिन ज्योंही गवर्नमेन्ट बदली दूसरी सरकार के समर्थकों को इस बोर्ड में लिया गया, उनको मनोनीत किया गया । मनोनीत करने में यह ख्याल रखा गया कि इनमें से कितने आदमी वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । उन्होंने तो सिर्फ यही ख्याल रख कर कि ये व्यक्ति इस सरकार के समर्थक हैं उनको मनोनीत कर दिया । उन्होंने यह भी ख्याल नहीं किया कि ये प्रतिनिधि समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं । उन्होंने तो यह ख्याल किया कि ये व्यक्ति सत्तारूढ पार्टी का समर्थन करते हैं, और जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को लाभ पहुंचा सकते हैं । यही ख्याल करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्माण किया गया । जिन लोगों को सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लिया गया उन २१ व्यक्तियों में से १७ व्यक्ति एक ही वर्ग के लिये गये हैं । २१ में से १७ व्यक्तियों का एक ही वर्ग से लिया जाना जनतन्त्रीय उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है । और उन १७ आदमियों में से १२ आदमी इस प्रकार के हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है । एक्ट का ज्ञान तो दर किनार रहा, दस्तखत करना तक नहीं जानते । वे किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कार्यवाहियों में भली प्रकार भाग लेकर जनता की भलाई के सुझाव दे सकते हैं । इनमें तीन-चार आदमी हैं जो पूरे बोर्ड को डोमीनेट (Dominate) करते हैं । इसका नतीजा आप यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अकाउन्ट्स जो उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा ।

सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जितने भी मेम्बर हैं उनका काम कुए खुदवाना, पाठशालाएं बनवाना है । पाठशालायें किस जगह बनीं, कुए किस जगह खोदे गये हैं, उस स्थिति को सरकार अगर जानना चाहे, और कोई मौके पर जाकर देखे, तो स्थिति मालूम हो जायगी कि कुए या तो खेतों के अन्दर होंगे या उन खेतों के आसपास होंगे, जिनके पानी से वे अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं । पाठशालायें बनवाने के सम्बन्ध में सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स को रुपया दे दिया गया और उनके कहने पर ही कि फलां

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

जगह एक पाठशाला बनवा दी जाय, पाठशालाएं बनवाई गईं। न उन्होंने निर्माण समिति कायम की और न अर्थसमिति और निर्माण समिति के संयोग से योजना बना कर कुए खुदवाने का, पाठशालाएं बनवाने का काम होना चाहिये था परन्तु नहीं किया गया। वहां केवल मेम्बरों को देखा जाता है कि इस मेम्बर को नाराज करने से पार्टी को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है तो उसको २-५ हजार रुपये मन्जूर कर दिये, किसी मेम्बर को कूए खुदवाने के लिये और किसी मेम्बर को पाठशालायें बनवाने के लिये। ४-५वर्ष में एक से दस हजार तक रुपये दिये गये। परन्तु आज तक निर्माण या अर्थ समिति को कोई एकाउन्ट नहीं दिया गया। जिस वक्त से सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना तब से लेकर आज तक किसी प्रकार का ऑडिट नहीं किया गया। जो लोगों को रुपये दिये गये उनमें से २५ प्रतिशत तो ऐसे हैं जिनके accounts वापिस आगये हैं बाकी ७५ प्रतिशत ऐसे हैं जिनका हिसाब वापिस नहीं आया है। इसके लिये कोई तकाजा नहीं किया गया है और तकाजा नहीं करने का कारण यह है कि वह किसी पार्टी से विमुख न हो जाय और तकाजा करने वालों की पोल न खोल दें।

डिस्ट्रक्ट बोर्ड में पार्टी बाजी के चन्द उदाहरण हैं। दांता रामगढ़ कॉन्स्टीट्युएंसी में दांतल नाम का एक गांव है, जहां कूआ खुद रहा था। १४ जनवरी को गांव में पोलिंग होने वाला था, उस रोज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्यकर्त्ता उस जगह पहुंचते हैं और वहां गांव वालों से कहते हैं कि यदि तुम हमे वोट दो तो हम तुम्हारे लिये कूए की मरम्मत में काफी रकम की सहायता दे सकते हैं। जब वे इस पर रजामन्द नहीं हुए तो उनसे कहा गया कि अगर तुम हमें वोट नहीं देते हो तो जो अगेन्स्ट में केन्डीडेट खडा हुआ है उसको वोट मत दो। वे इस पर रजामन्द हो गये, और तब उसही तारीख को उन्हें १७००रु० देने का वायदा किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उस गांव में ७०० वोटर्स थे उनमें से एक भी वोट देने के लिए नहीं आये। जब मैं उस गांव में गया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर कूए की मरम्मत की जिम्मेदारी तुम लेते हो तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कुए की मरम्मत के लिये दूसरी पार्टी की ओर से १७००रु० मन्जूर करने का आश्वासन दिया गया है इसलिये हम किसी भी पार्टी को वोट देने के लिये तैयार नहीं हैं। म जानता था उस गांव में कूए की बड़ी आवश्यकता थी, यह भी समझता था कि अगर वे मुझे वोट देने के लिए आयेंगे तो कुआ अधूरा रह जायगा और कूए में कई प्रकार की अडचनें डाली जायगीं। इसलिये मैं भी ज्यादा कह नहीं सकता।

एक दूसरे गांव दीनारपुरा में पाठशाला बनवाने के लिये २ साल से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कागजात चल रहे थे। एक साल बाद कागजात मन्जूर हुए। उस गांव में सारे के सारे बाशिन्दगान आजकल किसान सभा का कार्य कर रहे हैं और सब किसान सभा से अपना संबन्ध रखते हैं। इसही कारण कागजात एक साल से मन्जूर होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा उस गांव में पाठशाला बनाने के लिए जिन लोगों को सहायता देने का वायदा किया गया था, जिन लोगों के हक में कागजात मन्जूर हुए थे, वह रुपया उनको नहीं दिया गया। आज भी वह गांव बिना पाठशाला के पडा हुआ है। जितनी भी ऑपोजिट पार्टियां हैं उनकी किसी न किसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा दी जा सकने वाली सहायता में से किसी भी प्रकार की सहायता न दी जाय, उनका सिद्धान्त है।

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

मैंने सुना है कि सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में एक रिजोल्यूशन पास कियागया है कि जिस तहसील में जागीरदारों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस नहीं दिया है उस तहसील की जनता को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मदद नहीं दी जाय। तहसील दांता रामगढ़ में बड़े बड़े जागीरदारों ने सेस नहीं दिया है। सेस नहीं देने के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड Act को हाई कोर्ट में चलेन्ज किया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ स्टे ऑर्डर ओब्टेन (obtain) कर लिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा गरीब काश्तकारों से, गरीब राजपूतों से गरीब भोमियों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस वसूल कर लिया गया है। यदि जागीरदारों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कोई मदद नहीं दी जाय तो ठीक है। लेकिन गरीब भोमियों से, गरीब काश्तकारों से जो इस प्रकार के टेक्स (Taxes) बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक सा कानून लागू करना जनतन्त्रवाद की हत्या करना है। इसलिए मैं इस बिल को, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक्स्टेन्शन ऑफ टर्म (Term) के लिए यह प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर जनता का दरअसल विश्वास है, वे दरअसल में उनका प्रतिनिधित्व करते हों तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मियाद बढाया जाना उचित था, परन्तु ऐसा न होने की सूरत में executive की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार चाहती है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए एक सा कानून इस सदन द्वारा पारित होकर अमल में नहीं आये तब तक एक्स्टेन्शन करने की आवश्यकता है तो भले ही बहुमत के आधार पर इसको पास करदे, परन्तु मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता इसका स्वागत नहीं करेगी।

श्री मुक्तिलाल—माननीय अध्यक्ष,इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में माननीय मंत्री साहब ने जो बिल रखा है उसके बारे में मैं यह कहूं कि जब जयपुर डिस्ट्रिक्ट था उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर में बने थे। उसके बाद राजस्थान बना। राजस्थान बनने के बाद जयपुर डिविजन में ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। दूसरे डिविजनों में उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर किसी में भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं हैं। काश्तकारों से एक आना फी रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वसूल किया जाता है, और उस रुपये का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाता है क्यों कि जब जयपुर स्टेट थी तब भी यह रुपया वसूल करके उस रुपये का उपयोग और दुरुपयोग होता था। अब भी, राजस्थान बनने के बाद भी, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही कई एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं; सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर और झुन्झनू। बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नही बने हुए हैं और न उनसे सेस वसूल किया जाता है। तो क्या मैं यह माननिय मंत्रीजी से प्रार्थना करूं कि यह जो बिल रखा है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए है तो जयपुर डिविजन के सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ही क्यों नहीं खत्म कर दिया जाय ? जब पंचायतों का चुनाव हो तो उसी आधार पर बाद में चुनाव होने पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये जायें। जब एक ही डिस्ट्रिक्ट में यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में नहीं बने हुए हैं तो इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खोल रखे हैं वहां रुपयों का क्यों दुरुपयोग किया जाता है ? मैं आपको बताऊं कि जब जयपुर डिस्ट्रिक्ट था तब झुन्झनू के अन्दर करीब ५० हजार नौकरों के वेतन का खर्चा था; ५० हजार का खर्चा, जो मेम्बर लोग थे उनके जाने आने के अलाउन्स का था। बाकी वहां कुछ भी काम नहीं था। ५-७ कूए ५ सालों में बनवा दिये,-२-३ वाचनालय खोल दिये, १-२ स्कूल खोल दिये, २-४ रास्ते सुधार दिये, तो क्या हुआ। जो रुपया

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

था उसका दुरुपयोग हुआ था। मैं भी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड झुन्झुनू का मेम्बर था। मैं आपको बताऊं उस रुपये से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ था। किसानों से रुपया लेकर उस रुपये का दुरुपयोग किया जाता था। परन्तु आज किसानों के लिए हमें कहा जाता है कि किसानों का फायदा होगा। आज किसान कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस हमसे नहीं लिया जाय क्योंकि हमको इससे एक पैसे का भी फायदा नहीं है; हमारे बच्चों को न तो छात्र वृत्तियां मिलती हैं, जो स्कूल खोले जाते हैं वे भी उस जगह नहीं खोले जाते हैं जहां कि हमारे बच्चे पढ़ सकें। वे, जिन मेम्बरों का इन्ट्रेस्ट होता है, उन्हीं गांवों में खोले जाते हैं, उन्हीं गांवों में कूए खोदे जाते हैं, उन्हीं गावों में वाचनालय खोले जाते हैं, औषधालय खोले जाते हैं। परन्तु किसानों से कोई नहीं पूछता है कि उन्हें क्या तकलीफ है और तुमसे कितना इनकम टैक्स वसूल किया जाता है क्या तुम्हारे लिये कोई स्कूलें या वाचनालय वगैरा खोले जाते हैं या नहीं ?

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य होने के बाद वहां पर उनके सामने पार्टी का प्रश्न आता है। वहां पर दो-तीन पार्टियें बन जाती हैं और वे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इसका फायदा, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सरकारी नौकर होते हैं वे उठाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि कुछ सदस्य हमारी तरफ हैं कुछ दूसरी तरफ हैं। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खत्म कर दिया जावे और जब चुनाव हो तब चुनावों को लड़कर जो सदस्य आवें तब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम किये जावें।

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं चाहता कि मुझे माननीय सदस्यों को बोलते समय टोकना पड़े। मैं उनका ध्यान, हाउस की जो मर्यादायें हैं उनकी और आकर्षित करना चाहता हूं। जो यह वाद-विवाद हो रहा है वह केवल सैद्धान्तिक मत-भेद पर हो रहा है। अभी यह वाद-विवाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक्स टन्शन के बारे में हो रहा है तो हमें इसके सिद्धान्तों तक ही सीमित रहना चाहिये, न कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्यों कायम किया गया है, कितने सदस्य हैं, कैसे सदस्य हैं, खर्चा कैसे चलता है, कैसे खर्चा करते हैं, काम कैसे करते हैं आदि; यह सब दूसरे विषय हैं। ये विषय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आंतरिक क्रम से संबंध रखते हैं। इसलिये जो माननीय सदस्य बोलते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि वे जो बातें कहते हैं सिद्धान्तों के अंतर्गत आती हैं या नहीं? इसलिये मैं यह कहूंगा कि सदस्य समय का और इस बात का ध्यान रखें कि बोलते समय वे वही बातें कहें जो लिमिटेशन में आती हों। वैसे तो सिद्धान्त के रूप में आप सारे दोष बताकर भी कह सकते हैं, मगर वह दूसरी बात हो जावेगी। आपको बोलते समय सिद्धान्तों पर ही सीमित रहना चाहिये।

कर्नल श्री दलीपसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, अभी दो सदस्य अपना भाषण दे चुके हैं और माननीय मंत्री महोदय हाउस में नहीं थे। अब तीसरे सदस्य बोल रहे हैं। यदि हमें अपने भाषणों को दिवारों को सुनाना हो तो दिवारों को सुनादें। मंत्रीजी रहें तो ठीक है ताकि हमारी बातों का जवाब दे सकें, वरना हम लोगों का बोलना कोई वकत नहीं रखता।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष मैंने दोनों सदस्यों के भाषण सुने और नोट किये हैं और उनका जवाब दूंगा।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, अभी श्रीमान् जी ने डाईरेक्शन्स दिये कि सिद्धान्तों (प्रिन्सिपल्स) पर बोला जावे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कमियां नहीं बताई जावें तो अध्यक्ष महोदय, बड़े आदर के साथ मुझे यह निवेदन करना पड़ेगा कि कम से कम हमको यह तो बताना ही पड़ेगा कि हम किस वजह से, किस कारण से जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अवधि बढ़ाने पर ऐतराज कर रहे हैं। इसलिये हमको कुछ तो डिविएशन करना ही पड़ेगा क्योंकि यह एक बहुत ही अहम मामला है क्योंकि बाहर जाकर ये लोग प्रचार करेंगे कि सदस्य लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मयाद बढ़ाने तक का विरोध करते हैं। इसलिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम फेक्ट्स को प्रकाश में लावें। इसलिये श्रीमान जी आप थोड़ा स्कोप जरूर दें। इन चन्द शब्दों के बाद में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (एक्सटेन्शन ऑफ टर्म) बिल, १९५३, सदन के सामने पेश हुआ है उसके लिये यह अर्ज करूंगा कि इस बिल को इस समय सदन के सामने लाना सिद्धान्ततः गलत है और यह गलत प्रस्तुत किया गया है।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किस तरह कायम हुआ; सब से पहले मैं इस बात पर जाऊंगा और बताऊंगा कि जयपुर में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पास किया गया था उस समय क्या बात सोच समझ कर इसको पास किया गया था। जिस समय यह एक्ट पास किया गया था उस समय वी. टी. कृष्णामाचारी थे और वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट का आइडिया (Idea) मद्रास से लेकर आये थे। उनका यह ख्याल था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम होने चाहिये ताकि जनतन्त्र की शुरुआत हो सके और उन्होंने जयपुर लेजिस्लेटिव कौन्सिल की राय से सभी पार्टियों के आदमी नामजद किये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपना काम शुरु किया। उसके बाद राजस्थान बना। राजस्थान बनने के बाद नया मन्त्री-मण्डल बना और जब उन्होंने यह देखा कि उनके पक्ष के सदस्य इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नहीं हैं तो उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को डिजोल्व किया और नया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम किया। इसमें जो सभी पार्टी के रिप्रेजेन्टेटिव थे उनको खतम किया और केवल अपने ही दल के आदमी उसके अन्दर रखे। हमारा जो इस बिल को विरोध करने का खास मकसद है वह यह है कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो राजस्थान में है वह एक पार्टी विशेष को ही रिप्रेजेन्ट करता है। अब राजस्थान में आम चुनाव हो चुके हैं और जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है वह बहुत थोड़ी मेजोरिटी के वोट्स से सत्ता धारण किये हुये है. अगर सारे वोटरों के वोटों को जोड़ा जावे तो वे माइनोरिटी में आये थे। अभी दो, चार, पांच वोटरों के बल पर कांग्रेस सरकार चल रही है। मगर मैं यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तो सेन्ट पर्सेन्ट कांग्रेस के सदस्य ही हैं। मेरे मित्र इस बात को चैलेंज करेंगे कि यह बात सही नहीं है और कहेंगे कि दो चार इन्डिपेन्डेन्ट आदमी भी हैं। मगर मैं कहूंगा कि जिनको वे इन्डिपेन्डेन्ट सदस्य कहते हैं उन्होंने नोमिनेट होने के बाद पार्टी को छोड़ा है। इसके अलावा यदि मैं यह कहदूं तो गलत नहीं होगा कि उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। जो इन्डिपेन्डेंट व्यक्ति बतलाये जाते हैं, वे मन्त्री महोदय के साथ कन्धे से कन्धा जुड़ा कर काम कर रहे थे जिस रोज उनका नोमिनेशन किया गया था। इसके अलावा जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत ऐसी है, जिसका ज्यादा तो मैं क्या वर्णन करूं मगर दो चार मिसालें ऐसी दूंगा जिससे मैं अपने कथन की पुष्टि कर सकूं कि क्यों न इस बात को सरकार सोचे कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सटेन्ड क्यों किये जावें ?

[श्री मानसिंह महार]

जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बासा नाम का एक गांव है। वहां पर सार्वजनिक औषधालय चल रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पार्टी विशेष के आदमी होने के कारण और चुनावों में पार्टी विशेष को मदद देने के कारण इस गांव में दूसरा औषधालय चुनावों से पहले खोल दिया गया और अभी भी वहां पर काम कर रहा है।

मन्त्री महोदय इन बातों को नोट करलें। मैं जो कुछ कह रहा हूं। तथ्य के आधार पर कह रहा हूं। बासा के पास मानपुरा, रूंडल, महार, बेटवाल और मोरीजा आदि बड़े-बड़े गांव हैं। उनमें औषधालय नहीं खोले गये। पर बासा, जहां औषधालय पहले से मौजूद था, वहां औषधालय खोला; सिर्फ वोट हासिल करने के लिये।

चुनाव के समय में मैं मालपुरा की एक मीटिंग में चला गया था। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि एक सज्जन बोर्ड के सदस्य बंधगी करने वाले थे। उन्होंने ऑपोजीशन की मीटिंग में खड़े हो कर कांग्रेस केन्डीडेट का समर्थन किया और कहा कि हम लोग तो सरकार के नौकर नहीं हैं हम खुलेआम हमारे जचेगी उसका प्रचार करेंगे। आप चाहें तो इसकी जांच इलेक्शन ऑफिसर द्वारा करवा सकते हैं, यह बिलकुल सत्य बात है। इस तरह यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पार्टीबाजी के अड्डे हैं। मालपुरा डिस्ट्रिक्ट के चेयरमेन के लिये एक जीप तैनात है। उस जीप को बोर्ड के वाइस चेयरमेन अपने काम में लेते हैं। वह जीप इस वक्त आप चलिये और देखिये गवर्नमेन्ट होस्टल में पड़ी हुई है, मैं जो कहता हूं फेक्ट्स के आधार पर कहता हूं उसके नम्बर हैं आर. जे. एक्स. ४९। वहां बोर्ड में चेयरमेन की कुछ नहीं चलती वाइस चेयरमेन जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं। हां, जो मैंने जीप का कहा वह जीप नहीं लेन्डरोवर है, आर. जे. एक्स. ४९। इस वक्त भी पड़ी हुई है। असेम्बली के नीचे भी मेम्बर साहब को लेने के लिये आ गई हो तो ताज्जुब नहीं। इस तरह के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं और हमें कहा जाता है कि इनको कायम रखने की मन्जूरी दो, जनतन्त्र की हत्या की जाय और हमें कहा जाय कि इसे मन्जूर कर लो। हम इसके लिये हर्गिज तैयार नहीं हैं।

मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तयार कर रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को डिजोल्व कर दें। आप उनमें सब पार्टियों को रिप्रेजेन्टेशन दीजिये। सब पार्टियों के आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में रहेंगे तो इससे जनतन्त्र का विकास होगा। अगर सरकार इस प्रकार की नीति अपनाने में असमर्थ है तो.........

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अध्यक्ष महोदय यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट मसला है, पांच मिनिट तो और मिलने चाहियें।

श्री अध्यक्ष—Three minutes.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—अगर मन्त्री महोदय दूसरी पार्टियों को रिप्रेजेन्टेशन देने में घबराते हैं तो हम तो यह मानने को तैयार हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को डिजोल्व करके एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें जो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं नये चुने जायं तब तक इनको चलायें ताकि जनता यह तो महसूस करेगी कि किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं।

[श्री मानसिंह महार]

झुन्झुनू-सीकर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में ९० प्रतिशत सदस्य जाट हैं। आप नोट कर लीजिये। यदि जाट न हों तो आपका जी चाहे वह कीजिये। मैं तथ्य और आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं।

इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूं कि जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ६० स्कूलें खोलने की योजना रखी गई थी। वे स्कूलें खुल भी जातीं परन्तु मास्टरों के अपॉइन्टमेन्ट के बारे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों में खींचातान की वजह से वे स्कूल अब तक नहीं खुल सकी हैं। यह फैक्ट है, हमारे मिनिस्टरों को मालूम है। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर भी उनकी मियाद बढ़ाने की जो बात की जाती है, यह अन्याय है।

जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जब से यह बात चली है कि इसे फिर से रिकॉन्स्टीट्यूट किया जायगा तब से इन तीन महीनों में इतने ठेके दिये गये हैं कि इस बोर्ड के कायम होने के बाद से आज तक इतने नहीं दिये गये। क्योंकि मेम्बर्स को मालूम होगया है कि हम अब जा ही रहे हैं तो अपने साथियों की परवरिश का रास्ता तो जाते जाते निकाल जायं। जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में खुले आम बातें हो रही हैं कि पार्टी विशेष के आदमियों को ठेके दिये जाते हैं। स्कूलें खोली जाती हैं तो उनके मास्टरों को तीन-तीन महीनों तक तनख्वाह नहीं दी जाती। इस तरह की अव्यवस्था से जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जनता परेशान है। वह चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सब पार्टियों का रिप्रेजेन्टेशन हो, ऐसा होना जरूरी है।

जिस दिन जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम हुआ था उस दिन एक जेन्टलमेन का वादा था कि इसमें सब पार्टियों के आदमी रहेंगे। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रिकॉन्स्टीट्यूट इसलिये किया जा रहा है कि जिस दल ने इसे बनाया था वह माइनोरिटी में आ गया है, दूसरा दल सत्तारूढ़ हो गया है; यह तथ्य है।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पैसे दिये गये हैं और अभी कुछ और मिलेंगे क्योंकि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस प्रेसीडेन्ट सत्तारूढ़ दल के आदमी हैं; पर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पैसे नहीं दिये गये हैं क्योंकि वहां पर, जो दल सत्तारूढ़ नहीं है उसकी मेजोरटी है।

ये सब सत्य बातें हैं। मन्त्री महोदय जिस समय कहेंगे कि इस बिल को पास किया जाय उस समय मैं यह सवाल करूंगा। यही दो शब्द कह कर मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि वे हर्गिज इस बिल को पास न करें।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दामोदरलाल व्यास—On a point of Explanation, Sir, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मालपुरा की जीप के बारे में माननीय सदस्य (जमुआ रामगढ) ने बताया कि उसका मिसयूज किया जाता है; यह बिलकुल झूठ है। आज जीप जरूर आई है। हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रिट के मुकद्दमे की पेशी है, बोर्ड के सेक्रेटरी और स्टाफ को लेकर जीप आई है न कि वाइस प्रेसीडेन्ट को लेकर आई है। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के काम आती है, बोर्ड के चेयरमेन व अन्य अधिकारी

[श्री मानसिंह महार]

इस जीप को दौरा करने के काम में लेते हैं। जो आरोप लगाये गये हैं, बिल्कुल गलत हैं। माननीय सदस्य ने यह नहीं देखा कि जहां RJ×49 खड़ी है वहीं पर वाइस चेयरमेन की निजी जीप RJ×137 भी खड़ी है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—जो बातें मैंने कहीं हैं वे बिल्कुल सही हैं। वह गाड़ी एसेम्बली सेशन के टाइम में हमेशा गवर्नमेन्ट होस्टल में पड़ी रहती है।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सम्बन्ध में जो एमेन्डमेन्ट लाया गया है उसका कुछ मित्रों ने विरोध किया है और विरोध करते समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो सिद्धान्त हैं उनके बारे में वे नहीं बता सके कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स चलते रहने चाहिये या नहीं? उन्होंने केवल विरोध किया इस बात का कि वह मशीनरी जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स चला रही है इस प्रकार की नहीं है जिसके प्रति संतोष प्रकट कर सकें। इसलिये उनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को कायम रखने का विरोध हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को कायम रखने के प्रश्न पर कुल हाउस एक मत है, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरे विरोधी मित्रों ने यह माना है कि शास्त्री सरकार ने पुराने व्यक्तियों को हटा दिया और दूसरे प्रकार के व्यक्ति नियुक्त किये। उसके बाद सर बी. टी. के समय में जो व्यक्ति थे उनको दुबारा लाया गया। वे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो रहें; लेकिन उनका रीकॉन्स्टीट्यूशन हो मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सवाई माधोपुर का उप प्रधान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को मानता हूं। कुछ मित्रों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर आरोप लगाये हैं। मैं उनको लान्छन मानता हूं। भविष्य में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव होंगे तब यदि उन्हें पहले ही भंग कर दिया गया तो चुनाव के समय ग्रामीण जनता को बहकाया जायगा कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड्स के पुराने सदस्यों का काम अच्छा नहीं था इसलिये उन्हें भंग किया गया और इस तरह वे सारी मशीनरी अस्तव्यस्त कर देंगे। इस एमेन्डमेन्ट द्वारा केवल उन बोर्डों का समय बढाया जाने वाला है जो पहले से चल रहे हैं, जिनकी देख रेख में पचवीसों औषधालय चल रहे हैं, जहां हजारों लोगों को नित प्रति औषधियां मिल रही हैं। कई स्कूलें चल रही हैं, कई सडकें बन रही हैं और हजारों रुपये जनता के हित के लिये खर्च किये जा रहे हैं। यदि आज इस एमेन्डमेन्ट बिल को अस्वीकार किया जाता है तो परिणाम यह होगा कि जो सरकार आज सत्तारूढ है उसके प्रति ग्रामीण जनता में गलत धारणा हो जायगी और जनता को भी नुकसान होगा। जो फायदा इन बोर्डों से मिल रहा है वे उससे महरूम रह जायेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ७ लाख रुपये मौजूद हैं फिर भी हम बहुत संभलकर पैर रखते हैं। हमारे यहां के कई लोगों की राय थी कि हम सात-आठ वर्षों से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हम अपने बोर्ड के लिये एक जीप खरीद लें लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद भी अब तक हम जीप खरीदने का तय नहीं कर सके। मेरे मित्र ने जयपुर और अन्य स्थानों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में बहुत कुछ फरमाया, पर सवाई माधोपुर के बोर्ड के प्रति उन्होंने सहानुभूति प्रकट की। लेकिन शायद उनको ज्ञात नहीं है कि १ लाख ३० हजार रुपये सबसिडी के हमारे बोर्ड को गवर्नमेन्ट द्वारा देने की सूचना हमारे यहां पहुंच चुकी है। और बोर्डों को भी सबसिडी मिलनेवाली है, वह मिलेगी। सरकार प्रत्येक डिस्ट्रिक बोर्ड को सम्मान की दृष्टि से देखती है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। यह बात सही है कि प्रत्येक व्यक्ति दूषक।

[श्री श्रीदास गोयल]
धुला नहीं है और प्रत्येक का चरित्र ऊंचे स्तर का नहीं है। किसी व्यक्ति से कुछ त्रुटी हो सकती है। किन्तु कई लोग अंतःकरण के सच्चे भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में योग्य, सुचारू रूप से काम करने वाले और जनहित की भावना रखनेवाले लोगों को जरूर लेना चाहिये। लेकिन इस एमेन्डमेन्ट को अस्वीकार करदेना तो, जो मशीनरी आज काम कर रही है उसे सर्वथा क्षति पहुंचाना होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में काम करनेवाले एकही जिले में रहनेवाले होते हैं और एक दूसरे के मित्र होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कई सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा था पर हम वहां पर आपस में मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं और सब मिलकर जनहित का कार्य करते हैं।

डेमोक्रेसी में इस तरह की बातें रात-दिन चला ही करती हैं। विचार-धाराएं एक दूसरे की बदलती ही रहती हैं। लेकिन मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे मित्रों ने यहां जो कुछ फरमाया उनके पीछे कुछ और ही भावनाएं होती हैं। छोटी २ बातों को लेकर कुछ कटु आलोचना को सीमा तक पहुंचाना वांछनीय है।

श्री ईश्वरीसिंह—उपाध्यक्षजी, मैं भी थोड़ो बोलनो चाहूं हूँ। आ के बात है कि आप लोग निराधार शिकायत कर रया हो। डिस्ट्रिक्ट बोर्डा में एक ही कबीला रा लोग जो एक ही गांव का रहण वाला है वणांने लेलिया गया है जो आपस में एक दूसरा रा शत्रु नहीं है। जद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम हुओ उण वखत आ बात कई गई ही कि एक आनो थे देवो और एक आनो सरकार देवेली और विण रकम सूं स्कूलां खोली जावेली और और भी कई सुधार रा काम किया जावेला। पहली साल कुछ गांवां सूं रुपया वसूल किया। दूसरी साल ५०-६० गांवां में और प्रचार कियो, तीसरी साल और कुछ गांवां में कियो, पर काम करणावाला और खर्च करणावाला लोग है और एक ही कबीला रा लोग उणसूं फायदो उठारिया है। मेरो यो केणो है कि सरकार इणरी जांच करवाले कि आ झूठी बात है या सच्ची। सीकर में भी इयाण कोही काम हो रयो है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स सूं सब को फायदो नहीं हो रहयो है। पंचायतों से गांव वालों ने तो फायदो होवे पर अठे तो एक ही कबीला रा लोगों ने फायदो होवे। इण कबीला री सहायता कांग्रेस वाला कर रया है। कोई तो जोड़ी के नाम पर और कोई कूए के नाम पर हजार दो हजार रुपयां रो चन्दो उगाय लेजावे और कोई स्कूलों रे नाम पर दो चार हजार लेजावे और अपणे कबीले ने फायदो पुंचावे। दूसरे लोगों ने एक पइसा रो भी फायदो नहीं होवे।

श्री कानसिंह—इस वक्त हमारे सामने जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मयाद बढ़ाने का सवाल है। पूर्व वक्ताओं से जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बनने की बात हमने सुनी और उससे हमें मालूम हुआ कि किस कदर पोल जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में चल रही है। मुझे खुशी है कि मेरे लायक दोस्त गोयलजी ने जो कुछ बात सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की बतलाई, उसके बारे में जो कुछ कहा जिससे हमें मालूम हुआ कि वहां ऐसी पोल कम मालूम होती है किन्तु जो धांधलेबाजी और पोल इस डिविजन में है वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जयपुर की पोल हमेशा से मशहूर रही है और उस पोल में अगर शास्त्री मिनिस्ट्री के गुर्गों को मौका मिल गया तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि अब व्यासजी या मौजूदा सत्तारूढ़ जो सरकार है उनको उससे वंचित रखा जाय? अंग्रेजी में एक कहावत है कि मेक हे वाईल

[श्री कानसिंह]

दी सन शाइन्स (Make hay while the sun shines)। खैर। ये बात तो हुआ ही करती हैं। अब सवाल यह आता है कि अब मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मयाद बढ़ाना अनिवार्य है या इसके लिए और भी कोई सुझाव हमारे सामने हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे सदन के सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल पेश है और शीघ्र ही, जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है पेश होने वाला है और उसके तहत चुनाव होंगे ही। ऐसी हालत में जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मयाद बढ़ा कर कार्य चालू रखना ठीक प्रतीत नहीं होता। बहतर तो यह होगा कि और जैसा कि प्रोविन्शियल और सेन्ट्रल सरकार द्वारा किया गया था और जैसा कि सब जगह अब भी अवसर होता है, चुनाव के दौरान में केयर टेकर या एडहॉक गवर्नमेन्ट (care taker or ad. hoc Government) मुकर्रर कर दी जाती है, उसी प्रकार केयरटेकर अथवा एडहॉक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बना दिए जाएं और यदि यह भी स्वीकार न हो तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो शासन हैं उन्हें सरकार अपने हाथ में ले ले और पांच-सात जगह दो-चार महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त कर दे। इससे किसी भी पार्टी को शिकायत भी नहीं होगी और दो-चार महीने काम भी ठीक तरह से चल सकेगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल, १९५३ जो सदन में शीघ्र ही विचारार्थ पेश होने वाला है, के तहत बाद में शीघ्र ही चुनाव हो जावेगा। लेकिन खासतौर पर यहां जोर दिया गया है और दिया जाता है कि "इसकी अवधि बढ़ा दी जाय"। इससे हमें भी शुबहा होता है कि सरकार का इरादा शक से खाली नहीं है इस प्रकार बिना कारण जोर देकर क्यों सदन का समय नष्ट (waste) किया जाता है। सरकार को अच्छी तरह से विदित है कि इस एक बिल को यहां लाने में सरकार को कितना खर्च करना पड़ा होगा और एमेम्बरों का कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा। अगर चाहा जाता तो दूसरी तरह से इन्तजाम किया जा सकता था। और किसी पार्टी को शिकायत भी नहीं हो सकती थी। मैं समझता हूं और मेरा ख्याल है कि सरकार का जो यह कदम है वह किसी मकसद को लिये हुए है और उसको पूरा करने के लिए इतना जोर दिया जाता है। मैंने आपको सुझाव दिया है कि या तो एडमिनिस्ट्रेटर्स या ad hoc committees नियुक्त कर दी जाय या तमाम पार्टीज़ के प्रतिनिधियों को मुकर्रर कर दिया जाय, ताकि काम सुचारु रूप से चल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर गौर फरमाएंगे। यह नहीं समझा जाय कि चूंकि मैं विरोधी दल की ओर से यह सुझाव दे रहा हूं इसलिए इसको मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। मैंने जो विरोध करने की नियत से इसको नहीं रखा है। मैंने तो गुड फेथ (good faith) में यह सुझाव आपके सामने रखा है। आप मानें या न मानें, यह आपकी मर्जी है।

श्री भीमसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस बिल की मंशा उस एजेन्सी को चालू रखने की नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का संचालन करती रही है; किन्तु इस बिल की मंशा प्रतिदिन के प्रशासन को, जो उस एजेन्सी के द्वारा किया जा रहा है चालू रखने की है। वास्तव में ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक किस्म के "मीन्स टू एचीव एंड (means to achieve end)" हैं। इस बिल की मन्शा या इस बिल का उद्देश्य जैसा कि इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में लिखा गया है "प्रतिदिन के प्रशासन के संचालन को दृष्टि से" प्रशासन को संचालित रखना है। अब यह देखना है कि आज जो यह

Page No.39

[श्री भीमसिंह]

एजेन्सी है वह वास्तव में उस कार्य को, उस प्रशासन को सचालित कर रही है या नहीं। अगर वह एजेन्सी उस प्रशासन को संचालित नहीं कर रही है तो उसे सर्वथा सर्वथा निरर्थक है। इस वक्त हम यह देख रहे हैं कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इस कार्य को अपने मद्दे नजर रख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव सामने आने वाले हैं उनमें वे अपने आपको किस तरह सफल बनाएं; यही उनका लक्ष्य बना हुआ है।

अगर इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव हुए होते तो हम मान सकते थे कि कम से कम वे लोग जनता की आवाज को लिये हुए हैं। पर ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक बार नहीं, दो-दो बार मनोनीत किये गये हैं और जैसे जैसे इस सरकार को इच्छा की पूर्ति होती गई उनको मनोनीत करते गये। ऐसी सूरत में यह कहना कि उनकी मियाद नहीं बढ़ाई जावेगी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भर के राज मर्रा के काम में दिक्कत आवेगी और गांव वालों को दिक्कतें बढ़ जावेंगी। हम यह मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि यह काम तो दूसरे भी जरियों से किया जा सकता है। जैसा कि पहले के मेरे साथी वक्ताओं ने बताया था वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। गवर्नमेन्ट की मशीनरी को हम किसी भी पार्टी की मशीनरी नहीं कह सकते। एस. डी. ओ. वहां के या और कोई उस काम को चला सकता है, हम में से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। पर आज जो मेम्बर्स हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, वे सब एक पार्टी के मेम्बर्स हैं और खुद के स्वार्थों को लिये हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर काम ज्यादा खराब कर देगा। ऐसा अगर कहा जावे तो आज जो मेम्बर हैं, अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए वे कौनसा अच्छा काम कर रहे हैं। काम तो वैसे भी बिगड़ ही रहा है, सुधार कौनसा रहा है। मैंने देखा है हमारे झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट में रास्ते सुधारे जा रहे हैं; वे भी उन्हीं हल्कों में जहां से कांग्रेस के प्रतिनिधि चुन कर आये। गांव में भी उन खास खास व्यक्तियों को पैसा दिया जा रहा है कुए खोदने के लिये; खेतों के लिये जिनसे उनको वोट मिलने की उम्मीद है। उन हरिजनों को, उन गरीब किसानों को जो वास्तव में गरीब हैं और जिनको वास्तव में मदद की आवश्यकता है कोई नहीं पूछता। स्कूलें भी वहीं खोली जाती हैं जहां से उनको वोटों की मदद मिल सकती है। कहां शिक्षा की अधिक आवश्यकता है और कौन स्थान आबादी और साधन की दृष्टि से शिक्षालय खोलने के उपयुक्त है; यह नहीं देखा जाता। वहां भी वोटों का हिसाब देखा जाता है। वास्तव में अगर देखा जावे तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं हैं ये तो एक तरह से एडहॉक बोर्ड हैं जिन्हें सरकार ने नामजद करके जनता पर थोपा है। और ये एडहॉक बोर्ड एक तरह की एजेन्सियां हैं एक पार्टी के लिये चुनाव जीतने के लिये, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये। ऐसी एजेन्सियों का काम करने वाले ये बोर्ड जनता के हित की चीज कभी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रस्ताव की हम कैसे स्वीकृति दें। इसके लिये जनहित की दुहाई दी जाती है। अवधि बढ़ाई जाती है अगर कोई चीज जनता के हित की हो तो। पर यहां तो एक व्यक्ति, विशेष पार्टी का विशेष हित है। इस एडहॉक कमेटी की अवधि नहीं बढ़ाई जावे तो जनता का कोई अहित नहीं होने वाला है। अहित तो तब होता है जब किसी से हित होता हो और वह खतम होता हो। पर जब इनसे हित ही नहीं होता तो अहित किसका होना है।

ऐसी हालत में मेरा तो कहना यह है कि वास्तव में अगर कुछ कार्य करना है जनता के हित का, जनता को राहत देना है, उसे फायदा पहुंचाना हो तो वहां पर किसी भी गवर्नमेन्ट ऑफिशियल को

[श्री भीमसिंह]

एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा इल्जाम लगाया जा सकता है कि हम सरकार के अफसरों पर इतमिनान कर सकते हैं, पर जनता के आदमियों पर विश्वास नहीं करते। मेरा कहना है कि इसमें विश्वास अविश्वास की कोई बात नहीं। जब ये चुने हुए होते तो विश्वास की बात हो सकती थी और ऐसी सूरत में हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती; पर मनोनीत करके अपनी अपनी पार्टी के आदमियों को थोप देना तो एडहॉक कमेटियां बनाना ही हुआ और उस हालत में विश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं रहता।

ऐसी हालत में वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये जावें ताकि कुछ कार्य हो और निष्पक्ष रूप से हो; जिससे जनता को राहत मिले। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और मौजूदा बोर्डों की मियाद ही बढाई गई तो यह चुनाव स्टन्ट होगा और हम ऐसी सूरत में इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और यह विरोध भी इसलिये होगा कि कोई भी जनता का फायदा इन एडहॉक कमेटीयों को मियाद बढाने से होने वाला नहीं है।

श्री हरलालसिंह—मैं समर्थन करता हूं इस प्रस्ताव का; यह मन्जूर होना चाहिये।

इसका विरोध करते हुये मेरे कुछ मित्रों ने कुछ बातें आक्षेप के रूप में की हैं; जिनमें कोई वास्तविकता नहीं है। वैसे उनका काम विरोध करना ही रहा है और हमेशा करते ही रहे हैं और जैसी भाषा में वे विरोध करते हैं वह भी उनकी अपनी ही है या दूसरों की। वे या तो कहेंगे कि जाट हैं, कांग्रेसी हैं, और या कहेंगे कि पिट्टू हैं, गुर्गे हैं आदि आदि। मैं अपने उन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी जाट से उनको ईर्ष्या है, क्या किसी के कांग्रेसी होने से उनको ईर्ष्या है और अगर है तो होगी; इसका तो कोई इलाज नहीं है। (आवाज विरोधी पक्ष से "यह गलत है, गलत है; किसी से ईर्ष्या नहीं है")

दूसरी बात कही गई कि जो कांग्रेस को वोट देते हैं या चुनाव में उनकी मदद करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उन्हीं का काम करते हैं आदि आदि। मैं इस बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं पर अधिक नहीं कह कर मैं झुंझुनू जिला बोर्ड को ही लेता हूं और उसके लिये इतना ही कह सकता हूं कि इसका उत्तर तो वहां के कागज ही देंगे, वे वहां से मंगाये जा सकते हैं। मुझे तो पूरा पूरा मालूम नहीं है। वहां के कागजों को देखने से ही पूरा पूरा पता लगेगा कि कहां कहां पक्षपात किया गया है और उनके इन आरोपों में क्या और कितना तथ्य है।

दूसरी बात यह भी कही गई है कि उसमें तो जाट ही जाट हैं। जाट होना कोई गुनाह नहीं है और जाट काश्तकार हैं। उनकी संख्या भी बड़ी है। तो इस अनुपात से वहां उनकी संख्या भी बड़ी हो सकती है। लेकिन इसलिये कि उनकी संख्या अधिक है यह कह देना कि उनमें तो जाट ही जाट हैं, जातिवाद का बोलबाला है; ठीक नहीं है। उनमें राजपूत भी हैं, भोमिये भी हैं, हरिजन भी हैं और ब्राम्हण भी हैं। मुझे अफसोस है कि हम बात तो जनतन्त्र की करते हैं लेकिन कोशिश जातिवाद को फैलाने की करते हैं। ऐसे जातिवाद और पक्षपात की बात करने वाले खुद दूसरों पर आरोप लगाते हैं।

[श्री हरलालसिंह]

तो बात यह नहीं है। हमें जनतन्त्र की भावना को सामने रखते हुये निर्णय करना है और इसके विपरीत इस तरह की गलत बातें गलत भाषा में कहने का तरीका जो है वह ठीक नहीं मालूम होता है। मैं माफी चाहता हूं इस मामले में इस तरह की कोई कटु बात किसी को मालूम हो तो उसके लिये।

फिर यह कहना कि मयाद बढ़ाने से कोई फायदा जनता का नहीं है, ठीक नहीं है। इससे बहुत फायदे हैं। फायदा हुआ भी है और आगे भी होने वाला है। केवल दोष देखना और दोष ही निकालना कोई अच्छी बात नहीं है। उसके गुण-अवगुण सबको देखना चाहिये। जिस दल की आप आलोचना करते हैं वह कांग्रेस दल है, बहुमत दल है। आपसे समर्थन की आशा नहीं की जा सकती। की भी कैसे जा सकती है! आपने आज तक किसी बात का समर्थन नहीं किया, केवल आलोचना के सिवाय। लेकिन यह भी तथ्य है कि जो भी परिस्थितियां इस देश में, इस प्रान्त में पैदा हुई हैं उन्हें इस दल ने ही बदला है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुये और सबको समान दृष्टि से देखते हुए इन्होंने ही देश के हित में सब कार्य किये हैं। मैं मानता हूं कि यह वही संस्था है जहां सबको स्थान है। आप लोग इस तरह से किस चीज का विरोध करने के लिये यह बात करते हैं।

आप विरोध करिये पर किसी सिद्धान्त पर तो करिये। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं उनसे भी कहता हूं इसकी कोई मिसाल तो आप देते। इस पर भी कभी किसी जगह कोई एक-आध गलत बात हो गई हो तो उसकी बिना पर इस चीज को ही समाप्त कर दिया जावे; यह कोई समझदारी की बात नहीं है। आप धीरज और शान्ति के साथ इन बातों पर सोचिये, समझिये। इन बोर्डों की बड़ी आवश्यकता है। ये वास्तव म जनता का काफी हित का कार्य करते हैं।

फिर आप यह कहें कि ये गुर्गे भरे हैं, ये वे हैं, ये ये हैं; तो इस तरह की दो भिन्न भिन्न विचारधारायें तो हमेशा से रही हैं और रहती ही रहेंगी। ऐसी बातों का कोई असर नहीं होता। आप रीजनेबल तरीके से इस मामले पर प्रकाश डालें। जैसा कि भैरोंसिंह जी ने कहा था, अगर कोई खामी इसमें रह गई हो तो वह पूरी करवा लें; यह तो समझ में आने की बात है। लेकिन इसका इस तरह की भाषा में विरोध नहीं कीजिये। तो मेरे मित्रों से माफी चाहता हूं। अगर मेरे साफ साफ कहने से किसी को दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा करें और साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूं कि बड़ी खुशी के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—जो जनतन्त्र का समर्थक है वह सैद्धान्तिक रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा; विरोध करना कभी उचित नहीं समझेगा। यह जनतन्त्र की खास चीज है क्योंकि जनतन्त्र में ग्राम और नगर और राष्ट्र सभी चीजें आ जाती हैं और ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वे प्रायः सभी गांवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्राम ही शहरों के पोषक हैं। इसलिये गांवों को फायदा पहुंचाने वाली संस्थान रहे या उसका अस्तित्व मिट जावे इसको कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति पसन्द नहीं करेगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जितने हैं उनकी वृद्धि होनी चाहिये; यह हमारा सिद्धान्त होना चाहिये।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

इस सिद्धान्त के अनुसार अगर माननीय मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का समय समाप्त हो चुका है और यदि अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जितने हैं वे सब समाप्त हो जावेंगे तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि उनका निर्माण तो चुनाव के बाद होना ही चाहिये ; पर चुनाव होने में समय लगेगा । तो इस अरसे में वहां का काम चलाने के लिये जनता के जो प्रतिनिधि चुनकर यहां आये हैं उन्हें ही वहां का काम सौंप दिया जावे । मैं मानता हूं यह ढंग बुरा नहीं है । क्योंकि बात यह है कि जो चीज जनता के लिए की जाती है उसके लिए चाहे कोई संस्था हो उस उद्देश्य जनहित होना चाहिये । अब वह जनहित चाहे असेम्बली के द्वारा हो या अन्य संस्थाओं के द्वारा हो या पंचायतों के द्वारा हो या म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा हो; मगर उद्देश्य सब का हो जनहित ।

इस सम्बन्ध में सब की तरफ से जो बात कही गई है उन सब का सारांश यह है कि अभी जो बोर्ड हैं उनका कार्य संतोषजनक नहीं है और इसके कारण लोगों ने जहां तक बताये हैं वे तथ्यांश से परिपूर्ण भी हैं । इस बात को सरकार के मन्त्रीगण ने भी मौन द्वारा स्वीकार कर लिया है । इन सब का प्रतिवाद करते हुए भी यह बात तो उनके मुंह से भी साबित हो चुकी है कि इन आरोपों में बहुत तथ्यांश हैं । इसमें जातीयता का भी कारण काम कर रहा है जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा है । मैं तो यह मानता हूं कि तमाम भारतीय एक ही हैं । राष्ट्रीयता के नाम पर हममें कोई अन्तर नहीं है । पर फिर भी जो तथ्य है वह छिपाया नहीं जा सकता । मैं भी एक नमूना आपके सामने पेश करूं कि सीकर जिले की लगभग ८ लाख की जन संख्या है । अगर उसमें जाटों की सख्या को गिनें तो एक लाख, डेढ़ लाख से अधिक नहीं हैं । इसमें अगर कोई फरक बतावे तो मैं उसे सही मान लूंगा । अब इस अनुपात से सीकर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सदस्य नामजद किये जाते हैं तो कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती । कहा जाता है कि अन्य लोग भी लिये गये हैं । मैं समझता हूं कि वे तो बराये नाम हैं; आटे में नमक के बराबर । पर मैं तो समझता हूं कि मुझे जहां तक इत्तला मिली है इनमें भी जाट विशेष का नाम ही बदल दिया गया है और इस तरह और भी कुछ किया गया है । दूसरे दो-चार का जो नाम लिया गया है वह भी वास्तव में नहीं है। हो सकता है आपको संस्था में वही जाट आयें नामजद करते समय; पर फिर भी सबका खयाल तो रखना ही चाहिये था । अगर इसमें भी कोई दूसरा कारण योग्यता का लिया गया हो तो योग्यता तो उनकी स्पष्ट ही है । अधिकांश अंगूठा चिपकाने वाले हैं । इसलिए वे लोग योग्यता की दृष्टि से लिये गये हों यह बात भी नहीं है ("हियर, हियर" विरोधी पक्ष की ओर से)

चौधरी साहब ने फरमाया था कि वहां जो कुछ किया जा रहा है वह एक खानदान को, एक कुटुम्ब को पालने के लिए किया जा रहा है, अपने सम्बन्धियों का पोषण करने के लिये किया जा रहा है। यदि इस प्रकार की दशा है तो मैं कहूंगा कि उसका ऑपरेशन करवा लेना ही ठीक होगा ।

जैसे आपके शरीर के एक भाग अंगुली में कोई संक्रामक रोग हो गया है और आपको यह अन्देशा है कि इससे सारे शरीर को रोगग्रस्त होना पड़ेगा तो आपका फर्ज है कि आप उस अंगुली को कटवा दें, उसका ऑपरेशन करवा दें और तमाम शरीर को रोगग्रस्त होने से बचायें । यह कदापि उचित नहीं कि हमारे शरीर का एक भाग रोगग्रस्त हो और उससे दूसरे भाग के भी रोगग्रस्त होने की आशंका हो तो

[श्री रूपनारायण शास्त्री]
उसको रोकना पसन्द करते हैं तो यह तो बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन तथ्यों का उद्घाटन किया गया है वे दोष यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि जनतन्त्र के विकास के लिये, जनता के हित के लिये उन दोषों को दूर किया जाय। तभी वे सही मायने में जनता के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि उन दोषों को दूर करके उनकी अवधि बढ़ाई जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन दोषों को निकाल कर आप अवधि बढ़ा सकते हैं। उन दोषों को किस प्रकार से निकाला जा सकता है? जिन आदमियों के खिलाफ शिकायतें हैं उन आदमियों को हमें वहां नियुक्त नहीं रखना है; उनको वहां से हटा देना है। मेरा यही कहना है कि उन दोषों को, उन व्यक्तियों को हटा कर यदि आप अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से कह सकता हूं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोष पूर्ण चीज है उसको समूल नष्ट कर देना चाहिये; बाद में चाहे तो उनका पुनः निर्माण हो सकता है या उनकी अवधि बढाई जा सकती है। अगर उन्हें, रोगग्रस्त अवस्था में रखना चाहते हैं तो तमाम शरीर को रोगग्रस्त बनाना पड़ेगा और इस तरह से धीरे धीरे यह संक्रामक रोग हमारे सारे शरीर को, सारे प्रान्त के ढांचे को रोगग्रस्त कर देगा। इस तरह से हमें सारे शरीर को बरबाद नहीं करना है; यह उचित नहीं है। विशेष न कह कर जिन कारणों को स्वीकार किया है उन्हीं कारणों को दोहरा कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। जिस सिद्धान्त के आधार पर अवधि बढ़ाई जा रही है, अवधि उसी हालत में बढ़ाई जाय जब कि पहले उन दोषों को मिटाया जाय। अगर दोषों को रखते हुए अवधि बढ़ायी जायेगी तो हम कदापि उसका समर्थन नहीं करेंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सका कि जो बिल इस समय सदन के सामने विचाराधीन है उस हार्मलेस बिल के बारे में भी इतनी गरमा-गरम बहस करनी चाहिये। मैं नहीं समझता था कि सदन के सदस्य इससे वाकिफ हैं कि भूतपूर्व जयपुर राज्य में चार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे वे आज से करीब साढ़े चार साल से चल रहे थे। जनता का लाखों रुपया इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में लगा हुआ है और पब्लिक युटीलीटी के काम, मसलन कच्ची सडकों का निर्माण, कूए-तालाब वगैरह खुदवाने का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा किये जाते हैं। ग्रामीण जनता के फायदे के लिये हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम किये जा रहे हैं और इस प्रकार बहुत से कार्य अपूर्ण अवस्था में हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की मयाद खत्म हो जाती है और उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो जनता का लाखों रुपया जो कि जनता के पसीने की गाढ़ी कमाई है बेकार चला जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस है उसका क्या होगा? जो कुछ आधी सडकें, तालाब आदि बने हुए हैं बरसात के कारण बह जायेंगे, ढह जायेंगे। इस तरह से लाखों रुपया इन कामों पर खर्च किया गया रुपया बेकार चला जायगा। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम रखे गये तो उन कामों को पूरा किया जा सकता है और वह रुपया अच्छे काम में लग सकता है। तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि यह क्या बुद्धिमानी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मयाद न बढ़ाई जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज आदि संस्थायें स्वायत्त शासन की सीढियां हैं। उनकी उपादेय और उपयोगिया से कोई इन्कार नहीं कर सकता, इसमें किसी कोई दो राय नहीं हो सकत.।

एक बात यह भी कही गई कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की मयाद बढ़ाने में यह भी आपत्ति है कि ये संस्थायें पार्टीबाजी का अड्डा बनी हुई हैं। यह बड़े मजे की बात है। कोई भी समझदार आदमी सोच

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

सकता है इस मुल्क में, हिन्दुस्तान में, भारतीय संविधान के आधार पर प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार का चुनाव हुआ है। जब हम अपने सारे ढांचे को प्रजातन्त्र के आधार पर ढालना चाहते हैं और अगर हम प्रजातन्त्र प्रणाली के साथ साथ चलेंगे तो चुनाव होंगे और डेमोक्रेसी रहेगी तो वहां पार्टी का होना आवश्यक है। इस तरह से पंचायतों में भी पार्टी बाजी रहेगी।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—ऑन ए पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर, मुझ पर कुछ आक्षेप लगाया गया है इसलिये मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Order, please.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Sir, I am in possession of the House.

श्री मानसिंह—मिस अन्डरस्टेन्डिंग है

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—मैंने माननीय सदस्य पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है, किसी को संकेत नहीं किया गया है। तो फिर कैसे समझ लिया कि मेरा आक्षेप उन पर था। का निवेदन करने का मेरा मकसद यह था कि प्रजातन्त्र में पार्लियामेन्ट से लेकर पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज तक में पार्टी बाजी रहेगी ; इससे फ्री कदापि नहीं हो सकते। पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार खड़े होंगे, चुनाव होगा। इस तरह से जब तक इस विधान के अन्तर्गत हम कार्य करेंगे तो यह पार्टी बाजी रहेगी। अगर विधान में कुछ कमियां हों तो उनका सुधार किया जा सकता है। यह कोई शिकायत नहीं कि इसमें पार्टी बाजी नहीं रहनी चाहिये। डेमोक्रेसी में यह नेसेसरी एकम्पनीमेन्ट है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या आप नोमीनेशन में भी यही चाहते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—मैं यह नहीं कहता कि नोमीनेशन किस आधार पर होने चाहियें; परन्तु पार्टी हर जनतन्त्रीय प्रणाली में रहा करती है।

श्री मानसिंह—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो व्यक्ति रक्खे गये हैं वे किस आधार पर रखे गये हैं; क्या यह भी आप बतलाने की कृपा करेंगे ? क्या वे चुने हुए हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—चाहे वे चुने गए हों या नोमीनेटेड हों ; किसी भी प्रजातन्त्रीय देश में प्रत्येक नागरिक को चुनाव में खड़े होने और अपने वोट का उपयोग करने की सुविधा है। वह अपने इच्छानुसार अपने वोट का उपयोग कर सकता है। उसे किसी भी संस्था से चाहे वह कांग्रेस हो, राम राज्य हो, सोशलिस्ट हो लगा हुआ रहना पड़ता है। Every couseious Citizen of India has some inclination towards a party.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—हमारा इस बिल को रोकने का उद्देश्य ऑनरेबल मेम्बर को साफ जाहिर हो जाना चाहिये। अगर इस अमेन्डमेन्ट को थ्रो आउट (Throw out)

[श्री मानसिंह महार]
कर देते हैं तो गवर्नमेन्ट मजबूर हो जायगी और जल्दी से जल्दी चुनाव करेगी। गवर्नमेन्ट को हमें बाध्य करना है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट यहां पास कर चुनाव करें। यह उसका मतलब है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—यदि माननीय सदस्य पेशेन्स (Patience) रखते तो उनको यह सवाल करने की आवश्यकता ही नहीं पडती।

एक बात यह कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव हमको कर देना चाहिये। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स सारे राजस्थान में पहेले थे नहीं और अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम नहीं कर रहे थे। सारे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम करने के लिये एक नया कानून सरकार तैयार करके हाउस के सामने शायद इसी सेशन में ला रही है। वह पास हो जाने से पहले आज तक कोई कानून ही नहीं है; तो सारे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कराने की बात समझ में नहीं आती है, यह बात नहीं समझा कि किस बुद्धिमानी या किस ख्याल से उन्होंने यह बात कह दी। तो फिर उसका प्रोसिजर ऐसा हो सकता है कि कानून पास हो, उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हो। उसमें कम से कम ६-७ महीने लगेंगे। उस ६-७ महीने के दर्म्यान वक्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या बन्द रखने चाहिये? उनमें सारी जनता के हित के काम चल रहे हैं, कहीं स्कूल चल रहे हैं, कहीं औषधालय चल रहे हैं, कहीं डिसपेन्सरीज रयुरल एरिया में चल रही हैं, कहीं सडकें बन रही हैं; उन सारे कामों को बन्द कर दिया जाय? पैसे को बेकार जाने दिया जाय? तो मैं समझता हूं कि यदि सीरियसली सोचेंगे तो इस बारे में डिफर करने की इमानदारी से गुंजाइश नहीं है।

अब सवाल रह जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं कायम कर देते। यह सजेशन इटसेल्फ (Suggestion itself) जनता के नुमायन्दों के बजाय जो कि कम से कम कुछ पब्लिक लाइफ की नुमायन्दगी करते हैं, गैर जिम्मेदारों के बजाय किसी सरकारी नौकर को वहां बिठलाना, यह कोई अच्छा कमेन्ट नहीं है और आज की हमारी जो स्थिति है उसमें यह इटसेल्फ बहुत ही शर्मनाक कमेन्ट है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटीज् में जनता के नुमायन्दों को हटा कर उनके बजाय एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये जाते हैं तो वह क्या है?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—वह जब तक अपने आपको नाकाबिल और नालायक साबित नहीं कर देती है....

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने भी अपने आपको नालायक साबित कर दिया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—यह सारे वेग एलीगेशन्स (Vague allegations) लगाये गये हैं, कोई स्पेसीफिक बात नहीं कही गई। फलां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में फलां दृष्टान्त या मिसाल देकर नहीं बतलाया गया कि उस मामले में काम ठीक नहीं किया गया है। जनरल एलीगेशन्स

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]
कोई भी शख्स लगा सकता है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि सरकार, मान लीजिए ऑल्टरनेटिवली (Alternatively) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बजाय एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देती है तो सदन के कई ओर से आवाज आती है पब्लिक यूटिलिटी जैसी स्वायत्त शासन की संस्थाओं को भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर कायम किये जा रहे हैं। बात यह है कि कोई भी काम किया जाय नुक्स देखने की दृष्टि से तो परमात्मा के काम में भी नुक्स निकाले जा सकते हैं।

सवाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लाखों रुपया पब्लिक का लगा हुआ है। वे ग्रामीण, पिछड़ी हुई जनता की सेवा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक एक पैसा गांव में खर्च होता है। जो कुछ भी काम होगा वह सब गांवों के लाभ के लिए होगा। इस दृष्टि से भूली हुई, पिछड़ी हुई ग्रामीण जनता को ध्यान में रखते हुए आपको इसको बिना किसी उज्र के पास करना चाहिये। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां व्यवस्था के अनुसार काम पूरा नहीं हो सकेगा तो वहां जरूरत होगी उसके पर्सोनल में चेन्ज करने की; रद्दोबदल किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि इस बारे में किसी प्रकार से निराश होने की गुंजाइश नहीं है और इसे पास कर देना चाहिये।

श्री देवीसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हाउस के सामने प्रस्ताव चल रहा है है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का समय बढाया जाय, यह वास्तव में बडा उत्तम प्रस्ताव है; क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की संस्थायें हैं उनके लिये यह कभी नहीं कह सकते हैं कि वे खराब संस्थायें हैं। वे वास्तव में जनता के हित की संस्थायें हैं और उनके अन्दर अगर समय के कारण दिक्कत आती है तो समय बढाने की भी आवश्यकता है ही। यह हमारी तरफ के सभी सदस्य मानते हैं। परन्तु हमें जरा संकोच इसलिये हो रहा है कि इसको मन्जूर करने के लिये हमारा पास्ट (भूत) का जो तजुर्बा है उसको देखते हुये हमें भविष्य के अन्दर भी कुछ खराबियां नजर आती हैं। हो सकता है कि हमारी दृष्टि में फर्क हो, परन्तु राजस्थान में एक कहावत है कि, "दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है"। वही चीज यहां भी मौजूद है, क्योंकि पहले जो इसके अन्दर गड़बड़ियां हुई हैं उनके कारण हमको यह शका होती है कि भविष्य में इसका समय जो बढाया जा रहा है उसके भी कारण ऐसे प्रतीत होते हैं। अभी हमारे कुछ मित्रों ने फरमाया है, जैसे गोयलजी, जोशी जो ने, कि अगर यह बन्द कर दिय जायेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स् में जो उपयोगी कार्य हो रहे हैं वे बन्द हो जायेंगे। स्कूल जो चल रहे हैं, औषधालय जो चल रहे हैं, एसी जो चीजें हो रही हैं वे कतई बन्द नहीं होनी चाहिये, और अगर हमारा सदन इस तरह का कानून पास करके उनको रोक देता है तो वह हमारे लिये बड़ी खराब चीज है। परन्तु उसका रास्ता हो सकता है। जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मौजूद हैं उनके बजाय हमारे कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें या इस तरह के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना दें जिसमें तमाम पार्टियों के नुमायन्दे मौजूद हों। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब तक चुनाव नहीं हो उस समय तक हमारे मन्त्री महोदय या हमारी सरकार को यह संकोच क्यों हो रहा है कि वे तमाम पार्टियों के नुमायन्दों को लेकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं बनायें। जब कि जयपुर सरकार के द्वारा यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम किये गये थे उस समय उन तमाम पार्टियों के नुमाइन्दे मौजूद थे। आज यह कहा जाता है कि कानून बनेगा उसके बाद चुनाव होगा तो आज यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कौन से कानून के आधार पर मौजूद है; वह है जयपुर का कानून जो सन् १९४७ में बना

Page No.47

[श्री देवीसिंह]

था। सन् १९४७ के अन्दर जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम किये गये थे। बडा ताज्जुब होता है कि सन् १९४७ से लेकर और आज सन् १९५३ तक कोई चुनाव नहीं हो सके जब कि कानून मौजूद था। उस कानून में चुनाव की धारायें मौजूद हैं, तो फिर उनका उपयोग क्यों नहीं किया। बस इन्हीं चीजों को लेकर शंकाएं उठती हैं और इसीलिये हम लो ों को यह खयाल होता है कि इसकी अवधि बढ़ाने से शायद हमारी सरकार की ऐसी मन्शा हो कि हमारा कुछ समय और निकल जाय। इसलिये जब डेमोक्रेसी का सिद्धान्त लेकर हम चलते हैं तो आप जरा ध्यान दीजिये कि जिस वक्त अमेरिका में स्वतन्त्रता का युद्ध शुरू हुआ था तो उनका नारा जो था "नो रिप्रेजेन्टेशन विदाउट टैक्सेशन" (no representation without taxation). इन्हीं शब्दों के ऊपर अमेरिका में डेमोक्रेसी का युद्ध शुरू हुआ था..,

एक सदस्य—I think it is "no taxation withont representation".

श्री देवीसिंह-(अपना भाषण जारी रखते हुये)—इसको देखते हुये आज हम देखते हैं कि कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर इस तरह के मेम्बर्स नामजद कर दिये गये हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एक पैसा टैक्स का भी नहीं देते हैं। जरा इसका खयाल करिये कि इस तरह के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य होने का क्या हक है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एक भी पैसा चन्दे का नहीं देते हैं (हंसी, शेम-शेम) हमारे मित्रों को, हमारी सरकार को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुये, उदारता से विचार करना चाहिये और शीघ्र से शीघ्र जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानून के अनुसार चुनाव करना अभी संभव नहीं हो तो वह इस तरह के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना दें जिनमें तमाम पार्टियों के सदस्य हों ताकि किसी को कोई शिकायत नहीं हो।

श्री गोपीलाल यादव-उपाध्यक्ष जी, मैंने, अभी जो भाषण हुए, उनको सुना। मैं भाषणों को सुनकर यह समझ सका हूं कि अभी तक पुरानी बातें उनके दिमाग में उसी प्रकार काम कर रही हैं। लेकिन मेरे मित्र जो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के मन्त्री (श्री रामकरण जोशी), मैं समझता हूं कि कोई ऐसा बोर्ड नहीं बनावेंगे जिसके अन्दर हरएक पार्टी के सदस्य इसी औसत में नहीं हों जिस औसत में कि हाउस में मौजूद ह। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में हमें उनकी तरफ से आश्वासन मिलेगा। इसलिये इसको पास कर दिया जाय।

श्री तेजसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अवधि बढ़ाने के लिये जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत है उसका मैं विरोध करता हूं। मेरा इस विषय में सैद्धान्तिक विरोध है। पिछले ५-६ सालों में जब से यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू हुआ था उस समय से लेकर आज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को ो-तीन बार नामजद किये हुई हैं। किन्तु, विरोधी दल के वक्ताओं ने कहा है कि तमाम पार्टी के लोग होने चाहिये, एक पार्टी के लोग नहीं होने चाहियें। विरोधी दल वाले अपने भाषण में जाट, कांग्रेस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे उनका मतलब यह नहीं कि वे किसी पर आक्षेप करते हों।

[श्री तेजसिंह]
उनका तो ऐतराज यही है कि सरकार की तरफ से नामजद नहीं होने चाहिये, परन्तु जो सदस्य हों वे जनता की तरफ से चुने हुए हों तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। चुनाव में चाहे किसी भी जाति का सदस्य क्यों न हो; चाहे वह हरिजन हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी आ सकता है। नामजदगी से एक ही पार्टी को लाभ पहुंचता है और दूसरे लोगों के हित कुचल दिये जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। पार्टी के सिद्धान्त कुछ भी हों, मगर सदस्य बोर्ड के चुने हुए होने चाहिये; यही हमारी खास शिकायत है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं वे सब नामजद सदस्यों के न होकर चुने हुए सदस्यों के होने चाहिये।

अब हमें यह देखना है कि इन नामजद बोर्डों ने क्या क्या काम किये हैं। यदि हम उनके कार्यों की तरफ दृष्टि डालें तो हमें पता लगेगा और यह स्पष्ट है कि उन्होंने जो नौकरियें दी, किन किन को दी हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हैं वे सब पार्टी बेसिस पर बने हैं और खास कर जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग करके नया बनाया गया, उस समय नामजदगी पार्टी बेसिस पर ही की गई।

अभी इस पर बोलते हुये कुछ सदस्यों ने यह बताया कि यदि इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी तो जनता के हित का काम बन्द हो जायगा और लाखों रुपयों का नुकसान होगा। यदि नामजद बोर्ड को भंग किया जाता है तो मैं समझता हूं कि कोई नुकसान नहीं होगा। नामजद किये गये बोर्ड को भंग कर दिया जायगा तो उसका काम मजिस्ट्रेट के हाथ में चला जायेगा और मैं समझता हूं कि इससे जनता को कोई नुकसान नहीं होगा और न पैसों की बरबादी होगी। अभी जो पैसा गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है वह बचेगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बी. एन. जोशी ने कहा कि पार्टी का होना बहुत जरूरी है। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बगैर चुना हुआ है और सही माने में पार्टी नहीं है। इसलिये डेमोक्रेसी की दुहाई देकर यह कहना, मैं समझता हूं कि इसका गला घोटना है। अभी जो खर्च डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले करते हैं वह पार्टी के हित में करते हैं; यही हमारी शिकायत है। इसीलिये चुना हुआ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होना चाहिये। लेकिन यह कहा जाता है कि थोड़े से दिनों में इसका चुनाव हो जायगा और तमाम राजस्थान में चुनाव हो जावेंगे। हो जावेंगे, लेकिन जब तक नहीं होते तब तक के लिये सब पार्टी के लोगों का बोर्ड कायम किया जावे तो बहतर होगा ताकि जो फन्ड्स उसके पास है उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सके। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यदि अवधि बढ़ाई जावे तो काफी बढ़ादी जावे; मगर इसके लिये मन्त्री महोदय यदि आश्वासन दे सकें कि जिस प्रकार यहां ऐसेम्बली में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि हैं उसी हिसाब से जिलों में भी प्रतिनिधि रखें जावेंगे। यदि ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आयन्दा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी को मदद देना चाहते हैं।

श्री रामकरण जोशी—माननीय उपाध्यक्ष, जो बिल सदन के सामने विचारार्थ पेश है उसके बारे में मेरे ध्यान में इस बिल के विरोध करनेवालों ने भी अवधि बढ़ाने के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कुछ ऐसी बातें जरूर कहीं जिनसे उनको नाराजगी है। जो बातें बोर्ड के द्वारा की गई उन पर उन्होंने प्रकाश डाला।

[श्री रामकरण जोशी]

सबसे पहले में यह कहना चाहता हूं कि कोई भी संस्था, चाहे वह म्युनिसिपैलिटी हो या दूसरी संस्था हो ; अगर वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे या ठीक तरह से काम नहीं कर रही हो तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करावे और जो लोग अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका भी यह कर्तव्य है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पंचायत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हो या सरकारी या किसी पार्टी के पैसों का दुरुपयोग होता हो तो सरकार के ध्यान में लावे। मगर मुझे आज यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग मुझसे रोजाना मिलने वाले मेरे साथी हैं और जो आज यहां पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं उन्होंने कभी भी मेरे सामने जिक्र तक भी नहीं किया। जब कभी उनका मुझसे मिलने का वास्ता पड़ा ; न उन्होंने कभी एक पंक्ति भी लिख कर मुझे भेजी। अब सदन के सामने विचार के लिये यह विषय है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अवधि उस काल के लिये बढ़ा दी जावे जब तक नये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड राजस्थान में काम करने न लग जावें तब यह बातें कही गई।

तो इस बिल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की अवधि बढ़ाने की बात है। कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मान लीजिये कि पहले बना हुआ है और उसके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत आ जाय कि जिसकी वजह से उसको भंग करना जरूरी हो जाय तो उसे भंग किया जा सकता है और नया नोमीनेट किया जा सकता है ; यह सब इन्तजाम की बातें हैं। पुरानी नोमीनेटड कमेटियां रन करें या नहीं रन करें; या एडमिनिस्ट्रेटर रन करे, कौन काम की देख भाल करे ; यह एक अलग बात है जो इन्तजाम से ताल्लुक रखती है। पर इस बिल में तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की मयाद बढ़ाने की बात है कि वे काम करें। अगर मौजूदा सदस्य ठीक काम करते हैं तो वे ही रह जायेंगे, अगर ठीक काम नहीं करते हैं और खराब काम करते हैं जो किसी बोर्ड को नहीं करना चाहिये तो इस तरह के सबूत आने पर ऐसा इन्तजाम किया जा सकता है कि उनकी जगह दूसरे नोमीनेट किये जांय ; पर ऐसी कोई बात सदन के सामने नहीं है। सदन के सामने तो इस समय यह सवाल है कि जब तक नये कानून के आधार पर नये चुनाव नहीं हो जांय तब तक काम करने के लिये मौजूदा बोर्डों की अवधि बढ़ा दी जाय।

कुछ सदस्य इस बिल को देख कर भ्रम में पड़ गये कि जो बोर्ड अभी काम कर रहे हैं उन पर छाप लगाई जा रही है। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कार्य के सम्बन्ध म कई बातों की आलोचनायें की गई कि बांसा म औषधालय खोल दिया गया, वाइस चेयरमेन ने जीप का इस्तेमाल किया इत्यादि। इनके बाबत जवाब भी दिया गया कि यह बात गलत है। यह भी कहा गया कि जहां जहां उनके समर्थक हैं वहां वहां कुए खुदवाये जाते हैं और दूसरी जगह नहीं खुदवाए जाते, जहां समर्थक हैं वहां स्कूलें खोली जाती हैं दूसरी जगह नहीं। में इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि सब जगह समान दृष्टि से काम करने चाहिय, खास खास जगहों पर ध्यान दिया जाय और दूसरी जगहों का ध्यान नहीं रखा जाय, यह बात ठीक नहीं है। पर इस बात पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो पता चलेगा कि सब जगहों पर सब लोगों की जो भूख है उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक साथ नहीं मिटा सकते। ख्याल कीजिये अगर स्कूल खोलने हैं तो २५ जगहों में से १० स्थान चुनने पड़ेंगे। बाकी स्थानों पर जहां स्कूल नहीं खोले जाते वहां असतोष होगा ; पर अगली साल बाकी बचे हुए स्थानों पर भी स्कूल खोले

[श्री रामकरण जोशी]

जायेंगे और फिर तीसरे साल इनके अलावा अन्य स्थानों पर भी स्कूल खोले जायगे और धीरे धीरे एसा एक भी क्षेत्र नहीं रहना चाहिये जहां पर कि औषधालय नहीं हों ; प्रोढ शिक्षा का प्रबन्ध नहीं हो, और मार्ग साफ नहीं हो ।

अच्छे काम तो किये जाते हैं, इस बात को तो मानते हैं ; पर खास खास इलाकों में किये हैं, उनके इलाकों में नहीं किये । तो इसके लिये बोर्ड के सदस्यों का ध्यान भी आकर्षित किया जा सकता है, वह नहीं मानें तो आगे भी एजेन्सीज हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि एक ही इलाके में अस्पताल, सड़कें, स्कूल खोलते हैं । जिस जिस जगह जिस जिस की जरूरत हो वे वहां होने चाहिये । किसी जगह सड़कें, किसी जगह स्कूलें तो किसी जगह वाचनालय खोले जांय । काम तो कर रहे हैं पर कुछ मेरे लायक दोस्तों के सन्तोष का काम नहीं कर रहे हैं ; इसलिये उन्हें असन्तोष है । असन्तोष का प्रश्न अलग है पर अभी हमारे सदन के सामने यह प्रश्न है कि जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते तब तक यही बोर्ड काम करें ।

कई सदस्यों ने फरमाया कि यह नोमीनेटेड बोर्ड क्यों हैं, सब जगह चुनाव हो जाने चाहियें । पर जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कानून के मातहत चुनाव कराना असंगत होगा । जो नये कानून के मुताबिक चुनाव होंगे उसकी पद्धति में और जयपुर के पुराने कानून की पद्धति में बड़ा फरक है इसलिये यह उचित नहीं है कि १० महिने पहले या साल भर पहले उसी पुरानी पद्धति के अनुसार चुनाव कर लिये जांय, जो कि चलने वाली बात नहीं है । अगर जयपुर में अभी चुनाव कर भी लिये जांय तो जब नई पद्धति के माफिक, जो सारे राजस्थान में एक सी लागू होगी, उसके अनुसार राजस्थान में सब जगह चुनाव हों ; ऐसी सूरत में जयपुर में उस पद्धति के अनुसार फिर नये चुनाव नहीं होंगे तो यह ठीक नहीं होगा । अभी सब जगह समान रूप से चुनाव हों ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है । जिस दिन सदन ऐसा कानून पास कर लेगा तो सब जगह समान रूप से चुनाव होंगे ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव तो बाद म होंगे किन्तु पंचायतों के चुनाव पहले होंगे । जिस दिन पंचायतों का कानून निकाल देंगे व पचायतें चुन लेंगे तभी उन पंचायतों का मिल कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का इलेक्टर रोल होगा । उस वक्त तक के लिये आज चुनाव की बातें करना फिजूल है । यह चीज इस बिल के लिये अड़चन डालने वाली है, जो नहीं होनी चाहिये ।

जो मेरे मित्र जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य हैं वही कह रहे हैं कि बोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त जो उस बोर्ड के मेम्बर हैं वे काम नहीं कर रहे हैं ।

श्री मानसिंह (महार)—On a point of information-Sir, the hon'ble friend has already resigned.

जिस वक्त वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में थे उन्होंने ईमानदारी से काम किया था । अगर अच्छा काम था जो, एक सदस्य के नाते उन्होंने किया है तो उसका तारतम्य टूट जाता है अगर आप इस बिल को मन्जूर नहीं करते हैं । उस काम को आगे चलाने का यह बिल है । इसकी अवधि को बढ़ा देने से कोई बहुत बड़ा बुरा काम कर रहे हैं जिससे जनतन्त्र की हत्या का काम हो जाय, ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर था। मैं मेम्बर होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में विरोध करता था कि रुपया जो खर्च किया जा रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जब मेम्बर था उस वक्त भी मैं विरोध करता था।

श्री रामकरण जोशी—बहुत खुशी की बात है कि वे यह महसूस करते थे कि रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। वे मेरे मिलने वाले रहे हैं, उन्होंने इस बारे में मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। आज अभी मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

मैं यह बात बताना चाहता था कि हमारे मित्रों में यह भावना काम करती है कि कभी सदन में मौका मिलेगा तब किसी खराबी को, चाहे वह किसी तहसीलदार के बारे में हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में हो, किसी स्वायत्त शासन संस्था के बारे में हो या किसी पटवारी के बारे में हो, तब लायेंगे। यह भावना गलत है, डेमोक्रेसी को मदद पहुंचाने वाली नहीं है। जनतन्त्र में तो जरूरत पड़ती है इस बात की कि कहीं भी कोई गलती दीखे, चाहे शासन के कार्य में या स्वायत्त शासन के कार्य में, तो हमें सूचित कर दें। इससे जनतन्त्र की तरक्की होगी और जनता को लाभ पहुंचेगा; पता नहीं किसकी गलती या गलतफहमी से जनता का अहित होता हो। उस गलती को बता कर आप ठीक कर दें। इससे जनता का हित होगा। कोई भी खराबी करता है, गलती करता है तो आपका फर्ज हो जाता है कि आप उसे संबंधित अधिकारियों को बता दें।

साथ ही यह कहा गया कि यदि इस बिल को मंजूर कर लिया गया तो यह जनतन्त्र की हत्या होगी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनतन्त्र की हत्या नहीं बल्कि यह उसकी सड़क तैयार करने वाला है। इसके द्वारा जब तक बोर्डों के चुनाव न हो जावें तब तक उनकी मियाद बढ़ाई जायगी ताकि ये भंग न किये जा सकें। यदि ये भंग कर दिये गये तो इनके द्वारा चलाये जाने वाले अस्पताल, स्कूलें, वाचनालय, सड़कें आदि कहीं बन्द न हो जायं और उस दिन तक जनता इनसे महरूम न हो जाय जब तक कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो जाते। यदि किसी बोर्ड के प्रति आपको शिकायत है तो मैं हमेशा आपका साथ देने को तैयार हूं। इस बारे में आप मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं। आप मुझे जहां ले जाना चाहें मैं चलने के लिये तैयार हूं। इस बिल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक इनकी मियाद बढ़ाई जाय। इनमें से कई बोर्ड वर्षों से काम करते आ रहे हैं, अच्छी तरह से उनका काम चल रहा है। केवल ये नोमिनेटेड बोर्ड हैं इसलिये आपको असंतोष है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव के बाद भी असन्तोष की कई बातें आती हैं, इलेक्शन पिटीशन्स भी दी जाती हैं। म्युनिसिपैलिटीज् और पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनके खिलाफ भी शिकायतें आती ही रहती हैं। कुछ अजानकारी के कारण भी असन्तोष हो जाता है। इस असन्तोष का कारण अवधि बढ़ाने से नहीं है। जो काम इन बोर्ड्स ने पांच साल से शुरू कर रखा है वह बन्द न हो जाय इसलिये उनकी अवधि उस समय तक जब तक कि नये बोर्ड के चुनाव न हो जावें बढ़ाई जानी चाहिये। आपने अपना गुस्सा हाउस में निकाल लिया है अतः अब आप इसे मंजूर करलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--The Hon'ble Member in-charge of the Bill has replied to the Debate and there should not be any further discussion.

श्री मानसिंह—He wants to give a personal explanation.

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि उन दिनों वे मेरे मित्र थे और उनसे मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी भी दोस्ती टूटी नहीं है। मेरा उनसे संबंध हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन जब से वे मंत्री बने हैं तब से मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में शामिल नहीं हुआ हूं। सात महिने से उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। उससे पहले दो-तीन मीटिंग्स हुई थीं तब मैं उस मीटिंग में गया नहीं था। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना था मैं उसका सदस्य नहीं था। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उसकी जानकारी मैं कैसे बता सकता हूं जब कि मैं वहां उपस्थित ही नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष–The question is that the Jaipur District Boards (Extension of Terms) Bill, 1953, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The Bill is now taken into consideration clause by clause.

(विराम)

Clause 2 of the Bill. Extension of terms of District Boards, Shri Tej Singh to move his amendment.

श्री तेजसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के खण्ड २ पर मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है–

"Clause to be deleted"

इस बिल पर बहस हो रही थी तब माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया कि सरकार के सामने यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की शिकायत रखी जाती तो उन पर अवश्य गौर किया जाता, अब तक उनके सामने शिकायतें विशेष रूप से नहीं आई इसलिये ख्याल नहीं किया गया। विरोधी दल के सदस्यों द्वारा किये गये आरोपों का विशेष मतलब यह है कि ये सारे के सारे बोर्ड नामजद हैं जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। आगे आने वाले चुनावों में १२ माह, ८ माह, या ६ माह लग सकते हैं। तब तक इन बोर्डों की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इनकी अवधि बढ़ाना क्या अवैधानिक नहीं है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट के अंतर्गत नये चुनाव इस समय नहीं कराये जा सकते क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट लागू होने वाला है। उस समय इन बोर्डों के सदस्य अधिकतर केवल एक ही पार्टी के हैं। एक ही पार्टी के मेम्बर्स को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रखकर काम कराना प्रजातंत्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। जनता को ऐसे सदस्यों में विश्वास नहीं है। वे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। किसानों के हित

[श्री तेजसिंह]

के लिये कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा है। इन बोर्डों से किसानों को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। किसानों में इनके प्रति हर प्रकार से असन्तोष व्याप्त है। इन नामजद बोर्डों को आगे चालू रखना गैर वाजिब है। इनकी अवधि और आगे बढ़ाना गैर वाजिब है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जनता के पैसों को एक ही पार्टी या दल अपने ही हित में खर्च कर रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को इस बिल में से निकाल दिया जाय।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सामने क्लाज सं० २ में मेरे मित्र ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में अभी जनरल डिस्कशन में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमने यह बताया है कि आज इस जनतन्त्र के युग में नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और उन नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में पार्टी विशेष के आदमियों को कायम किया जाय, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। उनको यह कह कर नोमिनेट किया जाता है कि ये एडमिनिस्टर्स के मुकाबले में अच्छे होंगे, कतई रीजनेबल बात नहीं है। हम मानते हैं कि अगर योग्य अफसर नियुक्त कर दिये जायं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जो कुछ धांधली हो रही है वह कतई नहीं हो ी। ६०-६० स्कूलों की सेंक्शन हो जाय और वे स्कूल नहीं खोले जायं, उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स द्वारा, तो यह उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की नाकाबलियत ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो मंत्री महोदय हैं उनकी भी नाकाबलियत का नमूना है। और मैं यह कह देना चाहता हूं कि जनतन्त्र के युग में ६०-६० स्कूलों का न खोला जाना पार्टीबाजी के नाते रोका जा सकता है; कभी भी आगे चल कर बर्दाश्त नहीं किया जायगा। इस बात को मद्देनजर रख कर इस धारा को मंजूर नहीं किया जा सकता। मेरा एक और अमेन्डमेन्ट इसी संबंध में आगे चल कर आवेगा; अतः मैं इस पर अधिक न कह कर माननीय मंत्रीजी से मेरी छोटी सी बात का जवाब चाहूंगा और फिर आगे की बात कहूंगा। मैं सदन से अपील करूंगा कि ६० स्कूलों की सेंक्शन होने पर भी उन्हें नहीं खोले जाने के नमूने को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मियाद को नहीं बढ़ाया जावे।

श्री भीमसिंह—मैंने भी एक अमेन्डमेन्ट मूव किया था किन्तु उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—सारे अमेन्डमेन्ट जो क्लॉज दो के लिए रखे गए हैं अगर वे एक ही साथ ले लिये जांय तो ठीक होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रोसिजर के तौर पर यह प्रश्न उठा है। इस लिए मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सारे के सारे अमेन्डमेन्ट एक साथ लेना कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। जैसे अगर माननीय सदस्य ने निगेटिव अमेन्डमेन्ट मूव किया है और अगर वह पास हो जाता है तो बाकी के अमेन्डमेन्ट्स को मूव करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक माननीय सदस्य का निगेटिव अमेन्डमेन्ट है तो उसके वापिस होने पर दूसरे सबस्टेन्शियल अमेन्डमेन्ट रह जावेंगे। अतः सही प्रोसिजर यही होगा कि पहले निगेटिव अमेन्डमेन्ट्स ले लिए जांय और उसके बाद दूसरे जो अमेन्डमेन्ट्स हैं वे भी ले लिये जांय। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे अमेन्डमेन्ट जो पेश होने वाले हैं वे निगेटिव हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल नं० ९४ की ओर आकर्षित करता हूं। इसका सब-क्लॉज (३) इस प्रकार है :—

"An amendment may not be moved which has merely the effect of a negative vote"

इस क्लॉज में जो प्रोविजन है उससे इस बिल का क्लॉज २ भी केन्सल हो जाता है और जब इस बिल का क्लॉज २ केन्सल हो जाता है तो यह सारा एक्ट ही केन्सल हो जाता है। निगेटिव बोर्ड के ढंग का यह अमेन्डमेन्ट है। मैं जानना चाहूंगा कि इस स ंध में मि० व्यास क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट तो मूव हो चुका है और जिस रूल का आपने जिक्र फरमाया है वह तो स्टेज पास कर चुकी है। मैं तो यह जिक्र कर रहा था कि बाकी के अमेन्डमेन्ट्स निगेटिव अमेन्डमेन्ट्स न हों। यानि "डिलिट फलां फलां लाइन्स"। इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स जो कोई आने वाले हों वे निगेटिव न हो जांय इसलिये वे अलग ले लिए जांय।

एक बार जब अमेन्डमेन्ट मूव हो चुका है तो उसके बाद रूल ९४ किसी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि उसको रिजेक्ट कर दिया जाय तो यह दूसरी बात है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, जिस स्तर की बात का जवाब मुझसे चाहा गया है उस स्तर पर तो मैं जवाब नहीं दिया करता हूं। बाकी जो यह दलील दी गई है कि जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मियाद बढ़ाने के लिए यह जाहिर किया गया है कि इससे जनता में असन्तोष है. इसके संबंध में मेरा एक ही जवाब है और वह यह है कि इससे जनता में कोई असन्तोष नहीं है बल्कि जनता तो उसका स्वागत करती है। कुछ व्यक्तियों का दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है। मेरा तो निवेदन यही है कि इस बात से कुछ मित्रों को असन्तोष हो सकता है। उनके भी असंतोष को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। मैं जानता हूं कि जनता में इस बात पर कोई असन्तोष नहीं है। मैं भी जनता में से ही आया हूं और जनता का ही एक व्यक्ति हूं, मेरा भी मिलना जुलना होता ही है। अतः जो अमेन्डमेन्ट आया है वह गैर जरूरी है। यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। मुझे तो यह अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस अमेन्डमेन्ट को रूल आउट करता हूं क्योंकि इससे वह बहस आरम्भ हो जाती है जो पहले हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर मत नहीं लिए गए हैं।

("रूल आउट कर दिया गया है" इस प्रकार की सदन में आवाज)

श्री भीमसिंह—मैंने भी संशोधन पेश किया है और वह इस ध्यान से पेश किया है कि जो यह बिल रखा गया है वह महज टाइम एक्सटेन्शन (time extension) के लिए है। जहां तक एक्सटेन्शन का श्न है और जैसा कि इस बिल के प्रिएम्बल में कहा गया है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन (day to

[श्री भीमसिंह]

day administration) पूरा होता रहे और इसी को ध्यान में रख कर एक्सटेन्शन के लिए यह बिल रखा गया है। मैंने इसमें एक ही शब्द को इन्सर्ट करने का सुझाव रखा है। मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"In Clause 2, Line 7 the following words after the words 'any such' and before the word 'Board' be inserted:—'duly elected'; so as to read as follows:—

'From time to time extend for tho purposes of this Act, the term of any snch duly elected Board'.

मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन द्वारा शब्द "बोर्ड" के पहले ड्यूली इलेक्टेड रख दिया जाय। "ड्यूली इलेक्टेड बोर्ड" आवेगा तो किसी को एतराज भी नहीं होगा। यदि बोर्ड "ड्यूली इलेक्टेड" नहीं है तो वास्तव में उसके पीछे कोई आवाज नहीं है। ज्यों ज्यों और जो जो सरकारें आईं उसी तरह से बोर्ड्स बढ़ते गये, अपने अपने आदमियों को नियुक्त कर दिया गया। उन बोर्ड्स का एडमनिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है, इस और कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में बिल जरूर पेश हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर दो शब्द एड कर दिये जांय और मेरे ख्याल से मिनिस्टर साहब को दो शब्द एड करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी मांग ज्यादा बड़ी नहीं है सिर्फ दो ही शब्दों को एड करने की मांग है, सिर्फ दो शब्दों के लिए ही मेरा निवेदन है। घटाने की मेरी डिमान्ड नहीं है, सिर्फ एड करने की ही डिमान्ड है। यही मेरा निवेदन है।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष जी,....

श्री अध्यक्ष—Let all the amendments be moved first.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, हमारे इस क्लॉज पर जो अमेन्डमेन्ट हैं वे इस प्रकार के हैं कि अगर इनमें से कोई भी स्वीकार हो जाता है तो हम हमारे अमेन्डमेन्ट विथ्ड्रा कर लेंगे। इसलिए वन बाई वन (one by one) लिये जाएं तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—डिस्कशन सब पर एक साथ कर लीजिएगा। वोटिंग के समय ध्यान रख लेंगे।

श्री मानसिंह महार (जमुआ रामगढ़)—इनका जवाब ?

श्री अध्यक्ष—जवाब तो एक एक के हो जावेंगे। You want to move your amendment or not ?

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—I want to move it after this amendment.

Page No.56

श्री अध्यक्ष—Yes, move it.

श्री मानसिंह—I shall move it after...........

श्री अध्यक्ष—No, No. If you want to move it, you do it.

श्री मानसिंह—I have said that............

श्री अध्यक्ष—Order ? If you move it, you move it now.

श्री मानसिंह (महार)—My amendment is :—

"The following words be inserted in 'line fifth after the words, 'State Government may, and before the words by Notification'—

'after substituting the nominated members by the members of all the political parties," Thus the clause would be—

"Nothwithstanding anything contained in Section 4—A or Section 12 of the Jaipur District Boards Act, 1947, and notwithstanding the expiry of the term of any District Board to which this Act applies, the State Government may *after substituting the nominated members by the members of all political parties of that District*, by notification in the Rajasthan Gazette, from time to time extend for the purposes of this Act, the term of any such Board, so as to take effect retrospectively or prospectively, for such period or upto such date as may be specified in the notification."

माननीय अध्यक्षजी, अपना संशोधन सदन के सामने रखने के बाद में यह आशा करूंगा कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अन्दर प्रजातन्त्र की हत्या का जो प्रयत्न किया गया है उस गलती को दूर करके और सच्चे माने में जनतन्त्र के युग का विकास करने के लिए मैंने यह एक छोटा सा संशोधन रक्खा है। यह संशोधन क्या है, यह तो इस सैक्शन, २ के अन्दर एक छोटा सा एडिशन है। इसमें मन्त्रीजी की इच्छा पूरी हो रही है। उनका सैक्शन जैसा का तैसा ही है केवल एक छोटा सा क्लॉज बढ़ाया जा रहा है। इससे इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानून में जो सबसे बड़ी खामी है उसकी पूर्ति होती है। वह किस प्रकार होती है, यह मैं बताता हूं।

वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक पार्टी विशेष के आदमियों से भरपूर है। इसके अन्दर विरोधी दल के, सत्तारूढ़ दल न कहकर केवल विरोधी दल ही कहता हूं क्योंकि वह शब्द बुरा लगेगा, मैं यह कहूंगा अपने ही लिए कि विरोधी दल के आदमियों में से भी इन बोर्डों के कुछ आदमियों से यह सबस्टीट्यूट कर दिया जावे या ओरिजिनल जयपुर बोर्डों एक्ट की पूर्ति कर दी जावे और इसको करके फिर अगर मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि इस बिल को पास कर दिया जावे तो हम सहर्ष इसे पास करेंगे और उनकी जो एकोमोडेटिव स्पिरिट (accommodative spirit) होगी उसका स्वागत करेंगे और हम समझेंगे कि वाकई

Page No.57

[श्री मानसिंह (महार)]

में हम से जो कहा जाता है कि विरोधी पक्ष वालों को सहयोग की भावना अपनानी चाहिये, यह करना चाहिये, वह करना चाहिये ; उसी प्रकार से यदि सरकार पक्ष भी सहयोग देगा और हम लोगों का जो उचित सुझाव है, जिसका स्तर भी ऊंचा है इस उच्चस्तरीय सुझाव को मन्जूर करेंगे और इस प्रकार से अपनी विशाल हृदयता का परिचय देंगे तब मैं समझूंगा कि उच्च और निम्न स्तर की बातें वगैरह जो मन्त्रीजी ने कही हैं वे ठीक हैं। उस समय मेरी धारणा बनेगी कि उच्च स्तर की बातें हमारे मन्त्री जी पसन्द करते हैं। पर अगर इस उच्च स्तर की कही गई बात को भी हमारे मन्त्रीजी मन्जूर नहीं करते हैं और विरोधी पक्ष को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुधार का मौका नहीं देते हैं और इसमें रिप्रेजेन्टेशन का भी अवसर नहीं देते हैं और इन सब पर भी अगर वे विचार नहीं करते हैं तो उनकी उच्च स्तर की बातें तो फिजूल ही होंगी। मैं तो कुछ और ही समझूंगा।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट आम जनता के हित का अमेन्डमेन्ट है। इसके हो जाने से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल जिस नीयत से पास किया गया था वह नीयत पूरी हो जावेगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सही माने में काम करेंगे और आज जो पक्षपात का बोलबाला है इनमें वह भी समाप्त हो जावेगा। इस समय तो अपनी अपनी ढपली बज रही है, अपने अपने समर्थकों को ठेके आदि देते हैं। अगर दूसरी पार्टी का आदमी मास्टरी के काम के लिए दरख्वास्त देता है तो महज इस बात के कारण कि ये दूसरी पार्टी के हैं और चुनाव प्रोपेगेन्डा में अपने हथियार नहीं बन सकेंगे, उनकी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाता, ६०-६० स्कूलों को रोक दिया जाता है। पर मेरे इस अमेन्डमेन्ट के बाद इन सबकी कोई सम्भावना नहीं रह जावेगी, क्योंकि जो कमेटियां बनेंगी उनमें ऐसी चीज नहीं रहेगी। फिर विरोधी पक्ष को भी अधिक कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अभी तो एक पक्ष के ही आदमी वहां हैं फिर सब पक्ष के होंगे। फिर वे कोई बात करेंगे तो जरूर दोनों की जिम्मेदारी होगी। जिन ६० स्कूलों को महज पार्टीबाजी के कारण खोलने से रोक दिया गया था वह चीज तब नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने यह फरमाया था कि यहां जो वाद-विवाद हुआ था उसका स्तर नीचा था। उसको अब ऊंचा करके ऊंचे स्तर में ही मैं माननीय मन्त्री महोदय से इसका भी जवाब चाहूंगा कि क्या उन्होंने इसके बारे में जांच की। मुझको खुदको मालूम है, इन ६० स्कूलों के बारे में इसके बारे में भी उच्चस्तरीय बातें होंगी तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा।

यह कहकर मैं सदन से अपील करूंगा कि यह मेरा अमेन्डमेन्ट बड़ा ही उचित है। यह जनहित के लिए एक नये युग का विकास करता है इसको जरूर आप लोग मन्जूर करें।

श्री भैरू सिंह (दांता-रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज (२) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"The following words be substituted in line 5 after the words, 'the Government may and before the words 'by notification'—

[श्री भरतसिंह (दां० रा०)]

'after substituting the nominated members by the M.L.A's of that District'. Then the clause would be—

'Notwithstanding anything contained in Section 4-A or Section 12 of the Jaipur District Boards Act, 1947, and notwithstanding the axpiry of the term of any District Board to which this Act applies, the State Government may, *after substituting the nominated members by the M.L.As. of that District* by notification in the Rajasthan Gazette, from time to time ext nd for the purposes of this Act, the term of any such Board, so as to take effect retrospectively or prospectively, for such period or upto such date as may be specified in the notifiation.'

अध्यक्ष महोदय, आज के इस वाद-विवाद में इस बात से सब लोग सहमत हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मनोनित सदस्य लिये जाने से जनता का वास्तविक हित नहीं हो रहा है और इसी कारण आज इसमें जनता का विश्वास भी नहीं रह गया है।

अभी माननीय मन्त्रीजी ने आम बहस का जब जवाब दिया तो विरोधी पक्ष की ओर से जो संशोधन पेश किये गये उनका विरोध करते हुए कई आक्षेप लगाये हैं। मेरी राय में यह चीज जनतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है और जनता की लोकराज स्थापित करने की भावना को ठेस पहुंचाते हैं।

दूसरी चीज यह कही गई कि चुनाव कराने के लिए समय की जरूरत है और जब तक कि चुनाव हों इन्हें तोड दिया गया तो जो कार्य इस समय चल रहा है वह समाप्त हो जावेगा, जनता के धन का व समय का दुरुपयोग होगा और जो थोड़े बहुत जनहित के कार्य इन बोर्डों ने अपने हाथ में अभी ले रक्खे हैं वे अधूरे रहेंगे।

लेकिन मैंने जो सुझाव रक्खा है वह ऐसा है कि जब तक चुनाव नहीं हो या किसी एग्जीक्युटिव अफसर की नियुक्ति न करे तो जो असेम्बली के मेम्बर्स हैं उन्हीं को इन बोर्डों का सदस्य बना दिया जावे। इस असेम्बली के सदस्य सब के सब इलेक्टेड हैं, जनता के बहुमत का विश्वास इनके साथ है। जब जनता के बहुमत का विश्वास सम्पादन करने पर इस असेम्बली के वे सदस्य हो सकते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य नामजद कर देने में कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरा यह संशोधन सदन के समक्ष रखा गया है। आशा है सदन इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगा।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर सब से बड़ा इल्जाम यह लगाया जाता है कि पार्टीबाजी के चक्कर में आकर चुनाव कार्य में मदद की जाती है। माननीय मंत्रीजी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव, पंचायतों में जो चुनकर आयेंगे उनके द्वारा होगा। इस पर आपत्ति यह है कि जब पंचायतों का एक चुनाव भी पार्टी के आधार पर होने की संभावना है तो पंचायत द्वारा बोर्ड का चुनाव भी उसही आधार पर होगा। इस लिए वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायतों में कहीं कुआ, कहीं पाठशाला, कहीं बगीचा आदि लगाने की मन्जूरी

[श्री भैरूंसिंह (दां० रा०)]

देकर उस जगह की पंचायतों पर अपना अधिकार करने का अनुचित प्रयत्न करेंगे। इसके लिए सब से अच्छा और सुलभ मार्ग यह है कि जिस क्षेत्र से जो एम.एल.ए. चुनकर आये हैं उनको भी बोर्ड का प्रतिनिधि बनाया जाय। जैसे सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए यह कहा गया कि उसमें जाति विशेष के प्रतिनिधित्व का कोई ख्याल नहीं था, जाति विशेष के प्रतिनिधित्व के ख्याल से कोई योजना नहीं बनायी गयी थी परन्तु यदि इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी तो २१ सदस्यों में से १७ आदमी एक ही वर्ग के लिये जाने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई ? इस भावना के अन्तर्गत एक पार्टी विशेष को महत्व देने के साथ साथ एक कौम विशेष को ज्यादा महत्व दिया गया है जिसमें हरिजनों का प्रतिनिधि नहीं, भोमियों का प्रतिनिधि नहीं, जागीरदारों का प्रतिनिधि नहीं। इन सब को कोई स्थान नहीं दिया गया। इनकी बजाय उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीकर में रखा गया जो एक भी पैसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नहीं देते। उन लोगों के हाथों में जनता के हजारों रुपये खर्च करने का अधिकार दिया जाता है ; यह किस सीमा तक ठीक कहा जा सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रक्खे हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसे स्वीकार कर जनता के असंतोष को दूर करें।

इससे शिकायतें दूर हो जायेंगी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो मनमानी हो रही है वह नहीं हो पायेगी और विरोधी दल को शिकायत करने का मौका भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर ले। इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लेने के बाद मुझे इस धारा के मन्जूर होने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट दूसरी धारा में पेश किया गया है, उन अमेन्डमेन्टों में से पहला अमेन्डमेन्ट जो ड्युली इलेक्टेड का है वह इसलिये नामंजूर है कि उसके बारे में अवधि विस्तार की बात के सिलसिले में उसकी काफी चर्चा हो चुकी है। मैं सदन की जानकारी के लिए इतना बताना चाहता हूं कि विरोधी दल की तरफ से जो बार बार यह कहा जाता है कि ज्यों ज्यों सरकार बदलती गई अपने अपने पक्ष के लोगों को बोर्डों में नियुक्त कर दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि वर्तमान सरकार ने इस किस्म के किसी बोर्ड का निर्माण नहीं किया। इससे आपको विश्वास होना चाहिये कि आज जिस सरकार ने किसी बोर्ड में नोमीनेशन नहीं किया उस पर इस कार का लांछन नहीं आता कि जो आप लगाना चाहते हैं।

रिकांस्टिट्यूशन की जो बात कही गई उसमें कोई वजन महसूस नहीं होता। कानून द्वारा ही यह अधिकार दिया हुआ है कि रिकांस्टिट्यूट किया जाय, नोमीनेशन किया जाय या अवधि को बढ़ाया जाय, यह तो कानून में अधिकार दिया हुआ है। इसलिये इस बात की जरूरत नहीं पडती; रिकांस्टिट्यूशन की। और अवधि बढाने का सवाल तो आपके सामने है ही।

एक सुझाव यह दिया गया है कि इन बोर्डों में एम. एल. एज. को रख दिया जाय। मैं समझता हूं तब तो यह राजनैतिक दांवपेंच का एक तरह से अखाड़ा बन जायगा। मुझे तो कई बार ऐसा

[श्री रामकरण जोशी]

लगता है कि जो कई एम. एल. एज. नोमीनेटेड हैं वे बोर्ड के साथ न्याय नहीं करते। वे अपना सारा समय दूसरे कामों में ही लगा देते हैं, बोर्डों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एम. एल. एज. को यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज़ में रख दिया जाता है तो यह डिविजन ऑफ लेवर की दृष्टि से, जनता के हित की दृष्टि से गैरमौज़ूं होगा। प्रत्येक एम. एल. ए. अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी में नहीं फिर सकेगा और न जनता के कष्टों का खयाल कर सकेगा। इसलिये यह सुझाव उपयोगी प्रतीत नहीं होता।

दूसरी बात जो कही गई है कि शंकाओं का समाधान चाहते हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैंने अपनी भावना बता दी। आपको भरोसा रखना चाहिये और आपको, जैसा कि यह कानून है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो संशोधन रखा है वह यह था कि भिन्न भिन्न पार्टियों के भिन्न भिन्न वर्गों के आदमियों को और एड कर लिया जाय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में। लेकिन अफसोस है कि यह कह कर बात टाल दी गई है कि यह तो एक्सटेन्शन ऑफ टर्म है। मैंने तो यही कहा था कि वहां एक पार्टी विशेष के आदमी हैं लेकिन मेरे एक मित्र ने अपने भाषण में यहां तक फरमा दिया था कि पार्टी विशेष का ही क्या, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तो एक कुनबा विशेष के ही आदमी हैं। यह कुनबा परस्ती की भावना जो चली आ रही है तो उसमें यदि चार-पांच शब्द और बढ़ा दिये जायं तो इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कायाकल्प हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कायाकल्प होनेके साथ साथ यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सच्चे मायने में सब पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे तो और इसके साथ साथ यह चीज होगी कि जनता के अन्दर उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्रति आदर होगा और विश्वास होगा। जनता यह समझेगी कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में पार्टी इन पॉवर को या कुनबा पार्टी को हटा दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स सब पार्टियों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार इस एसेम्बली को, हालाँकि सरकार एक पार्टी की है, किन्तु जनता यह जानती है कि एक पार्टी गवर्नमेंट होते हुए भी विरोधी पक्ष और दूसरी पार्टियाँ मौजूद हैं, जो सरकार को चुनौती दे सकती हैं, सरकार को गलत मार्ग से सही मार्ग अपनाने को बाध्य कर सकती हैं; बाध्य नहीं तो कम से कम आवाज उठाकर सरकार के कान तो अवश्य खोल सकती हैं। इसी प्रकार अगर इस खण्ड पर माननीय मंत्री महोदय मेरा अमेण्डमेन्ट स्वीकार कर लेंगे तो यह बात हो जायगी कि उन को ज्यादा नहीं तो यह उनकी स्कीम में फेल हो जावेंगे वे किसी गांव विशेष को किसी प्रकार मदद नहीं दे पायेंगे। कि हमारा सुझाव यह नहीं कहता कि विरोधी पक्ष की मेजोरटी कर दी जाय किन्तु यह कहना है कि यदि विरोधी पक्ष के कुछ लोगों का समावेश हो जाता तो जो कुछ गलतियां हो रही हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं सही रास्ते पर ले जाने के लिये हम मेजोरिटी को बाध्य करते; अगर वे न मानते तो भी उन पर एक प्रकार का अंकुश रहता। अंकुश के कारण कुनबा परस्ती और पार्टी परस्ती की नीति का खात्मा हो जाता। हमारा यह दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री हमारे अमेन्डमेन्ट पर स्वीकृति नहीं देंगे, इसलिये मजबूर होकर हमें इस पोइन्ट पर डिविजन क्लेम करना पड़ेगा। हम जनता को दिखाना चाहते हैं

श्री अध्यक्ष—That you cannot do during your speech. You can do so when the occassion arises.

श्री मानसिंह—I am simply saying........

श्री अध्यक्ष—You should not say anything for the sake of saying.

श्री मानसिंह—That is what the majority party feels.

चूंकि बड़े उचित अमेन्डमेन्ट को सरकार स्वीकार करने के लिये अपने को असमर्थ पाती है इसी लिये मजबूर होकर ऐसी बातें कहदेनी पड़ती हैं जो कोई दफा माननीय अध्यक्षजी को नागवार गुजरती हैं; हम यह कहने के लिए बाध्य किया जाता है। अध्यक्ष महोदय में क्षमा चाहता हूं। आशा है डिविजन के समय माननीय मंत्री मेरे अमेन्डमेन्ट को जरूर सपोर्ट करेंगे।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ):—माननीय अध्यक्ष ! ....बाधित :

श्री अध्यक्ष—You will not make a speech.

श्री मानसिंह—I am giving a reply.

श्री अध्यक्ष—You will not in fact inflict the same arguments which you had done before.

श्री भैरूंसिंह—No Sir, I am replying only.

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्रीजी ने मेरे संशोधन के बारे में यह फरमाया कि धारा सभा के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य मनोनीत किया गया तो उससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्य अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कई डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में धारा सभा के जो सदस्य हैं वे दिलचस्पी नहीं लेते हैं और दिलचस्पी नहीं लेने के कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि यह अवसर विरोधी दल के सदस्यों को दिया होता तो शायद यह शिकायत उन्हें नहीं करनी पड़ती। वे सदस्य जो आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं सारे उनकी पार्टी के हैं। यदि वे देखते हैं कि सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्य में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो फिर भी उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य बनाये रखना, यह क्या रहस्य है, इस बात को मैं नहीं समझ सका। यदि वे समझते हैं कि वे सदस्य अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो उनको चाहिये था कि दूसरे व्यक्तियों को वे नोमीनेट करते, उनकी जगह दूसरे आदमियों को अवसर देते ताकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम ठीक प्रकार से चलता और इस प्रकार जनता की सेवा ठीक प्रकार से हो। मैं आशा करता था कि मंत्री जी शायद इस संशोधन को मंजूर कर धारा सभा के माननीय सदस्यों की इज्जत बढ़ायेंगे। लेकिन उनको धारा सभा के सदस्यों के काम में शंका प्रकट करना इस सदन के लिए और माननीय मंत्रीजी के लिए

श्री भैरोंसिंह (दां० रा०)
शोभनीय चीज नहीं है। उन्हें यह कह देना चाहिये कि सदन के सारे सदस्य काम करने में निपुण हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के काम को ठीक तरह से कर सकेंगे, जनता का उन पर विश्वास है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उन्हें लाजमी तौर से नोमिनेट कर देना चाहिये।

दूसरी चीज में यह निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी ने यह फरमाया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सब ही स्थानों पर सदन के सदस्यों को नोमीनेट कर देना ठीक नहीं होगा, प्रजातन्त्र के तरीकों के विरुद्ध होगा। में यह निवेदन करूंगा कि यह प्रजातन्त्र के विरुद्ध नहीं होगा। उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में धारा सभा के ८,९, या १० सदस्य जायेंगे, सारे के सारे नहीं। इसमें कुछ सदस्यों को हटाकर कुछ ही धारा सभा के सदस्यों को ही लाना पड़ता है। यह एक मामूली उलट फेर थी। उनको यह करनी भी चाहिये थी और अब भी कर सकते हैं इससे आगामी होने वाले इलेक्शन पर किसी पार्टी को शिकायत करने का अवसर नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पार्टीबाजी के आधार पर या व्यक्तिगत रूप में नाजायज फायदा हासिल किया गया है। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन के सदस्यों के प्रति मंत्रीजी का विश्वास जागृत करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सहयोग देगें। और इसलिए मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेकर उनकी अनुमति पर छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष—So I now put these amendments to vote which are in the order they were moved. The question is that the amendment moved by Shri Bhim Singh Division No. 17 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Man Singh Division No. 97 be accepted.

विरोधी पक्ष:—हां।

सरकारी पक्ष:—ना।

श्री अध्यक्ष—Noes have it.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—No, Sir, Ayes have it.

श्री अध्यक्ष—I wanted to know whether the member on the subsequent amendment also wants a division because both the motions were of the same nature.

Page No.63

श्री मानसिंह—किसी एक पर ही वोट लेलें।

श्री अध्यक्ष—So I put the question for both of these amendments together. The question is that the amendments moved by Shri Mansingh (Jamwa Ramgarh) and Shri Bheronsingh (Danta Ramgarh) be accepted.

विरोधी पक्ष—हां।

सरकारी पक्ष—ना।

श्री अध्यक्ष—Noes have it.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—No, Sir, Ayes have it.

एक आवाज—Noes have it.

श्री अध्यक्ष—(विरोधी पक्ष की ओर मुख करके) Do you want Division?

(कोई उत्तर नहीं मिला)

Noes have it. The amendments are lost.

श्री अध्यक्ष—Now the question is..............

श्री मानसिंह—(बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Order; Now the question is that Clause 2 stand part of the ill".

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill.

(विराम)

I think there is no amendment to Clauses 3 and 4. So I put the question cause these are only formal clauses—Repeal and Interpretation. So the estion is "that clauses 3 and 4 of the Jaipur District Boards (Extension of rms) Bill, 1953 Stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clauses 3 and 4 are added to the Bill.

(विराम)

The question is "that clause, stand part of the Bill".

श्री भैरूं सिंह (१६)--माननीय अध्यक्ष, मैं क्लॉज १ पर कुछ बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--You can speak. You have right to speak but I will not allow you to repeat former arguments. You can speak at the 3rd Stage when the Bill will be taken in the passing stage.

श्री भैरूं सिंह--मुझे इस क्लाज पर बोलना है ।

श्री अध्यक्ष--Yes.

श्री भैरूं सिंह--इस सारे बिल के संबंध में काफी वाद-विवाद हो चुका है और हाउस के सभी सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि सारे के सारे सदस्य नोमिनेटेड हैं और एक पार्टी के हैं। और मैं समझता हूं कि यह सारा का सारा बिल एक साथ मंजूर कर लिया जाएगा लेकिन मेरा सुझाव है कि इसका नाम जयपुर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (एक्सटेन्शन ऑफ टर्म) बिल, १९५३ कर दिया जावे; क्यों कि सभी सदस्यों ने यह बतलाया है कि यह एक कांग्रेस पार्टी का ही बोर्ड है और यह बिल उसही पार्टी के सदस्यों को प्रोत्साहन देने के लिए ही है ।

श्री अध्यक्ष--Order ! Order !! The Hon'ble Member should not reflect his grievances in such a way at the eleventh hour. There is no other amendment before me. So I again put the question "that Clause 1 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 1 is added to the Bill.

(विराम)

Now the Question is that the title and the enacting formula stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Title and the exacting formula are added to the Bill.

श्री रामकरण जोशी--Sir, I move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष--Motion moved.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--माननीय अध्यक्ष, इस बिल के बारे में बहुत कुछ वाद-विवाद इस सदन में हो चुका है । हमारी तरफ से इसमें संशोधन भी रखे गये थे किन्तु उन्हें, कोऑपरेटिव स्पिरिट में होते हुए भी, पैशाचिक मैजोरिटी के सामने गिरना पड़ा ।

Page No.65

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, We have serious objection.

श्री मानसिंह—Sir, I withdraw my words "ब्रूट(brute) मेजोरिटी के सामने गिरना पड़ा"।

श्री एच. के. व्यास—This word 'brute' has been many a times used, Sir, and I think one must not.........

श्री अध्यक्ष—He never wanted your ruling.

श्री एच. के. व्यास—But I want your ruling, Sir.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—I want to have your advice, Sir.

श्री अध्यक्ष—Thank you very much, uncalled for. The Hon'ble Member has an opportunity to say something over the Bill and he has a right to do so but I will request the Hon'ble Member and all other members who are concerned that simply for the sake of opposition they have shown in this House that they are opposed to the Jaipur District Boards (Extension of Terms) Bill, 1953, and this has been quite clear by way of the time that has been taken for the discussion of this subject and now because of the obvious factors that they have discussed before the House, he again wants to make opposition. I think he will not repeat the words and use the language which, though may be *parliamentary*, hurts the feelings of others.

श्री मानसिंह—माननीय अध्यक्षजी, आपकी रूलिंग के बाद मुझे संतोष हुआ। आपने बिल्कुल उचित फरमाया फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष—Come to the point.

श्री मानसिंह—तीन घंटों तक बराबर हाउस में निवेदन करने के बाद भी कि इस बिल को ड्रॉप किया जाय क्योंकि हमारी यह मांग बिल्कुल वाजिब है और न्यायपूर्ण है। सरकार इस बात पर तुली हुई है कि यह तो हमारी प्रेस्टिज के खिलाफ है कि विरोधी पक्ष के एक भी अमेंडमेन्ट को मन्जूर किया जाय। यह जानते हुए भी कि उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती है फिर भी क्योंकि हमें यह आखिरी मौका मिला है इसलिए उनसे एक बार और कहा जाय कि इस बिल को पास नहीं करें। यह कह कर मैं फिर एक बार उनको बताऊं कि जिस वक्त मैंने अपील की थी उस वक्त बहुत से साथी लॉबी में बैठे हुए थे......

श्री अध्यक्ष—But I was present. I don't want to hear such arguments

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—मैं रिपीट (repeat) नहीं करूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके जरिये इस सिदन को कि यह बिल एक बड़ा ही खतरनाक बिल होगा क्यों कि नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की अवधि बढ़ाई जा रही है। यह मेरे मित्र कह रहे हैं कि यह तो काला कानून होगा हालांकि मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहता, पर उनकी जुबान के मुवाफिक अगर इस बिल को पास किया गया तो यह एक काला कानून होगा। इस सरकार के ऊपर यह एक लांछन होगा कि नोमीनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मयाद को बढ़ाया जा रहा है, जबकि विरोधी पक्ष कहता है कि हमारे आदमियों को मेजोरिटी में नहीं तो माइनोरिटी में ही लें।

हमने अपने भाषणों में कहा है कि इस प्रकार की ज्यादतियां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में हो रही हैं; मैंने ६० स्कूलों की बात कही, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

माननीय अध्यक्षजी, आप हमें यह फरमा देते हैं कि यह कहो, वह कहो, पर हमें आपकी न्यायरूपी जुबान से यह सुनना चाहते थे कि आप सरकारी पक्ष को फरमाते कि इस बात के कंसीडरेशन के लिये दो शब्द तो कहें। पर हमारी सरकार तो कंसीडरेशन के लिये मौका ही नहीं देती तो मजबूर होकर हमें इस बिल को रोकने के लिये जो रास्ता अख्त्यार करना चाहिये, कर रहे हैं; वह रास्ता पार्लियामेंटरी है।

मैं आखरी बार अपील करूंगा कि इस बिल को थ्रो आउट करके आप साहबान अपनी न्यायप्रियता का परिचय दें।

श्री अध्यक्ष—Now the Question is "that the Bill be passed."

(स्वीकृति)

The Bill is passed.

अनुपूरक मांग-अकाल

श्री अध्यक्ष—Now we come to today's agenda. (विराम) I think Hon'ble Members have got their statements and therein the priority has been given to the Supplementary List of Demands and they will be taken up. So we are to first take up Demand No. 54 regarding famine—Shri Mohanlal Sukhadia.

श्री एच. के. व्यास—On a point of information, Sir. I want to know if this priority is after consultation with the Public Accounts Committee or not because........

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—I beg to move that a supplementary sum not exceeding Rs. 21,50,000/- be granted to H.H. the

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. LVI, Major Head 54- Famine.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. I want to know the sense of the House because this is only a supplementary grant and we shall discuss the policy of the Government on the budget which has been introduced last evening and we have allotted perhaps seven days for detailed discussion and thorough criticism of the policy of the Government will be made by Hon'ble Members in connection with that. And now as I have received several cut-motions I will request the Hon'ble Members concerned that they should be brief. Two minutes earlier of the allotted time I will ring the bell so that they may be able to wind up their speeches. The utmost time will be given according to the sum and substance of the speech and the relevancy but generally 7 minutes for each cut motion will be given.

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—My cut Motion is "That the demand for the supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 21,50,000/- in respect of 54 Famine be reduced by Rs.100 - (to disuses the waste, nepotism and inadequacy of arrangement for famine)".

मैंने जो कट मोशन प्रस्तुत किया है उसके बारे में एक शब्द में उसका कारण भी बता देना चाहता हूं और वह कारण यह है कि अकाल के सिलसिले में जो खर्चा किया जा रहा है और जिस प्रकार का कार्य चल रहा है उसे एक स्केन्डुलस रेकार्ड (Scandalous Record) कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी दो तीन मदों में मंजूरी की गई जिसमें घास को इधर उधर ले जाने के बारे में तथा कुछ संस्थाओं को रेलवे के किराए में कुछ कंसेशन दिया गया उस बारे में पैसों की मंजूरी चाही गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो मंजूरी ली जा रही है उसका खर्चा व्यवहारिक रूप से किस प्रकार हो रहा है। सबसे ज्यादा अकाल की भयंकर हालत इस समय बीकानेर के कुछ इलाकों में है और इसलिए मैं नोहर तहसील का मामला आपके सामने पेश करना चाहूंगा। नोहर तहसील में दो संस्थाओं को सरकार ने कन्सेशनल रेट पर घास लाने लेजाने की सहूलियतें दीं। एक तो वहां की गौशाला को और एक अभी अभी सरकार ने फेमिन रिलीफ कमेटी बनाई है, राय देने व देखरेख रखने के लिए। मेरा खयाल है कि जो कोई भी आदमी इसको सुनेगा तो ताज्जुब करेगा। जो गौशाला है वह भी उसी क्षेत्र से घास लाती है जहां से कि वह कमेटी, जिसको कि सरकार ने बनाया है, लाती है। गौशाला को घास एक रुपया चार आना प्रतिमम पड़ता है और जिस संस्था को सरकार ने कन्सेशन रेट दी है गौशाला के साथ साथ, वह संस्था बाजार में एक रुपया चौदह आना के हिसाब से बेचती है। जब दोनों को ही कन्सेशनल रेट दिए

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हुए हैं, जब दोनों को एक ही क्षेत्र से घास लाने की सहूलियतें हैं तो फिर एक संस्था को तो एक रुपया चार आने प्रति मन में घास पड़ता है और दूसरी संस्था एक रुपया बारह आना और एक रुपया चौदह आना में किस प्रकार बेचती है ? आठ आना और दस आना फी मन का जो खर्चा अधिक पड़ रहा है उसका कौन जिम्मेवार है ? माननीय मंत्री महोदय हमारी मंजूरी के लिए जो रकम पेश करते हैं उस संबंध में हम जानना चाहते हैं और चाहेंगे कि जिनको यह रकम दी जा रही है वह पब्लिक के रिलीफ के लिए है या नहीं ?

लेकिन अभी डेढ़ दो महीने पहले अचानक रिलीफ सेक्रेटरी की ओर से एक हुक्म शाया होता है और उसमें यह लिखा है कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट और इसी प्रकार बीकानेर के दो जिले फोडर के सिलसिले में भी अभावग्रस्त क्षेत्र हैं और इस हुक्म के मुताबिक इन चार जिलों में से घास बाहर भेजने की मुमानियत कर दी गई।

यह सर्क्यूलर रेलों को, कस्टम को और कलेक्टरों को भेजा गया और इसके मुताबिक जब इन इलाकों के लोग जो कुछ घास छीलछील कर और उसे बेच कर किसी तरह से अपनी परवरिश करते थे उनको इस पाबन्दी का जब पता लगा और शिकायत की इसकी, तो हम जिलाधीश के पास गये और उनसे पूछा कि यह पाबन्दी क्यों लगाई गई ? उन्होंने उत्तर दिया कि जहां तक हमारी रिपोर्ट का ताल्लुक है हमने कोई ऐसी रिपोर्ट सरकार के रिलीफ सेक्रेटरी को कभी नहीं भेजी कि फोडर के लिए भी यह स्केर्यसिटी एरिया है।

फिर अचानक यह हुआ कैसे ?

हर साल महीने डेढ महीने के लिए इस प्रकार का हुक्म शाया होता है और बाद में उसे बदल दिया जाता है जब जनता की शिकायत इसके विरुद्ध पहुंचती है तो वह भी इसलिए कि पोकरन के पास ही मिलिटरी का कैम्प है वहां कुछ लोगों ने ठेके ले रखे है, घास की सप्लाई वहां करने के लिए। तो अब अगर बाहर जाने के लिए प्रतिबन्ध लगता है तो यह होता है कि घास के भाव गिरते हैं और तब ये ठेकेदार लाखों मन घास खरीदते हैं। फिर जब पब्लिक रिप्रेजेन्ट करती है तो प्रतिबन्ध उठा लिया जाता है। पिछले साल भी यही वाकया हुआ। इस साल भी यही वाकया चल रहा है। पाबन्दी अभी हटी नहीं है, हटाने की कार्यवाही चल रही है।

तीसरी चीज और कहूंगा कि हमसे जो अकाल सहायता कार्य के सिलसिले में यह रकम मंजूर करवाई जा रही है लेकिन एक ओर जब लाखों रुपया मंजूर करवा कर खर्च किये जा रहे हैं वहां दूसरी ओर उसी अकाल सहायता कार्य की देखभाल किजनी की जा रही है इसकी भी एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहूंगा।

नवम्बर या दिसम्बर के महीने में राजस्थान सरकार की ओर से हुक्म शाया हुआ कि अभी वसूली रोक दी जावे और इस हुक्म के मुताबिक जहां जहां अभावग्रस्त क्षेत्र थे वहां वहां के कमिश्नरों ने आदेश दे दिये इस संबध में कि वसूली रोक दी जावे।

[श्री हरीकृष्ण व्यास]

इसके बाद बीकानेर डिविजन के कमिश्नर के पास भादरा के ठाकुर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे गावों के अन्दर अभावग्रस्त क्षेत्र कोई नहीं हैं इसलिए वसूली को इजाजत दी जावे। वहां से ऑर्डर इश्यू होता है जिसमें लिखा गया कि फलां फलां व्यक्ति की अरजी आने पर यह फैसला किया जाता है कि वहां वसूली करवादी जावे। कहां करवाई जावे, कितनी करवाई जावे आदि के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन्स नहीं; उनकी अरजी के ऊपर ही फैसला किया जाता है कि वसूली करवा दी जावे। सभी कलक्टर, तहसीलदार आदि को यह हुक्म भेज दिया जाता है और इसके बाद गैर कानूनी तरीके से वसूली भी की गई है। सरकार के पास शिकायतें आई हैं इस बारे में, पर कुछ कार्यवाही नहीं की गई। समयाभाव के कारण और अधिक बातों का जिक्र नहीं कर पाऊंगा। फिर भी यह कहना चाहता हूं कि सही माने में देखा जावे तो अकाल के नाम पर लाखों रुपया मंजूर जो किया जाता है उसकी न सिर्फ उचित देखभाल ही नहीं की जाती है बल्कि उसका पूरा दुरुपयोग भी किया जा रहा है।

इसलिए मैंने यह मोशन मूव किया है। मैं इसको इन शब्दों के साथ मूव करता हूं।

श्री मानसिंह महार (जमुवा रामगढ)—अध्यक्ष महोदय, ऑन एपॉइण्ट ऑफ एक्सप्लेशन सर ....

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में या और किसी के बारे में ?

श्री मानसिंह महार—अभी मैंने अपनी प्रीवियस स्पीच (Previous speech) में ....

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! You will not slip.

श्री मानसिंह महार—मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जिस आर. जे. ४९ गाड़ी के लिए मैंने अपनी पिछली स्पीच में जिक्र किया था और जिसको झूठ और अनपार्लियामेन्टरी बताया गया था वह गाड़ी नीचे खड़ी है। ऑनरेबल मेम्बर को लेने के लिए ही आई है। न हो तो आप दर्यापत करलें।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री जसवन्तसिंह—श्रीमान् अध्यक्ष जी, अकाल के लिये सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स की मांग की गई है; उस पर मैं दो-चार शब्द कहना चाहता हूं। बीकानेर रियासत में अकाल एक मामूली चीज है। हर दूसरे या तीसरे साल अकाल पड़ता ही रहता है। इसके लिए मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं कि जहां तक माननीय मंत्री महोदय का इससे सम्बन्ध है वे इसमें काफी सहानुभूति रखते हैं। जब कभी आप बीकानेर पधारते हैं तो लोगों से और दूसरे कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा करके इस कार्य में दिलचस्पी लेते हैं मगर उनके जाने के बाद में जब उसको कार्यान्वित करने का समय आता है तो बहुत कुछ ढिलाई हो जाती है, कोई भी कार्य नहीं बन पाता। हम अखबारों में देखते हैं कि जब मंत्री महोदय के वापिस जयपुर आने

[श्री जसवन्तसिंह]

पर, जो उनके दौरे का अकाउन्ट छापा जाता है उसमें बहुत जोरों से यह कहा जाता है कि इतनी बड़ी रकम अकाल के लिये लगाई गई है, यह मैं उनका दोष नहीं समझता। उनके जो निजी सचिव व सचिव हैं वे बीकानेर और जोधपुर की हालात से वाकफियत नहीं रखते हैं इसलिये वे इस अकाल के सवाल को बीकानेर और जोधपुर में रहने वाले आदमियों की आंखों से नहीं देखते। आज जितना कार्य अकाल का सामना करने के लिये इस वक्त किया जाता है वह काम पहले से किये जाने वाले काम के मुकाबिले में बहुत कम है, फिर भी काफी रकम लगाई जाती है। परन्तु इस एरिया की जनता को इन साधनों से कुछ भी सन्तोष नहीं मिल सकता। इसका कारण यह है कि जब कभी बीकानेर या जोधपुर में अकाल पड़ता था तो रकम तो आज जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा लगती थी; इसके अलावा लोकल एरिया होने के कारण उस पर निगरानी अच्छी तरह रखी जाती थी। ऑफिसर वहां के होते थे, अतः उनको जनता के बीच में रहना पड़ता था। आज भी अफसर तो वहां पर हैं किन्तु उनको वहां के हालात से वाकफियत नहीं है। यह किसी का दोष नहीं है। यह तो राजस्थान के बनने से ऐसा हुआ है। उनको लोकल कन्डीशन्स की वाकफियत नहीं होती है कि किनसे सलाह लेनी चाहिये, कौन व्यक्ति इसमें सहायक हो सकते हैं आदि आदि का ज्ञान उनको नहीं होता। इसलिए सलाह मशिवरा करते हैं लेकिन वे ठीक सलाह नहीं पा सकते हैं। अभी हाल ही में की हुई बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में दो समितियां हैं। एक तो लूनकरनसर तहसील की और दूसरी नोखा और मगरा तहसील की। दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएन्सीज से नॉन कांग्रेस मेन चुनाव में जीते हैं इसलिये भी दुविधा बढ़ गई; आसानी से सुनवाई नहीं हो सकती। अगर कॉंग्रेस-मेन एम.एल.ए. होकर आते तो उनकी सुनवाई अच्छी तरह हो सकती थी। अभी नोखा में जो कार्य हो रहा है वह हमारी दृष्टि से काफी नहीं कहा जा सकता, फिर भी काफी रुपया लगाया जा रहा है। अगर इस तरह का दुर्भिक्ष रियासतों के समय में होता तो इसमें कहीं अधिक रुपया लगाया जाता और रकम लगाकर भी उस तरफ अधिक तवज्जुह दी जाती। अकाल के सिलसिले में, अकाल पीडितों के लिए काम शुरू किया गया, उसके लिये रकम रखी गई है। इसके अलावा वृद्ध स्त्रियों और बच्चों के लिए और जानवरों को घास डालने के लिए भी कुछ रुपया रखा गया था। मैं मेरे मित्र, मंत्री महोदय, को यह बताना चाहता हूं कि चाहे वे किसी अफसर से इसकी जांच करालें; आज तक एक भी पैसा इन दोनों सीगों में खर्च नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो भी किन्हीं दूसरे कामों में, किन्तु इन सीगों में नहीं लगा है, और किसी सीग में लगा हो। वहां जो अकाल बोर्ड बनाये गये हैं वे इस लिये बनाये गये हैं कि दुर्भिक्ष से जनता को आराम मिले। इन अकाल बोर्डों का दृष्टिकोण अलग अलग है। इस वजह से भी संघर्ष हो जाता है। मैं नोखा के फेमीन एडवाइजरी बोर्ड का जिक्र करता हूं कि ठा० कानसिंह जो नोखा की तरफ से हाउस में चुनकर आये हैं वे भी एडवाइजरी बोर्ड में हैं और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता भी एडवाइजरी बोर्ड में रखे गये हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने दृष्टिकोण को एक तरफ खींचते हैं और दूसरे लोग दूसरी तरफ। इसका नतीजा बाज वक्त यहां तक होता है कि तहसीलदार को अपनी कुर्सी भी छोड़ देनी पड़ती है। इस दृष्टिकोण के मतभेद से आज अकाल करीब करीब खत्म होने आया, कुछ भी कार्य नहीं हो सका है। ईश्वर करे अगले चार मास बाद अच्छी बरसात हो और अकाल का निवारण हो। तहसीलदार को अपना कमरा छोड़कर भागना पड़ता है। इन दोनों के संघर्ष के कारण।

[श्री जसवन्तसिंह]
वह कहता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की मदद नहीं करेंगे तो कल निकलना पड़ेगा, तो इधर दूसरा एडवाइजरी बोर्ड हमारे साथ है वह इस बात के लिए कहने को तैयार होते हैं कि उनका पक्ष कर रहे हैं। दुर्भिक्ष को पोलिटिकल संघर्ष बनाना हानिकारक है; अपने देश को एक बहुत भारी नुकसान पहुचाने वाला है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसमें सोचने की बड़ी आवश्यकता है।

अब दूसरी बात है, लूनकरनसर एडवाइजरी बोर्ड के लिये आपसे कहूं। उसमें चूंकि मैं उस चुनाव क्षेत्र से चुन कर आया हूं, मैं भी हूं। मेरे सामने भी यह झगड़ा आया। मैंने तो सरेन्डर कर दिया कि जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वे कहें मुझे मन्जूर है, इसमें झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। वहां एक कार्यकर्ता ने भूख हड़ताल की कि इसमें हमेशा के मुताबिक जब तक कार्य नहीं किया जायेगा तो अनशन करूंगा। उससे खलबली मच गई। कमिशनर और कलेक्टर के द्वारा बड़ा आश्वासन दिया गया। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस वर्कर्स ने समझाया। फिर १० हजार में से ५-६ हजार पये देकर कहा गया कि भूख हड़ताल खत्म करदो, काम शुरु करदे। कमिश्नर ने अपनी डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट में से कुछ रुपया भेजा और ज्योंहीं भूख हड़ताल खत्म हुई काम शुरु हुवा और एक या दो हजार रुपया खर्च हुआ कि ऊपर से हुक्म आ जाता है कि काम बंद कर दो। कारण भूख हड़ताल छोड़ना ही मालूम होता है और एक-दो हजार के बाद ग्रान्ट बन्द करदी और आज तक जो रुपया भी खर्च हुआ है वह रुपया भी नहीं दिया गया। तो इस तरह अकाल की समस्या का हमें सामना करना है तो मैं यह समझूंगा कि राजस्थान के प्रति लोगों की सद्भावना रखना बड़ी भारी कठिनाई की बात होगी और एक बहुत बड़ा नुकसान होगा।

इसके अलावा और ऐसी समस्यायें पैदा हो जाती हैं। दुर्भिक्ष के बारे में जो जनता वहां पर पहले का जमाना देखी हुई है, उस जमाने को याद करती है और राजस्थान सरकार के प्रति सद्भावना नहीं बना सकती। इस सबंध में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन इस सदन का समय ज्यादा नहीं लेकर मैं मंत्री महोदय से यह अर्ज करूंगा कि एडवाइजरी बोर्ड की ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अफसर काम करने के लिए मुकर्रर किये जांय वे लोकल कन्डीशन्स को जानने वाले मुकर्रर किये जायं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के नीचे जो पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके अनुभव का लाभ उठायें तो ऐसी हालत में रकम में बहुत कुछ फायदा हो सकता है, नहीं तो बहुत कुछ रकम भी लगा ई जाती है और जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचता है।

अन्त में दो शब्द डिस्ट्रिक्ट में रिलीफ बोर्ड जो बनाये गये हैं उनके मुताल्लिक कहना चाहता हूं। वह यह है कि तहसीलों में अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट एडवा जरी बोर्ड, रिलीफ एडवाइजरी बोर्ड बनाये गये हैं उनमें मैं और ठाकुर कानसिंहजी एम. एल. ए. की हैसियत से वहां पर हैं। बाकी जो एडवाइजर्स हैं वे सब कांग्रस के कार्यकर्त्ता हैं। ठीक है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर वह जनता को कुछ फायदा पहुचाने के लिए, वहां पर कार्य करें तो बड़ी खुशी से आयें, लेकिन वे सब मेम्बर्स इस तरह के हैं, अगर वे

Page No.72

[श्री जसवन्तसिंह]

कार्यकर्त्ता जनता से वास्तव में प्रेम रखते हों, कांग्रेस के सिद्धान्तों के लिए उन्होंने त्याग किया हो, या कांग्रेस के सिद्धान्तों के लिए उन्हें कुछ दिलचस्पी हो, तो वे जनता के साथ भी दिलचस्पी रख सकते हैं। उनके साथ काम करने में हमें बड़ी खुशी होगी और जनता को भी बहुत कुछ फायदा पहुंचेगा। मगर अगर मंत्री जी रिलीफ एडवाइजरी बोर्ड के कार्यकर्ताओं के नाम देखें जिन्हें कि नामजद रिलीफ कमीश्नर ने किया है तो उन्हें मालूम होगा जैसा कि कलेक्टर्स के कहने से मालूम हुआ है, कि वे किस श्रेणी के हैं ज्योंही पहली मीटिंग हुई फौरन संघर्ष शुरू हो गया। तो यह किसी को हित नहीं पहुंचायेगा और जितना रुपया खर्च किया जायेगा किसी के काम में नहीं आयेगा। यही दो-चार शब्द कह कर मैं फेमिन मिनिस्टर से यह अर्ज करूंगा कि जहां कहीं अकाल पड़े वहां पर लोकल कंडीशन्स को जानने वाले लोगों को रखें और पोलिटिकल पार्टी के सदस्यों को इसमें न रखें तो अच्छा होगा। यदि किसी पार्टी को रखना ही चाहते हैं तो सभी पार्टियों के प्रतिनिधि होने चाहिये। फिर भी मैं यह कहूंगा कि यदि पोलिटिकल पार्टी के सदस्यों को रखा जावेगा तो आपस में झगड़े होंगे। इसलिए मेरी यह अर्ज है कि ऐसे फेमिन रिलीफ के कामों में पोलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेन्टेटिव नहीं रखने चाहियें गवर्नमेंट को ऐसे आदमियों को रखना चाहिये जो वहां की लोकल कंडिशन्स से जानकारी रखते हों। उनको रख कर काम किया जाएगा तो बहुत कुछ काम हो सकता है।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में अकाल का होना कोई नई बात नहीं है और खास कर उस इलाके में जहां से कि मैं आ रहा हूं। जैसे एक कवि ने कहा है मानलो अकाल एक मनुष्य है तो वह कहां रहता है। उसने कल्पना की है और कहा है :—

"पग पूंगल धड कोटड़े बाहू बाहडमेर,

फिरतो घिरतो बीकपुर, ठावो जैसलमेर ॥"

अकाल के लिये यह मशहूर बात है कि अकाल के पग पूंगल में और धड कोटडी यानि शिव और शेरगढ में रहते हैं और उसकी बाहें बाडमेर में रहती हैं। फिरतो घिरतो बीकपुर और ठावो जैसलमेर अर्थात बीकानेर में फिरता घिरता और जैसलमेर जैसे स्थान में अकाल पड़ता ही रहता है। इसलिये आपको शेरगढ की ओर स्पेशल ध्यान रखना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने कुछ इमदाद दी है मगर जो इमदाद शेरगढ को मिली है उससे लोगों को संतोष नहीं हुआ है क्योंकि वह इमदाद बहुत कम मिली। हमारे परगनों को स्टेट गवर्नमेन्ट के समय में भी इमदाद मिलती थी और उन पर हम लाइबीलीटी थे और इसलिये राजस्थान पर भी हम लाइबिलीटी हैं। हम इतनी इनकम नहीं देते जितना हम मांगते हैं, यह बात ठीक है; मगर वहां पर भी सरकार फोरेस्ट (वन) आदि लगा कर ऐसा प्रबन्ध करदे कि वर्षा बहुत हो तो हम कुछ इनकम (आय) दे सकते हैं। लेकिन अभी तक इस काम के लिये बहुत कम पैसा मिला है। जैसलमेर को ५०००) रुपये फेमिन रीलिफ के तौर पर मिला। मैं यह कहूंगा कि ५०००) रुपया उदयपुर में सरकार ने एक तालाब को खुदवाने के लिये दिये होंगे। जैसलमेर जैसे रेगिस्तान को देखते हुए यह ५०००) रुपये की इमदाद कोई ज्यादा इमदाद नहीं है। इसी प्रकार शेर

Page No.73

[श्री खेतसिंह]

गढ़ को २०-२२ हजार रुपये दिये, जहां कम से कम लाख, दो लाख रुपया मिलना चाहिये था। इसलिये मेरी यह अर्ज है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, फेमिन के लिए सरकार ने २१ लाख ५० हजार की मांग सदन के सामने रक्खी है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पैसा तो बंट जावेगा मगर इक्विटी एंड जस्टिस के हिसाब से नहीं बंटेगा। जिस तरह से रुपया दिया जाता है वह हालात मुझे मालूम हैं।

बीकानेर जिला, जिसकी ३ लाख की आबादी है उसको हिसाब से २०-२१ लाख रुपयों में से १/३ हिस्सा अवश्य मिलना चाहिये। वह अभी तक तो मिला नहीं। साल गुजिश्ता के अकाल में भी ठीक तौर से नहीं मिला और उसी प्रकार इस साल भी उम्मीद है कि ठीक तरीके से मिलेगा नहीं।

उदयपुर में महज अकाल अतिवृष्टि से होता है और रबी की फसल बहुत बढ़िया है; फिर भी उनको जरूरत से ज्यादा मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है जब कि उनको किसी मदद की जरूरत थी ही नहीं क्योंकि रबी की फसल वहां अच्छी है। मगर देव इच्छा से उदयपुर की तरफ से इस सरकार में माननीय मंत्री वहां का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं मगर बीकानेर का कोई ख्याल रखने वाला नहीं।

श्री जसवन्तसिंह—वह भी जल्दी हो जावेगा।

श्री कानसिंह (जारी)—इसलिए मैं यह कहूंगा कि पिछले तीन-चार महिनों में जिला बीकानेर को तो ज्यादा से ज्यादा इमदाद मिली होगी तो ६० हजार से ज्यादा नहीं मिली होगी। अब २१ लाख ५० हजार की मांग है उसमें से बीकानेर को कितना मिलेगा कुछ नहीं कह सकते। बीकानेर की आबादी ३ लाख की है। दुर्भाग्यवश अकाल कमेटी बनी है; उसमें जरूर दो तो एम. एल. ए. हैं और दूसरे जितने भी सदस्य हैं सब कांग्रेस पार्टी के ही हैं। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि कमेटी पार्टी बेसिस पर नहीं बनाई जावे। यह कौन से सिद्धान्त की बात है कि उसके सब सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही हों? अपने यहां मिसाल मशहूर है "अंधा बांटे सीरणी फिर फिर घरकों को दे"; ऐसा नहीं होना चाहिये। मैंने इस बात पर वहां की स्थानीय कमेटी में भी एतराज किया था और इस एतराज के बारे में मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट भी वहां से आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर भी इन्साफ का कम दिया जायेगा। बीकानेर के लिए भी इस मांग का उचित हिस्सा उसे दिया जाय। उदयपुर में तो वैसे ही पानी की बहुतायत है, बंध हैं, तालाब हैं, रबी की फसल अच्छी है, फिर भी बिना जरूरत वहीं पर रुपये थोपे जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो।

(श्री सुखाड़िया खड़े हुए)

श्री भैरूंसिंह—मुझे भी इस पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में बोलना।

श्री भैरूं सिंह—इस पोइन्ट पर फिर नहीं बोला जा सकेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (अकाल मन्त्री)—जो डिमाण्ड यहां रखी गई उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण आये । सबसे पहले, कट मोशन मूव करते हुए श्री एच. के. व्यास ने कहा कि घास को पहले बन्द इसलिये कर दिया जाता है, मूवमेन्ट को इस लिये रोक दिया जाता है कि व्यापारी उसको खरीद सकें और बाद में इसलिये खोल दिया जाता है कि व्यापारी उसके बाद में फायदा उठा सकें। आपने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और उनको रखने के अलग ढंग होते हैं। मैं उनसे ऐसी ही आशा करता हूं वे हर चीज को इसी दृष्टि से देखते हैं। अगर वे इस दृष्टिकोण से भी सोचें कि पहले स्थिति नहीं बिगड़े इसलिये कंट्रोल रखा जाय और बाद में जब देखा गया कि सरप्लस में है और दूसरी जगहों पर कमी है तो उसको बाहर ले जाने की इजाजत दे दी जाय, तो क्या उस दृष्टिकोण की बजाय इस तरह सोचना गलत होगा। अगर इस आधार पर सोचा जाय तो उचित हो सकता है । मुझे तो इस बात की जानकारी अभी हुई है कि जैसलमेर में घास का ठेका लेकर जैसलमेर के घास को ट्रकों में ला कर इस तरह जैसलमेर के घास का व्यापार किया जा सकता है । मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी। खुशी तो इस बात से हुई कि जैसलमेर के घास का भी इस तरह व्यापार हो सकता है । पिछली बार जब मैं जैसलमेर गया तो मुझे बताया गया कि ट्रांसपोर्ट चार्जेज ज्यादा होने के कारण इसका व्यापार नहीं हो सकता ।

वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घास को बाहर लाने के लिये रोक लगाई गई थी ।

आपने नोहर के बारे में दो संस्थाओं का जिक्र किया कि एक संस्था सस्ते भाव पर और दूसरी संस्था महंगे भाव पर बेचती है । यह जानकारी पहली ही बार आई है कि भावों में इतना अन्तर क्यों है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो रेलवे फ्रेट की सुविधा देती है, उसका अगर दुरुपयोग होता है तो इसकी ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा। मेरे ध्यान में यह बात नहीं लाई गई, इस बात को श्री एच. के. व्यास भी मानेंगे ।

यह भी कहा गया है कि जो रकम खर्च की जा रही है वह ठीक रूप से खर्च नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि जहां जहां की जो जो आवश्यकताएं थीं उनकी पूर्ति के लिये सरकार ने आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए भी जो प्रयत्न किये उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि उन क्षेत्रों में सरकार ने जितनी उसमें सामर्थ्य थी और जितना किया जा सकता था उतना करने की कोशिश की गई।

हर जगह जहां पर आवश्यकता थी वहां पर शुरू से ही हमने आवश्यक व्यवस्था करदी । मैं सदन को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी अमुक जगह का हूं और उस जगह से मेरा अधिक सम्पर्क है इसलिये मैं वहां पर ज्यादा खर्च करना चाहता हूं और दूसरी जगहों पर उतना खर्च नहीं करना चाहता, इस तरह से सोचना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि अमुक जगह खर्च किया जाय और दूसरी जगह आवश्यकता नहीं होने पर भी अधिक खर्च करूं। वास्तविकता यह है कि जहां पर अकाल पीड़ितों की सहायता जिस तरह से करनी आवश्यक होती है उसी तरह से की जाती

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हैं। जहां पर ज्यादा लोग अकाल पीड़ित हैं वहां पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और जहां कम है वहां कम खर्च करना पड़ता है। यदि उदयपुर डिविजन में अच्छी फसल है और खेत हरे भरे हैं तो सभी को इसमें खुशी होगी, बजाय इसके कि वहां पर अकाल पीड़ितों का सा इन्तजाम करने के। इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होने पर भी करना कोई पसन्द नहीं करेगा। मैं सदन के सदस्यों को इस बात का आह्वान करना चाहूंगा कि वे भीलों के इलाके में आज भी जा करें देखें। मैं सभी इलाकों में गया हूं। मैं बीकानेर के इलाके में गया हूं, मैं जोधपुर डिविजन के शेरगढ इलाके में भी गया हूं जहां पर कि सात साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। मैं उदयपुर डिविजन के इलाकों में इतना नहीं गया जितना कि अन्य इलाकों में गया। लेकिन मैं कहूंगा कि उन भीलों के घरों में दूसरे रोज के खाने के लिये घास के बीज तक नहीं मिलेंगे और तन पर पहिनने को कपड़ा नहीं मिलेगा। उनकी हालत को देखकर आप यही कहेंगे कि जो व्यवस्था कर रहे हैं वह कम है। क्षेत्रों के आधार पर आप यह सोचते हैं कि बीकानेर में अकाल सहायता के लिये कम दिया गया। बीकानेर के उस क्षेत्र की आबादी जहां पर कि अकाल का असर पड़ा है ३ लाख ४० हजार है। इसके मुकाबले में वहां पर जो खर्च किया गया है गया कि वह ९ लाख रुपये है। ९ लाख रुपये खर्च करने के अलावा जो यह कहा गया कि सादूल वाटर बोर्ड की तरफ से कई इलाकों में सहायता दी गई है यह जानकर मुझे खुशी हुई।

इससे लोगों को राहत मिली है। भाखरा की वजह से नोहर, भादरा, सूरतगढ आदि इलाकों में लाखों रुपयों का काम चल रहा है। केनाल वर्क्स से लोगों को काफी रिलीफ हुआ है। जिस वक्त काम नहीं था उस वक्त भी वहां खर्च की जाने वाली रकम की तादाद काफी थी चाहे वह सड़कों के काम के लिये हो और चाहे अन्य काम के लिये। लेकिन कुल मिलाकर जो खर्च किया जा रहा है उससे लोगों को राहत ही मिली है इसका ख्याल रखना पड़ेगा। कहां हम कम खर्च कर रहे हैं यह सोचने का अवसर आपको कम मिलेगा। मुझे यह जानकर दुःख हुआ जब कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि जो रिलीफ कमेटियां बनाई गई हैं उनकी कहीं कहीं पर तो मीटिंग ही नहीं हुई और जहां कहीं हुई तो वहां सदस्यों के आपस में संघर्ष होने लगा। कमेटियें इसलिए बनाई गई थीं कि जो काम-काज चल रहा है और उसमें जो सरकार की रकम खर्च हो रही है उसका पूरा पूरा उपयोग हो। दुर्भाग्य से कोई कमेटी काम नहीं कर रही है जिससे उस पर निगाह रखी जा सके। तहसीलों, जिलों और केन्द्रों में कमेटियें इसलिए बनाई गई कि जो भी काम हो उस पर पूरी तरह से विचार किया जासके। पर दुर्भाग्य से वे काम न करके आपस में संघर्ष कर रही हैं, तो यह बुरी बात है। यह सोचने का प्रश्न है कि इनका उपयोग है या नहीं। उनकी हालत जानने की कोशिश करूंगा और ऐसा यत्न किया जायगा कि ये कमेटियें मिल-जुल कर काम करें और ऐसा काम न करें जिससे संघर्ष ब े। अब तक खास खर्चा नहीं हुआ है। अकाल का सबसे ज्यादा संकट होता है मार्च, अप्रेल, मई और जून के महीने म। इन चार महीनों में अकाल पीड़ितों के लिये सबसे अधिक संकट होता है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं पिछली बार बीकानेर गया था। कुछ जगहों पर काम चालू किये गये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बीकानेर की तरफ जा रहा हूं। मैं स्वयम् देखूंगा कि काम हुआ है या नहीं; ज्यादा से ज्यादा काम वहां हो रहा है या नहीं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वहां वहां हाइएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। मैं खुद जान सकता हूं कि इसमें कई व्यक्तियों का प्रश्न है। इस बात की पूरी सम्भाल की गई है और आवश्यकताओं की पूर्ति भी की गई है और आवश्यकतानुसार की भी जावेगी।

मैं सदन की जानकारी के लिए एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं जो यह है कि राजस्थान की तरफ से एक फाइनेन्स कमीशन बनने वाला है। भारत में आने वाले फाइनेन्स कमीशन से हमने दरख्वास्त की है कि वे आवें, अकाल की जो स्थिति होती है उसका स्थाई रूप से किस प्रकार मुकाबला किया जा सकता है और कहां पर क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, सारी बातों की जांच करें और अपनी योजना दें कि अमुक चीजें वहां की जा सकती हैं और अमुक चीजें नहीं। इन बातों के लिए भ्रम नहीं होना चाहिये कि रकम का दुरुपयोग होगा या पार्टी के आधार पर रकम का खर्च होगा। लूणकरणसर में यह बतलाया गया कि एक कॉंग्रेस सदस्य ने भूख हड़ताल को दो ....

श्री जसवन्तसिंह--मैंने तो कांग्रेस सदस्य नहीं कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--भूख हड़ताल बन्द कर दी गई और उसको दस हजार रुपया दिया गया। उसके बाद उस रकम को बन्द कर दिया गया। मैं माननीय सदस्य का इस सम्बन्ध में मतलब नहीं समझ पाया कि यह रकम किसको और क्यों दी गई और उसके द्वारा क्या काम किया गया ?

श्री जसवन्तसिंह--काम करने के लिये रकम दी गई थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह कहा गया है कि काम के लिये दी रकम दी गई। तो क्या सड़क के काम के मुताल्लिक यह रकम दी गई या क्यों कर ? मैं इस बात को नहीं समझ पाया हूं।

श्री जसवन्तसिंह--अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बात को साफ कर दूं।

श्री अध्यक्ष--Yes.

श्री जसवन्तसिंह--मैंने भाषण में सड़क के काम के मुताल्लिक नहीं कहा था। छः हजार रुपयों की ग्रान्ट मन्जूर की गई थी और इसके लिये उस वर्कर ने भूख हड़ताल तोड़ देने का आश्वासन दिया। आखिर भूख हड़ताल तोड़ दी गई। काम शुरू हुआ। जैतसर जहां कि कांग्रेस का हैडक्वार्टर है वहां एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। मैं उस व्यक्ति का नाम भूल गया हूं। वह एक सोशियल वर्कर है। वह काम उसके अधीन शुरू हुआ। किन्तु फिर काम बन्द कर दिया गया। वह मेरे पास भागा आया और कहने लगा सरकार ने यह काम बन्द कर दिया है। उसका कहना था कि श्री सादूंल फ्री वाटर सप्लाई से रकम दिला दी जाय। मैंने उस काम का जिक्र किया था।

Page No.77

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अतः मैं उसको सड़क से सम्बन्धित बात समझ लूं। मैं आपको इस सम्बन्ध में बताऊं कि लूनकरनसर सड़क का काम चालू किया गया था। पहले एक गहग शुरू किया गया था और उसके बाद दूसरी (डिफरेन्ट) जगह पर काम शुरू किया गया। किन्तु जिस बात का जिक्र किया गया है वह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इसकी जानकारी करूंगा कि काम बन्द कर दिया गया; वहां आवश्यकता थी या नहीं ? मैं आशा करता हूं कि जो डिमान्ड रखी गई है उसको सदन मन्जूर करेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास वसूली करने के सिलसिले में मैंने जिस कमिश्नर के ऑर्डर के बारे में जिक्र किया था उसका जवाब नहीं दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने जो बताया कि वसूली के बारे में कमिश्नर ने आदेश दिया इसके सम्बन्ध में भी मैं बताना चाहता हूं कि जो इलाका स्केअरसिटी एरिया डिक्लेअर किया गया इनमें भी कई डिविजनों में, कुछ तहसीलों में ऐसे कुछ पाकेट बन गये हैं जहां फसल अच्छी हुई है; तो हो सकता है उन पोकेट्स में वसूली हुई हो। पर अगर इनके लिये भी जो आदेश दिया गया होगा यहां से, तो निश्चित तौर पर यही होगा कि वहां की परिस्थिति की जांच करके अगर यह पाया जाय कि वहां फसल ठीक हुई है तभी लगान वसूली की जावे, अन्यथा किसी भी सूरत में नहीं। यह निश्चत आदेश है। कहीं पर भी किसी की दरख्वास्त आने मात्र से वसूली करवा दी जावे, यह कभी भी आदेश नहीं दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बीकानेर डिविजन के कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है उसमें साफ लिखा है कि भादरा के ठाकुर की दरख्वास्त पर वसूली करवा दी जावे। This is the definite information which I have given.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया I shall have to enquire into it.

श्री अध्यक्ष—Now I put the cut-motion to vote.

श्री एच. के. व्यास—Shall I not get any right of reply ?

श्री अध्यक्ष—Reply by way of withdrawal I can allow.

श्री एच. के. व्यास—I am prepared to withdraw.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri H. K. Vyas to withdraw his cut-motion.

(स्वीकृति प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री एच. के. व्यास—I withdraw my cut-motion.

[श्री अध्यक्ष]

The question is that a supplementary sum of Rs. 21,50,00 be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. LVI, Major Head 54—Famine.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

We now adjourn till tomorrow at 8 A.M. and if the Hon'ble Members want to meet at 8.15 or 8.30, then we will, in order to accommodate the members who want to take more time for discussion, have to meet again during afternoon either today or tomorrow.

Alright. From 8 A.M. to 1 P.M. we will meet

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ५० मिनिट पर दिनांक १९-३-५३ के ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १८ मार्च, १९५३

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६७ का उत्तर देखिये).

S.N.	Name of place	Machine: Baling Press.	Machine: Engine	Place at which to be used	Remarks
	Jaipur division				
1.	Jaipur	1 fixed electric		Jaipur	
2.	„	1 tractor		Baran	
	Tonk				
3.	Shahpura	1 portable		(belonging to H. H. and with his permission may be available for local used)	
	Bundi				
4.	Bundi	1 portable with engine		Kota	
	Kota				
5.	Kota	1 protable with engine (petrol)		Kota	
		1 portable with useless engine		(Baran for use with tractor)	
		1 portable belonging to H. H. and with his permission my be available for local use.			
		1 Hand press		Kota	
	Bharatpur				
6.	Helak	1 portable with engine		Helak	
	„	1 portable with engine		Helak	Engine arranged.
7.	Rupbas	1 Portable Press with fixed diesel engine		Rupbas	

1	2	3	4
	SIROHI DIV.		
8.	Sirohi	3 Hand presses	Sirohi
	CHITTOR DIV.		
9.	Chittor	1 Portable with engine	Gwalior
10.	Nimbahera	1 Engine	Bhupal
	UDAIPUR DIV.		
11.	Udaipur	2 Portable presses with one diesel engine	Bhupal
	BANKWARA DIV.		
12.	Dungar Saran (Bir) in Simalwara Range	1 Steam driven	Dungar Saran
13.	Dungarpur	Two Hand presses	
14.	Kushalgarh	One Hand press.	
15.	Banswara	Two Hand presses.	
	Jodhpor Div.		
16.	Bali	One fixed steam (boiler)	Bali
17.	Binjawa	One fixed steam (boiler)	
18.	Kalu	One fixid steam (boiler)	Kalu
19.	Guda endle	One fixed steam (boiler)	Guda endla
20.	Murdawa	One portable with petrol engine	Gwaliar
21.	Jodhpur	Two portable with petrol engine.	„
22.	Pali	Three portable with petrol engine.	„